खण्ड-234, अंक-6
मंगलवार, 27 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(18 सितम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 234 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६६९–६७३
प्रश्नोत्तर	६७३–७२२
कार्य-सूची में उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ के न होने के सम्बन्ध में जानकारी	७२२
हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ (उपस्थापित किया गया)	७२२
नेशनल हेरल्ड के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय सुरक्षित)	७२३–७२४
प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति	७२४
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..	७२४–७२७
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ (जारी) ..	७२७–७७०
नियम ५२ की सूचना पर विचार के समय अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री द्वारा खेद प्रकाशन	७७०
लोक लेखा समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा	७७१
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ (जारी) ..	७७१–७७५
नत्थियां	७७६–८००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १८ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती सिंह, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयारामशाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हुसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामग्रधार कनौजिया, श्री
रामग्रधीनसिंह, श्री
रामग्रनन्त पाण्डेय, श्री
रामग्रवध, श्री
रामग्रासरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री

सत्यदेव, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा सिंचाई उपमन्त्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १८ सितम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कुमायूं क्षेत्र में रोडवेज ड्राइवरों की हड़ताल

*१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं क्षेत्र में गवर्नमेंट रोडवेज में काम करने वाले लगभग ७५ प्रतिशत मोटर ड्राइवरों तथा कन्डक्टरों ने १९ जून से जनरल हड़ताल कर दी है?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल)—लगभग ५० प्रतिशत ड्राइवरों तथा कन्डक्टरों ने हड़ताल की थी।

*२—श्री झारखंडेराय तथा श्री रक्षपालसिंह—क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि गत फरवरी में अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कर्मचारियों को कतिपय आश्वासन दिये थे जो पूरे नहीं किये गये?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं।

*३—श्री झारखंडेराय तथा श्री रक्षपालसिंह—इस जटिल परिस्थिति के समाधान-हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गनेशीलाल—हड़ताल २८ जून, १९६२ को समाप्त हो गई थी।

श्री झारखंडेराय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो ५० प्रतिशत ड्राइवरों और कन्डक्टरों ने हड़ताल की थी उस का कारण क्या था और उन की क्या मुख्य मागें थीं ?

श्री गनेशीलाल—हड़ताल तो कतिपय कुछ ट्रान्सफर्स पर हुई थी और खास कारण यही था।

श्री झारखंडेराय—क्या यह सही है कि उन लोगों का ट्रान्सफर इसलिये हुआ था कि वह रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रमुख कार्यकर्त्ता थे और बाद में इसी को लेकर जिलाधीश और जनरल मैनेजर से समझौता हुआ था कि उन के ट्रान्सफर कैंसिल हो जायेंगे, लेकिन बाद में यह वचन पूरा नहीं किया गया और इसीलिये हड़ताल हुई ?

श्री गनेशीलाल—हो सकता है कि जिन लोगों का तबादला हुआ उसमें कुछ यूनियन के कर्मचारी भी हों, लेकिन ट्रान्सफर इस बिना पर नहीं होता कि कोई यूनियन का कर्मचारी हो तो उसका ट्रान्सफर न किया जाय।

श्री झारखंडेराय—यह जो दूसरा हिस्सा प्रश्न का था कि जिलाधीश और जनरल मैनेजर ने विश्वास दिलाया था कि ट्रान्सफर कैंसिल हो जायंगे वह वचन पूरा नहीं हुआ और इसी लिये हड़ताल हुई ? इस का उत्तर नहीं मिला।

श्री गनेशीलाल—ऐसी बात नहीं है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि हड़ताल के सम्बन्ध में कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कार्यवाही की गई और बाद को उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करके उनको मुअत्तल किया गया ? तो कितने लोगों को गिरफ्तार और मुअत्तल किया गया ?

श्री गनेशीलाल—१० कर्मचारियों को ससपेंड किया गया जिस में से ५ को हंगर स्ट्राइक के कारण गिरफ्तार किया गया।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या कन्डक्टरों व ड्राइवरों के ट्रान्सफर के लिये कोई अवधि निश्चित है कि इतने समय बाद उन का तबादला होगा ?

श्री गनेशीलाल—अवधि के विषय में तो इस समय निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्रान्सफर्स कानून कायदे के अन्दर ही होते हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने कन्डक्टर्स, बुकिंग क्लर्क्स व ड्राइवरों को ससपेंड किया गया और कितनों को बरखास्त किया गया, कितनों की सजा वापस ली गई और जो अभी तक ससपेंड हैं उन को क्या वह अब फिर नौकरी देने की कृपा करेंगे ?

श्री गनेशीलाल—१४ आदमियों को नौकरी से बरखास्त किया गया जिन में ५ ड्राइवर, ६ कन्डक्टर, २ क्लीनर और २ बुकिंग क्लर्क थे। १० को सस्पेन्ड किया गया जिनमें से २ ड्राइवर, २ क्लीनर, १ चौकीदार थे और ५ के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है और ७ अस्थायी एम्पलाईज को एक्सटेंशन नहीं दिया गया।

श्री झारखंडेराय—तीसरे सवाल के जवाब के सिलसिले में मंत्री जी बतायेंगे यह हड़ताल किस आधार पर समाप्त हो गई ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---समाप्त होने के लिये कोई आधार नहीं, गलत स्ट्राइक हुई थी वह खत्म हो गई ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---मन्त्री जी की जानकारी है कि इस विभाग में दो तरह के कन्डक्टर हैं, एक ट्रेन्ड जो हाई स्कूल हैं और दूसरे अनट्रेन्ड, दोनों की तनख्वाहों में विषमता है इसी तरह से दो किस्म के ड्राइवर्स भी हैं जिनकी तनख्वाहों में और माईलेज एलाउन्सेज में विषमता है, इसी बात को लेकर हड़ताल की थी ?

श्री अध्यक्ष---कारण तो बता दिया उन्होंने ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---मंत्री जी बतायेंगे कि तबादला के अतिरिक्त हड़ताल करने के और कौन-कौन कारण बताये गये हैं ?

श्री गनेशीलाल---विशेष कारण तो यही था तबादले हुये थे। पर उनकी कुछ मांगें थीं और उन मांगों के कारण भी वह चाहते थे कि पूरी हों ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---कारण कौन-कौन हैं यह बता दें ।

श्री अध्यक्ष---कौन-कौन कारण हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह जो आखिरी हड़ताल हुई थी उसमें सिवा इसके और कोई दूसरा कारण नहीं था कि लोगों का तबादला हुआ । उससे कुछ दिनों पहले एक नोटिस दिया गया जिस पर मामला तय हो गया था, कई महीने पहले की बात है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---मन्त्री जी ने कहा कि ५ आदमी हंगरस्ट्राइक के कारण गिरफ्तार किये गये, तो क्या राज्य सरकार ने हंगरस्ट्राइक को अपराध मान लिया है ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर तो पुलिस मन्त्री दे सकेंगे ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन १४ कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स को अलग किया गया है उनके खिलाफ क्या गम्भीर आरोप थे जिनकी वजह से अलग कर दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसकी कोई तफसील तो यहां है नहीं ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस हड़ताल के सम्बन्ध में जो नोटिस दिया गया था उसमें तबादले के अलावा और भी मांगें शामिल थीं ? यदि हां, तो कौन-कौन मांगें थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि हड़ताल सिर्फ इसी बुनियाद पर हुई थी । उसमें और कोई मांग नहीं थी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

*१---श्री दीपनारायणसिंह---[हटा दिया गया ।]

बलिया जिले में पुर रजबहा तथा पन्द्रह रजबहा कुलाबे न होना

*२---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला के अन्तर्गत पुर रजबहा तथा पन्द्रह रजबहा में कुलाबा न बनने के कारण किसानों को सिंचाई में कठिनाई हो रही है ?

सिंचाई उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)---जी हां ।

*३---श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों रजबहों में कुलाबे कब तक मुकम्मल बन कर तैयार हो जायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—पुर रजबहा जहां तक एक सिलसिले में बन गई है वहां तक कुलाबे लगा दिये गय हैं तथा पानी भी पहुंच रहा है। काश्तकारों के विरोध के कारण केवल ५ फर्लांग तक इस रजबहे का निर्माण नहीं हो सका है। इसका निर्माण होने के बादही कुलाबे लगाना सम्भव होगा।

पन्द्रह रजबहा में रबी १३७० तक कुलाबे लग जायेंगे।

श्री जगन्नाथ चौधरी—मंत्री जी बतायेंगे जिन काश्तकारों की तरफ से निर्माण में विरोध हो रहा है उनको जमीन का मुआवजा दे दिया गया ? यदि हां, तो उस जमीन पर निर्माण के लिये अब तक कौन सी कार्यवाही की गई जिससे निर्माण पूरा हो जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—अब पुलिस के द्वारा पजेशन मिल जायगा, बहुत शीघ्र ही उसके बाद खुदाई की व्यवस्था की गई है।

श्री अध्यक्ष—वह पूछ रहे हैं कि मुआवजा मिला कि नहीं।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जो लोग मुआवजा ले लेते हैं वह जमीन दे देते हैं। जो मुआवजा लेते ही नहीं, लेकिन जमीन ऐक्वायर कर ली जाती है पजेशन मिल जाने के बाद यदि वह चाहेंगे तो मुआवजा ले लेंगे।

श्री जगन्नाथ चौधरी—मंत्री जी बतायेंगे कितने किसानों को मुआवजा दे दिया गया है और अभी तक कितने किसान बाकी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इसमें तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अभी मंत्री जी ने कहा कि पुलिस द्वारा उनकी जमीन को एक्वीजीशन करने के लिये हुक्म हो चुका है तो मैं पूछना चाहता हूं क्या किसानों ने एतराज किया था और एतराज फाइनलाइज हो गया ? यदि नहीं, तो पुलिस की कार्यवाही कैसे की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सारी कार्यवाही की जा चुकी है। पहले बात तो यह है कि सब बन चुकी है। केवल एक जगह पर एक फर्लांग के लिये रोक है और ४ फर्लांग पर दूसरी जगह रोक रखा है बैसे १८ मील के टुकड़े में सारा काम हो चुका है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—जो किसान रोक लगा रहे हैं तो उसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—बहुत से किसान जो इतनी सूझ बूझ नहीं रखते कि इसके निकालने से फायदा होगा वे अपनी जमीन से नहर को नहीं निकालने देते हैं, इसलिये यह रोक टोक होती है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—इतना लम्बा चौड़ा रजबहा बन गया तो क्या लोगों ने नहर बनाने के लिये खुशी से अपनी जमीन से निकालने के लिये इजाजत दे दी थी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जब जमीन के लिये नोटिस दिया गया था और सब लोगों ने जमीन दे दी तो इसके मानी यह हैं कि उन्हें विशेष आपत्ति नहीं थी।

दोहरीघाट नहर से पानी न मिलने के कारण सिंचाई कर में छूट के लिये प्रार्थना-पत्र

*५—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री ८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के प्रत्युत्तरों के क्रम में

बताने की कृपा करेंगे कि जांच करने वाले कर्मचारियों द्वारा पूछ-ताछ प्रार्थना-पत्र देने वालों से भी हुई थी ? यदि हां, तो बाऊंडीह, बहरोनपुर, जुनेदा, सूरजपुरा, कर्मामहरूपुर आदि गांवों के करदाताओं की क्या रिपोर्ट है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जी हां। जांच करने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना पत्र देने वाले काश्तकारों तथा ग्राम प्रधानों से जो मौके पर उपलब्ध हो सकते थे, पूछताछ की गई थी । बाऊंडीह, बहोरनपुर, जुरेन्दा आदि गांवों के करदाता उपलब्ध नहीं हो सकते थे अतः उनकी रिपोर्ट नहीं ली जा सकी । ग्राम सूरजपुर कतकौली के प्रधान—जो मौके पर उपलब्ध थे, की रिपोर्ट में पानी न मिलने के कारण गन्ने की फसल में तकरीबन आधा नुकसान बताया गया ।

*५—श्री मंगलदेव (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच करने वाले कर्मचारियों ने किन-किन गांव के किन-किन व्यक्तियों की कर में छूट देने की सिफारिश की तथा ऊख के सूखने के कारण मुआवजा देने का भी सुझाव दिया था ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जांच करने वाले कर्मचारियों ने किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति को कर में छूट देने तथा ऊख के सूखने के कारण मुआवजा देने का सुझाव नहीं दिया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—कुल कितने गांवों के किसानों ने इस नहर से भरपूर पानी न मिलने की शिकायत की थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जब पहली बार सवाल किये गये थे तो २२ गांवों से शिकायत आई थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जिन गांव के प्रधानों और अन्य व्यक्तियों के बयान नहीं लिये गये तो फिर से बयान लेने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—इस संबंध में जांच की गयी थी। अब वह किस्सा समाप्त हो चुका है । अगर अब भी वैसी बात है तो माननीय सदस्य लिख कर दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय मंत्री स्वयं कहते हैं कि जांच नहीं की गयी कोई मिला नहीं । जब जांच कराई नहीं गयी तो फिर से हमारे लिखने की क्या जरूरत है ? सरकार का जो अधूरा काम रह गया है जांच करने के संबंध में उसे वह पूरा कराये ।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, यह दोहरीघाट पम्प कैनाल अभी पूरी तरीके से चलती नहीं है और यह बात सही है कि कभी-कभी उसमें पानी की कमी हो जाती है । मैं रामसुन्दर जी की बहुत सराहना करता हूं कि वे इस मामले में कई बार मुझसे मिल चुके हैं और माननीय झारखंडेराय जी भी इस संबंध में बहुत कुछ जिक्र कर चुके हैं । मैं इस बात की फिर कोशिश करूंगा कि जो संबंधित काश्तकार हैं उनको ज्यादा छूट दिलाई जाय ।

नलकूप विभाग में वेतन वृद्धि न पाने वाले अमीन

*६—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल विभाग में कुछ ऐसे अमीन भी कार्य करते हैं जिनका तबादला हुये छः वर्ष हो गये हैं और उनकी सर्विस बुक उनके कार्यालय में नहीं भेजी गई जिससे उन लोगों की वेतन वृद्धि भी नहीं हो सकी है ? अगर हां, तो इस प्रकार की अव्यवस्था का कारण क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, हाउस में यह कहा गया था कि दूसरी बार स्थगन की बात नहीं की जा सकेगी । यह प्रथम बार स्थगित किया गया और फिर दूसरी बार कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है । इस पर आपने प्रतिबंध लगा दिया था कि सरकार को निश्चित रूप में जवाब देना चाहिये । अब सरकार आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है इस पर आप आदेश दें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—बिहार विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और "कंटेम्प्ट आफ दी हाउस" की व्यवस्था दी है ।

श्री लखीसिंह—अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को यह छूट दे रखी है तो सूचना के बहाने वे बच जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—देखिये रामसुन्दर जी, यह ३१-८-१९६२ का प्रश्न है शायद । तो यह तो अभी हाल ही का है ।

इटावा जिले से सिंचाई की गलत इन्दराजों के संबंध में शिकायत

*७—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई के गलत इन्दराजों के खिलाफ किसानों की कितनी शिकायतें इटावा जिले के इटावा डिवीजन में गत खरीफ की फसल में प्राप्त हुई थीं और उनमें से कितनों पर विचार हो गया और कितनी अब तक विचाराधीन हैं ? यदि नियत समय में उन पर विचार नहीं हो सका तो इसके क्या कारण थे और सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—कुल ४९१ अर्जियां प्राप्त हुईं जिनमें ४३३ अर्जियों पर विचार के पश्चात् निर्णय दिया जा चुका है । शेष ५८ विचाराधीन हैं और इन पर भी शीघ्र ही कार्यवाही की जा रही है । इस गिनती में माह जून व जुलाई, १९६२ में आने वाली अर्जियां भी सम्मिलित हैं । कुछ क्षेत्रों में चकबन्दी हो जाने पर तथा शेष में भविष्य में दो तीन साल धान की खेती होते रहने पर इस कठिनाई के दूर होने की आशा की जाती है ।

*८—**श्री सहदेवसिंह**—क्या इटावा जिले के बरालोकपुर गांव की कुछ दरख्वास्तें गत एक वर्ष से अधिक से विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्यों और उन पर कब तक फैसला हो जायगा ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं ।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अर्जियों पर फैसला हो चुका है उनमें से कितनी अर्जियों में गलत इन्दराज को दरख्वास्त सही पायी गयी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—२३४ प्रार्थना-पत्रों में गलत इन्दराज के संबंध में की गयी शिकायत जांच करने पर सही पायी गयी ।

श्री सहदेवसिंह—जिन सरकारी कर्मचारियों ने ये गलत इन्दराज किये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जिस जगह का यह जिक्र किया गया है सवाल में वहां हर साल बंजर भूमि तोड़ तोड़ कर धान की खेती की जा रही है । असल में विभाग के लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है, नये-नये टुकड़े टूटते चले जाते हैं । तो इस किस्म की गलतियां

हो जाती हैं । इसमें कहा गया है कि जब एक, दो, तीन साल तक किसी खेत में पानी ले लिया जाता है तो उसकी हदबन्दी भी ठीक हो जाती है और कन्सालिडेशन हो जाता है तो उसमें भी जमीनों का ठीक नक्शा बन जाता है । इस लिहाज से यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि इस मामले में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाय ।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर कि पतरौलों ने तो सही इन्दराज किया था, लेकिन जो रेवेन्यू मैजिस्ट्रेट या दूसरे अफसर हैं उन्होंने इस बात के लिये मजबूर किया कि चूंकि पारसाल इस कुलाबे से इतने एकड़ सिंचाई हुई थी इसलिये इस साल ज्यादा होनी चाहिये । लिहाजा उन्होंने पतरौलों को मजबूर किया कि आबपाशी लिख दें और बाद में जब गलती पायी गयी सवाल होने के बाद तो उन्हीं पतरौलों को सजा दी गयी, उनके इंक्रीमेंट वगैरह रोक दिये गये । तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—हमारे पास अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इस प्रकार से कहा गया। और जो दोषी पाये गये, जिनके खिलाफ इस तरह की शिकायत है कि उनकी गलतियों से हुआ तो गलती के लिये जिस प्रकार विभाग कार्यवाही करता है उसी प्रकार की कार्यवाही की गयी ।

श्री रामसुन्दर पांडय—मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जाँच करने के बाद जो गलत पड़ताल साबित हुये क्या उनका सिंचाई कर भी किसानों से वसूल कर लिया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, यदि वसूल भी हो गया है तो वह ऐडजस्ट हो जायगा ।

श्री लखीसिंह—यह तो सिद्ध है कि चाहे गलत ही इन्दराज क्यों न हो और उज्रदारी चलती रहे, लेकिन आपके अमीन आबपाशी तो जबरिया वसूल कर ही लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष—वह तो कहते हैं कि अगर गलत वसूली हुई है तो हम ऐडजस्ट कर देंगे ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—क्या यह सही है कि इतनी संख्या में गलत इन्दराजात होने के बाद कोई पर्चा बाँटा नहीं गया और न उन्हें उज्रदारी करने का मौका दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, कायदा यह है कि जब जमाबन्दी का पर्चा लोगों के पास जाता है तो एक माह का मौका इस्तगासा दायर करने के लिये मिलता है । वह टाइम इसीलिये मिलता है कि यदि कोई गलती हो गयी है तो उसकी दुरुस्ती की जा सके । ये इस्तगासे दायर किये गये, उनकी दुरुस्ती की गयी । और अगर कहीं रुपया वसूल भी हो गया है तो उसकी मिन्हाई अगली फसल पर कर दी जाती है, यह तरीका है ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने गलत इन्दराज किये थे और वे सिद्ध हो गये तो क्या उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल ऐक्शन लिया गया ? उनके करेक्टर रोल में एंट्री की गई या उनका ट्रांसफर आदि किया गया, इस प्रकार की कार्यवाही हुई या खाली वार्निंग दे दी गई ?

श्री अध्यक्ष—अभी सिंचाई मंत्री जी ने बताया कि उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ।

श्री सहदेवसिंह—क्या मंत्री जी को पता है कि १९६० से बरालीकपुर में आबपाशी की वसूली मुल्तवी रही है क्योंकि वहाँ के बहुत से किसानों ने दरख्वास्तें दीं और जुडीशियल इंक्वायरी की माँग की ? किसानों के बयान बगरा नहीं लिये गये इसलिये उन्होंने दुबारा प्रोटेस्ट किया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में प्रदर्शन निकाला और उनका मामला अभी तक विचाराधीन है । इस संबंध में क्या मंत्री जी जाँच कराने की कोशिश करेंगे ? सरकार ने नहीं में जवाब दिया है, लेकिन मेरी जानकारी है कि वहाँ की आबपाशी अभी तक मुल्तवी है और विचाराधीन है ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, ५८ विचाराधीन कहे गये थे उनमें से भी २७ पर विचार हो चुके हैं और जो शेष रह गये हैं उन पर भी एक आध दिन में फैसला हो जायगा । अब कोई ऐसे बाकी नहीं हैं जिनके लिये कहा जा सके कि एक साल के बाकी हैं ।

श्री भोखालाल—क्या मंत्री जी नियमों में परिवर्तन करने के संबध में विचार कर रहेहैं कि जिनमें किसान इस्तगासा दायर करे तो जब तक उसका फैसला न हो जाय तब तक सिंचाई का रुपया वसूल न किया जाय ?

श्री राममूर्ति—इस समय कोई इरादा नहीं है क्योंकि मैंने कह दिया है कि अगर वसूल भी हो जाता है तो वह मिन्हा कर दिया जाता है । इसलिये कानून के बदलने की जरूरत नहीं है ।

छिबरामऊ तहसील में बाढ़ व वर्षा-सुरक्षा योजना

*९—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हर साल बरसात में तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद का कुछ हिस्सा अतिवर्षा और काली व ईसन नदी के सैलाव से प्रभावित होकर नष्ट हो जाता है और फसल और मकानों की जो क्षति होती है उससे वहाँ की जनता का जीवन कष्ट-मय हो जाता है क्या सरकार ने इस अमली बरसात में उस क्षेत्र की जनता को इस मुसीबत से बचाने के लिये कोई व्यवस्था की है ?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र की जनता की फसल मकान इत्यादि को बचाने के लिये काली व ईसन नदियों को चौड़ा व गहरा करने तथा इनके पुलों को भी चौड़ा करने के लिये एक योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है । अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि काम कब आरम्भ हो सकेगा ।

गोरखपुर तथा गाजीपुर जिलों की पम्पिग नहरों में पानी की कमी

*१०—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर तथा गाजीपुर जिलों की पंम्पिग नहरों में पानी के अभाव से वहाँ की फसल नष्ट हो रही है ? यदि हाँ, तो सरकार पानी की क्या व्यवस्था कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—गोरखपुर तथा गाजीपुर जिलों की पंम्पिग नहरों में पानी के अभाव से वहाँ की फसल नष्ट नहीं हो रही है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन पंम्पिग नहरों का जुलाई में कितना डिस्चार्ज था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहाँ पानी का अभाव कब से नहीं रहा

डाक्टर रामनारायण पांडेय—यह तो श्रीमन्, पानी का अभाव नहीं रहा है ।

श्री अध्यक्ष—आपके जवाब से थोड़ा भ्रम यह मालूम होता है कि वहां पानी का अभाव रहा है, लेकिन इसके रहते हुये नुकसान नहीं हुआ है । आपका मतलब है कि अभाव नहीं था ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं, श्रीमन्, जब तक नहरें पूरी क्षमता से कार्य नहीं करतीं तब तक पानी की कमी रहती है । लेकिन ५० प्रतिशत से कम नुकसान होता है तो विभाग से नहीं कहा जा सकता है कि उसकी जिम्मेदारी है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बखीरा पम्प नहर योजना जो चालू की गई है जो गोरखपुर और बस्ती जिले के हिस्सों को सींचती है वहां के किसानों ने दरख्वास्त दी थी कि हमारी फसल सूख रही है और हमें पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसकी वे जांच करायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, इसकी सूचना नहीं है । अगर आप चाहेंगे तो जांच करा ली जायगी ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—क्या मंत्री जी को पता है कि गाजीपुर जिले में रामगढ़ कैनाल में शुरू में ही पानी नहीं मिल सका था और ईख की फसल बरबाद हुई थी ? अतः वहां छूट देने की कोशिश करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां, श्रीमन्, देख लेंगे । १०-१५ साल सिंचाई नहर के डेवलप होने में लगते हैं । यह १९५४ में तैयार हुई थी और अच्छा काम कर रही है ।

मुरादाबाद तहसील में नलकूप

*११—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक मूढ़ा और ब्लाक भगतपुर तहसील व जिला मुरादाबाद में कितने नलकूप इस वक्त चल रहे हैं और कितने नये बनाये जाने के विचाराधीन हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—मूढ़ा पांडेय छाया ब्लाक में केवल एक राजकीय नलकूप है और भगतपुर टांडा ब्लाक में कोई राजकीय नलकूप नहीं है । उक्त दोनों खंडों में इस वक्त और नलकूप बनाने की कोई योजना नहीं है ।

*१२—श्री रियासत हुसैन—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि ब्लाक मूढ़ा और ब्लाक भगतपुर तहसील व जिला मुरादाबाद में सिंचाई स्कीम के सर्वे पर अब तक कितना खर्चा हुआ है और उन स्कीमों को खत्म कर देने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—उपरोक्त खंडों में सिंचाई की कोई स्कीम नहीं है अतः सर्वे का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन—मंत्री जी ने बताया कि एक नलकूप मूढ़ा ब्लाक में है, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह नलकूप किस गाँव में है और उससे कौन कौन सा रकबा आबपाशी होता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, गाँव नहीं बता सकता परन्तु इसका कल्चरेबिल कमाँड एरिया ११५० एकड़ है इसमें सिंचाई बहुत कम हो रही है । १३६९ फसली में केवल २९ एकड़ खरीफ में हुई, २८ एकड़ रबी में हुई । १३७० फसली में केवल ६७ एकड़ अभी तक सिंचाई, खरीफ में, हुई है ।

श्री रियासत हुसन—क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर कि मूढ़ा ब्लाक में कोई भी कुआँ, राजकीय नलकूप, नहीं है और जो यह रिपोर्ट आयी है यह गलत है, इसकी जाँच करवायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—अवश्य जाँच करवायी जायगी, अगर माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—जो यह कुआँ है यह बतायेंगे कि यह ब्लाक मूढ़ा में है या भगतपुर में है ?

डाक्टर रामनारायण पांडय—मूढ़ा ब्लाक में है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मूढ़ा और भगतपुर ब्लाकों में कितने कुएं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने थे और कितने कुएं आप बना सके हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार बतायेगी कि मूढ़ा और भगतपुर ब्लाकों में ट्यूबवेल के अलावा कोई दूसरे साधन हैं सिचाई के ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, वहाँ पर मैसोनरी वेल्स हैं, आबपाशी के जो पुराने साधन हैं वह काम में आ रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि इन दोनों ब्लाकों में कोई सर्वे नहीं किया गया है और न होने की स्कीम है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बतायेगी कि इन दोनों ब्लाकों में यह सही है कि सिंचाई के साधन नहीं हैं इसीलिये माननीय रियासत हुसैन ने प्रश्नों द्वारा सरकार से निवेदन किया कि यहाँ पर कुएं बनाये जायं जिससे सिंचाई का साधन हो सके ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—श्रीमन्, अब यह प्रश्न आया है और इसे देखा भी गया है । लेकिन वहाँ पर ब्लाक मौजूद हैं और वह सघन ब्लाक है । वह प्रबंध करेंगे और विकास करने के लिये जैसी आवश्यकता होगी परामर्श देंगे और साधनों के हिसाब से जरूर डेवलप किया जायगा ।

श्री रियासत हुसन—बारहवें सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि इन दोनों खंडों में सिंचाई की कोई स्कीम नहीं है । क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर फिर जाँच करवायेंगे कि इन दोनों ब्लाकों में हर साल नहरों के और नलकूपों के सर्वे करने वाले जाते हैं, नक्शे बनते हैं, उन पर खर्चा होता है, लेकिन उनके कहने के मुताबिक यह है कि वहाँ कोई स्कीम नहीं है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—जी हाँ । जरूर जाँच करवायेंगे ।

इलाहाबाद जिले में नलकूपों की स्थिति

*१३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में किन-किन तहसीलों में सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा होती है और उसमें कितने-कितने ट्यूबवेल लगे हैं तथा कितने ट्यूबवेल काम दे रहे हैं और कितने नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इलाहाबाद जिले की हंडिया, फूलपुर, चायल तथा सिराथू तहसीलों में सरकारी नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। नलकूपों की तहसीलवार संख्या निम्नलिखित है—

हंडिया	..	..	..	.. ९०
फूलपुर	..	..	..	.. ४१
चायल	..	..	..	.. ६
सिराथू	..	..	..	.. ७
योग	..			१४४

सभी नलकूप चालू हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि तहसील हंडिया में जिसमें ९० ट्यूबवेल लगे हुये हैं प्रायः वहां के नलकूप बिगड़े रहते हैं?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो कहा है कि सब चालू हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर इस बात की जांच करायेंगे कि प्रायः महीनों वहां पर नलकूप काफी संख्या में बिगड़े रहते हैं जिससे कि किसानों को पूरा पानी नहीं मिल पाता?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जो १४४ कुयें बनाये गये हैं उनमें से १३१ तो बिजली से चलते हैं और १३ डीजिल इंजिन से चलते हैं और हमारे पास जो रिपोर्ट है वह यही है कि सब नलकूप चालू हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले की अन्य तहसीलों में क्या कोई भी नलकूप नहीं है? जवाब में दो या तीन तहसीलों में ही नलकूप की बात कही गई है।

श्री अध्यक्ष—जवाब में चार तहसीलों में—हंडिया, फूलपुर, चायल और सिराथू में नलकूप बताये गये हैं। इसके मानी हैं बाकी में नहीं होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि तहसील मेजा के किसानों ने नलकूप लगाने का वहां पर विरोध किया है?

श्री राममूर्ति—अब इसकी इत्तिला इस वक्त कोई नहीं है कि क्या उन्होंने किया है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप बिजली से चल रहे हैं उनके बारे में क्या इसकी आम शिकायत है कि वह बिजली महीने में तीन चार बार बिगड़ जाती है जिससे कि किसानों को पानी लेने में कष्ट होता है?

श्री राममूर्ति—यह माननीय सदस्य की दिमागी कैफियत हो सकती है। हमारे पास कोई शिकायत ऐसी आयी नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि हंडिया तहसील में जितना किसानों को पानी मिलना चाहिये वह इस कारण से नहीं मिल रहा है कि एक तो ट्यूबवेल नहीं चलते हैं और दूसरे वहां की नालियां करीब-करीब सब टूट गई हैं?

श्री राममूर्ति—यह दूसरी बात तो मैं समझ सकता हूं कि जब नालियां बनती हैं तो अक्सर ऐसी शिकायतें आया करती हैं कि नालियां टूटती हैं। यह हो सकता है और इसके बारे में देखा जा सकता है। मैं दूसरी बात का समझ सकता हूं।

*१४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[हटा दिया गया।]

प्राइवेट बसों के परमिट

*१५—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस-किस व्यक्ति के पास प्राइवेट बसों के एक से अधिक परमिट हैं और किस-किस रूट पर ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह सूचना† विवरण पत्र 'अ' में दी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

*१६—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (अनुपस्थित)—क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर रही है कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही परमिट रहे ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

*१७—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (अनुपस्थित)—किस-किस विधायक के नाम प्राइवेट बसों के परमिट हैं ? उनके रूट तथा परमिट संख्या क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह †सूचना विवरण पत्र 'ब' में दी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

हमीरपुर जिले में बन्धियों के निर्माण के लिये प्रार्थना-पत्र

*१८—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१-६२ में हमीरपुर जिले में कितनी बन्धियां बनवाने के प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारियों के पास आये ? उनमें से कितने अस्वीकृत हुये और क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—५४ बन्धियां बनवाने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। उनमें से ११ बन्धियों का निर्माण सम्भव न हो सकने के कारण अस्वीकार कर दिये गये। १८ बन्धियों के निर्माण के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*१९—श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सरकारी बन्धियां बनाई जाती हैं वह किन-किन बातों को ध्यान में रखते हुये बनाई जाती हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—साधारणतया निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये सरकारी बन्धियां बनाई जाती हैं—

(१) बन्धी का देक्लिकली ठीक होना।

(२) डूब में आने वाली भूमि के आधे से अधिक लोगों की सम्मति का होना।

(३) अनुमानित लागत प्रोजेक्ट के अन्दर होना यानी कि औसत लागत लगभग २५० रुपये प्रति एकड़ हो।

(४) बन्धी का वर्तमान नहरों से लाभान्वित भूमि के बाहर होना।

---

† छापी नहीं गई।

*२०—श्री डूंगरसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी बन्धियों के बनाने में प्रति एकड़ कितना रुपया खर्च किया जाता है और उन पर प्रति एकड़ कितना धन सिंचाई का लिया जाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—बन्धी की औसत लागत लगभग २५० रुपये प्रति एकड़ है और औसत आय ४ रुपये प्रति एकड़ है।

श्री डूंगरसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ११ बन्धियां जो अस्वीकृत हुई हैं, उनका निर्माण सम्भव होने में क्या रुकावट पड़ गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, छानी बन्धी की लागत अधिक थी, इसमें ५ सौ रुपये प्रति एकड़ का औसत खर्च आ रहा था, गोपालपुरा बन्धी की लागत भी अधिक थी, उसमें ३८३ रुपये की अनुमानित औसत थी, बरा बन्धी की लागत ५०० रुपये आ रही थी, उसकी भी लागत अधिक थी, गड़रिया बन्धी नम्बर १ की औसत लागत बहुत ज्यादा होने का अन्दाजा था, उसके डीटेल्स वर्क आउट नहीं किये गये, लेकिन वह बहुत ज्यादा होने की उम्मीद थी।

इसी प्रकार से गडरिया बन्धी नम्बर २ और ३ की भी स्थिति यही थी। इसी प्रकार से अटकोहां बन्धी की लागत भी बहुत ज्यादा होने की सम्भावना थी जो नक्शे से ही दिखाई पड़ती थी। तो इसको भी अस्वीकृत कर दिया गया। बघवा बन्धी के दो आम रास्ते डूब में आने के कारण इसको भी अस्वीकृत किया गया। कौनिया बन्धी के साइट प्लान के अवलोकन से बन्धी की स्केप साइट उपयुक्त नहीं पाई गई। अतः इसको भी अस्वीकृत कर दिया गया। बंडा बन्धी सुमेरपुर बांच की कमाण्ड में आती है इसलिये इसको भी अस्वीकृत किया गया। लेवा बन्धी की लागत भी अधिक थी। ५८८ रुपया थी। अतः इसको भी अस्वीकृत किया गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर फाइल देख रहे हैं। यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष—वह प्रश्नों के सम्बन्ध में फाइल देखते होंगे।

श्री डूंगरसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अगर किसी बन्धी के बनने से किसानों को ज्यादा लाभ होने की सम्भावना हो और उसकी लागत २५० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा आती हो तो वह नहीं बन सकती ? जबकि गोपालपुरा बन्धी इसी आधार पर बनाई गई है ?

श्री राममूर्ति—यह कोई हार्ड ऐंड फास्ट रूल नहीं है। यह आमतौर पर देखा जाता है कि २५० रुपये की कीमत की जो बन्धी है उसको बना दिया जाता है। अगर कोई इससे ज्यादा लागत की बनने की भी जरूरत हो तो उसको भी बना दिया जाता है। इसके लिये कोई रूल नहीं है जैसा कि आपने फरमाया।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस के जो वाटर चाजज हैं वह कान्ट्रैक्ट पर हैं या पानी की मिकदार पर हैं ?

श्री राममूर्ति—बलवानसिंह जी ने जवाब को गौर से नहीं सुना। बन्धी बन जाती है तो उस पानी में वह एरिया डूब जाता है। उस पानी से जितनी सिंचाई होती है उन लोगों से ४ रुपया फी एकड़ फ्लैट रेट ले लिया जाता है।

श्री बलवानसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि सिंचाई की दर जो आप किसानों से चार्ज करते हैं वह पानी के ऊपर चार्ज करते हैं या ठेके पर चार्ज करते हैं ?

श्री राममूर्ति—इसमें ठेके का सवाल नहीं है । जहां बन्धी बनाई जाती है उसमें एरिया बतला दिया जाता है कि इस एरिया के लिये है। उसका सर्वे कराकर बतला दिया जाता है कि इतना सिंचाई के लिये है और इतना एरिया पानी में डूबेगा । जितने लोगों को पानी से लाभ होगा उनसे ४ रुपया फी एकड़ फ्लैट रेट से लिया जाता है ।

श्री डूंगरसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बन्धी से डूबी हुई जमीन का नाप कब किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—इससे आपके प्रश्न का क्या सम्बन्ध है ?

श्री डूंगरसिंह—मेरा मतलब यह है कि यह जो ४ रुपया फी एकड़ टैक्स लगाया जाता है उसका हिसाब कब लगाया जाता है ?

श्री राममूर्ति—यह साफ जाहिर है कि जब जमीन बन्धी से पानी में डूबती है उस वक्त इसका सर्वे किया जाता है ।

शामली परगने में शखलोई रजबहे पर कुलाबा लगाना

*२१—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला मुजफ्फरनगर, तहसील कैराना, परगना शामली के ग्राम लाँख के किसानों के आवेदन पर रजबहा शखलोई में सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ने कुलाबा नं० ३७-अ लगवाने तथा उसमें २ नल के टुकड़े ४–४ इंच के लगवाने का आदेश जारी किया था ?

श्री राममूर्ति—जी हाँ, अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई कार्य मंडल, मेरठ ने शखलोई के कुलाबे नं० ३७ (६ इंच दहन) के दो हिस्से नं ३७ ब,३७ अ (४ इंच ४ इंच दहन) करने का आदेश किया था।

*२२—**श्री विजयपालसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि उक्त कुलाबे में ४—४ इंच के नल के टुकड़े अभी तक नहीं लगाये गये हैं ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, कुलाबे को विभाजित करके हर एक नवीन कुलाबे पर ४ इंच दहन के पाइप लगवा दिये गये हैं।

रोडवेज विभाग के कर्मचारी

*२३—**श्री सन्तसिंह यूसुफ** (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के रोडवेज विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं और इनमें कितने गजटेड कर्मचारी और कितने नान-गजटेड हैं तथा उपरोक्त कर्मचारियों में कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं ?

श्री गनेशीलाल—वाँछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७६ पर)

*२४—**श्री सन्तसिंह यूसुफ**—रोडवेज में नियुक्त होने वाले कर्मचारी कितने समय के लिये प्रोबेशन पर रहते हैं और स्थायी बनने के लिये क्या नियम हैं ?

श्री गनेशीलाल—गजटेड कर्मचारी स्थायी पद पर नियुक्त होने के पूर्व एक या २ वर्ष के प्रोबेशन पर रक्खे जाते हैं। नान-गजटेड कर्मचारियों में से लेबर वेलफेयर आफिसर, ट्रैफिक सुपरिन्टेंडेंट तथा ओवरसियर की प्रोबेशन अवधि एक वर्ष निर्धारित है। अन्य नान-गजटेड कर्मचारी प्रोबेशन पर नहीं रक्खे जाते।

गजटेड कर्मचारियों का स्थायीकरण लोक सेवा आयोग के परामर्श से होता है। अन्य कर्मचारियों को उनके आचरण व कार्य अच्छा होने पर सीनियारिटी के हिसाब से स्थायी किया जाता है।

*२५--श्री सन्तसिंह यूसुफ--क्या रोडवेज में काम करने वाले ड्राइवरों, क्लीनरों, कन्डक्टरों आदि से दिन में ८ घंटे से अधिक काम बिना ओवरटाइम पेमेण्ट के लिया जाता है ?

यदि हाँ, तो ऐसा क्यों है?

श्री गनेशीलाल--जी नहीं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--क्या मन्त्री जी को पता है कि रोडवेज विभाग में और कानपुर रोडवेज वर्कशाप में १०, १२ साल के कर्मचारी हैं जो अभी स्थायी नहीं हो पाये हैं और जो सूची उन्होंने दी है वह है कि ६,२४६ कर्मचारी स्थायी हैं और १४,१६५ अस्थायी हैं, तो इस परमानेंट डिपार्टमेंट में क्या इतने कर्मचारी अभी भरती हुये हैं या दो, तीन साल से ज्यादा के हैं और अभी परमानेंट नहीं हो पाये हैं, और क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--इसमें कई तरह की कठिनाइयाँ हैं और होती हैं। कुछ जगहें तो ऐसी हैं कि लोग काम कर रहे हैं और वे जगहें स्थायी नहीं हैं, कुछ ऐसा होता है कि नीचे का पद स्थायी है और वह आदमी तरक्की करके, चूंकि एक्सपेंडिंग मुहकमा है, ऊपर चला जाता है और इस तरह उस पद पर उसके स्थायी होने में देर लगती है। लेकिन कोशिश की जा रही है ज्यादा तादाद में आदमियों को स्थायी कर दिया जाय।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--माननीय मन्त्री जी की जानकारी के लिये में कह दूं कि रोडवेज वर्कशाप, कानपुर में मैंने जाँच की है और वहाँ १०-१०, १२-१२ साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं और वे स्थायी नहीं किये गये हैं जब कि माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि तीन साल से ज्यादा काम करने वाले आदमी को वे स्थायी कर देंगे, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

श्री मुजफ्फर हसन--कोई खास इत्तला अगर माननीय सदस्य देंगे तो उसे अलग से देख लिया जायगा, लेकिन महकमें की कोशिश जरूर है कि लोग स्थायी किये जायं। आयुक्त की तरफ से ६६ परसेंट के करीब फेहरिस्त आयी है सरकार के पास और उसमें कुछ पूछ-ताछ की गयी है और इस तरह स्थायी करने की कोशिश तेजी से की जा रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या रोडवेज विभाग ने अपने कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिये नियम बना लिये हैं और जो लोग स्थायी पदों पर हैं और अस्थायी हैं वे स्थायी क्यों नहीं किये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन--नियम बन रहे हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुये हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--डिपार्टमेंट के लिये तो फैसला सरकार का है कि स्थायी रहेगा और अगर ऐसा फैसला है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को टेम्पोरेरी रखने से इसकी जानकारी सरकार को है कि उनमें असन्तोष है और इससे काम में बाधा पड़ती है ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह सही है। उसमें कुछ लोग तो डेली वेजेज पर होंगे और बाकी के लिये मैंने पहले ही अर्ज किया कि कोशिश की जा रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुस्तकिल किया जाय।

श्री भीखालाल--इस विभाग के सम्बन्ध में आम तौर से शिकायत रही है कि बहुत दिनों तक कर्मचारी पड़े रहते हैं और स्थायी नहीं किये जाते, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन गड़बड़ियों का मुख्य कारण यह है कि इस दस साल के पुराने विभाग में अभी तक कोई मैनुअल नहीं है, कोई नियम नहीं है और यह अभी तक क्यों नहीं बने हैं और कब तक बन सकेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने कहा कि बन रहे हैं और जल्द बन जायेंगे।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स से ८ घंटे से ज्यादा ड्यूटी ली जाती है और यह कायदे और कानून के खिलाफ है और क्या वे इस बात की हिदायत देंगे कि कानून का पालन रोडवेज वर्कशाप में और विभाग में किया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह पहले भी कहा जा चुका है कि यह वाकया नहीं है। मालूम नहीं किस गलतफहमी की वजह से बराबर यह बात पूछी जाती है। आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जाती है और अगर इत्तफाकिया किसी से ली जाती है, तो उसको ओवर-टाइम दिया जाता है।

मड़ियाहूं तहसील में नलकूपों से सिंचाई

*२६—**श्री जगन्नाथ राव** (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं तहसील में जिला जौनपुर में अब तक कितने नलकूप कहां-कहां लगाये गये ? उनमें कितनों में पक्की नालियां निर्माण की गईं और प्रत्येक नलकूप से कितनी जमीन की सिंचाई होती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इस तहसील में अब तक ५९ नलकूपों का निर्माण हुआ है जिनमें से ५२ इस समय चल रहे हैं। अभी तक ४२ नलकूपों पर पक्की नालियां बनाई जा चुकी हैं। जिन स्थानों पर नलकूप लगाये गये हैं तथा उनसे जितने क्षेत्र की सिंचाई होती है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७७ पर)

श्री जगन्नाथ राव—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ७ नलकूप नहीं चल रहे हैं उन्हें बने हुये कितने वर्ष हो गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—यह जो ७ नलकूप बन गये हैं उनमें बिजली नहीं लग पाई है जैसे ही उनमें बिजली लग जायगी यह चालू हो जायेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नलकूप कब बनें, इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया ? केवल इतना ही कह दिया कि बिजली नहीं लगी है। वे कब बनें और कब से चालू किये गये, इसका क्या वे स्पष्टीकरण करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—यह नलकूप १९६०-६१ के बाद के हैं।

श्री जगन्नाथ राव—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन नलकूपों पर पक्की नालियां नहीं बनी हैं, वे कब तक बन जायेंगी और ये नलकूप लगे हुये कितने वर्ष हो गये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—पक्की नालियां वास्तव में जब एक फसल कम से कम चला लेते हैं तब उस पर बनाते हैं जिससे कि पक्की नाली की टूट-फूट न हो। पहले पानी कच्ची नाली में चला लेते हैं और बाद में पक्की नाली बनाई जाती है। जो चालू न हो, उन्हें शीघ्र से शीघ्र चालू कर दिया जाता है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं में, जहां नलकूप लगाये गए हैं, उनक नालियों आदि के तमाम काम कई साल से बन्द कर दिये गए हैं, चाहे वे नलकूप हों चाहे वे नहरें हों, क्या उसको फिर से काम करने की सरकार ने कोई इजाजत दी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य का मतलब उन नलकूपों से है, जिनके बारे में कुछ इन्क्वायरी हो रही है और उनकी नालियों का काम बन्द कर दिया गया है।

*२७—श्री जगन्नाथ राव—[१३वें गुरुवार के लिए प्रश्न १२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बस्ती जिले में कृषि फार्म तथा बीज भण्डार

*२८—श्री रणबहादुरसिंह—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में कितने कृषि फार्म कितने-कितने एकड़ के हैं और कहां-कहां हैं और सिसई कृषि फार्म में जो हरैया तहसील में है १९६१ और १९६२ के अप्रैल तक कितना खर्च हुआ और कितनी आमदनी हुई?

कृषि उप-मंत्री (श्री शिवराजसिंह)—सूचना संलग्न तालिका में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७७८ पर)

*२९—श्री रणबहादुरसिंह—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में कितने बीज भंडार बन गये हैं और कितने बन रहे हैं और कहां-कहां?

श्री शिवराजसिंह—कुल १९ बीज भंडार बन चुके हैं और तीन बीज भंडार इटावा, सल्टौआ और उस्का बाजार में बन रहे हैं।

श्री रणबहादुरसिंह—क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में जो ७ फार्म सरकार ने खोले हैं, सब में प्रत्येक वर्ष घाटा रहा है?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, इस प्रश्न के अन्दर वह एक फार्म के सम्बन्ध में नहीं बल्कि सब के सम्बन्ध में ब्योरा मांग रहे हैं, इसलिये उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल— क्या मंत्री जी इनमें से किसी के बारे में बताने की कृपा करेंगे, जो कि ३० एकड़ से ऊपर का है और उसमें हर साल ३,००० रुपये का करीबन घाटा हो रहा है?

श्री शिवराजसिंह—प्रश्न के अन्दर २ साल का आय-व्यय का ब्योरा पूछा गया था। सन् १९६०-६१ में इस फार्म के ऊपर ९,८०६ रुपया खर्च हुआ और ८,६६४ रुपये की आय हुई थी। इस प्रकार से एक हजार से कुछ ही ज्यादा रुपये की सालाना हानि हुई है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—इस फार्म पर क्राप चार्ज प्रति एकड़ क्या है और प्रति एकड़ पैदावार कितनी है?

श्री शिवराजसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रणबहादुरसिंह—यह जो सिसई का फार्म है जिसमें ४ हजार का घाटा पिछले साल और एक हजार का इस साल हुआ है तो क्या इसमें सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है?

श्री शिवराजसिंह—जी हां, वेतन भी शामिल है और फार्म पर जमीन ली गयी है और मकान बनाया गया है उसके एस्टैबलिशमेंट का डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट भी शामिल है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—फार्म पर जो घाटा हुआ इसका कारण क्या है?

श्री शिवराजसिंह---वस्तुस्थिति यह है कि यह नशेब में है और मनोरमा दरिया इसके पास से बहता है। साल में दो-दो बार बाढ़ आयी है जिससे खरीफ की फस्ल नष्ट होती है और रबी की फस्ल बोने में कुछ देरी होती है।

श्री हिम्मतसिंह---फार्म की योजना बनाते वक्त क्या सर्वे नहीं कराया गया था कि पानी आता है या नहीं आता है ?

श्री शिवराजसिंह---इन सब बातों को देख कर ही बनाया गया था, लेकिन बाज दफा अनुमान से ज्यादा बारिश हो जाती है।

श्री रणबहादुरसिंह---जब यह फार्म सरकार लेने जा रही थी, क्या यह सही है कि उस वक्त वहां के जनसेवकों ने आवेदन-पत्र दिया था कि सरकार इसे न खरीदे, क्योंकि इसमें हमेशा घाटा होगा ?

श्री शिवराजसिंह---इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---खरीफ की फस्ल में तो उन्होंने वक्तव्य दिया कि बाढ़ से घाटा होता है तो क्या रबी की फस्ल में भी घाटा हुआ ?

श्री शिवराजसिंह---जैसा मैंने पहले बताया बाढ़ साल में दो बार आयी। अक्तूबर में भी बाढ़ आ गयी थी जिसकी वजह से बोने में देरी हो गयी। अगर सोइंग टाइम पर फस्ल नहीं बोई जा सकती तो उसकी पैदावार पर असर अवश्य पड़ता है।

श्री ऊदल---श्रीमन्, मैं जानता हूं कि इस फार्म पर एक साल ६० मन पैदा हुआ और एक साल १४० मन हुआ, तो क्या मंत्री जी १९६०-६१ के पहले वाले वर्षों में भी जांच कराने की कृपा करेंगे कि इसमें कम से कम २०,००० के करीब घाटा हो चुका है, कभी भी फायदा नहीं हुआ ?

श्री शिवराजसिंह---यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच की जायगी।

श्री रणबहादुरसिंह---क्या आपके पास वहां के स्थानीय इंटरमीडिएट ऐग्रिकल्चर कालेज की ओर से प्रार्थना-पत्र आया था जिसमें प्रबन्धक कमेटी ने लिखा था कि सरकार को कई लाख का घाटा होगा इसलिए सरकार ने जो फार्म के लिए जमीन ली है उसे वह स्कूल को दे दे, तो क्यों नहीं स्कूल को वह जमीन दी गयी ?

श्री शिवराजसिंह---इस समय इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री बलवानसिंह---मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी फार्म पर आपको फायदा हुआ है इस सूबे में ?

श्री शिवराजसिंह---श्रीमन्, संख्या इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इत्तला देना चाहता हूं सदन को कि प्रदेश के अन्दर बहुत से स्थानों में ऐसे फार्म हैं जिन पर लाभ हो रहा है।

*३०---श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)---[हटा दिया गया।]

मैनपुरी जिले के सिंचाई विभाग के कर्मचारी

*३१---श्री रामसिंह (मैनपुरी)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में इस समय नीचे लिखे पद पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और उनमें से क्रमशः कितने अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

(क) पतरौल, (ख) अमीन, (ग) रनर, (घ) मेट, (ङ) क्लर्क, (च) वरकन्दाज ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७७९ पर)

श्री रामसिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपया संलग्न सूची पढ़ देंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप स्वयं उसे पढ़ लें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने परसेंटेज पिछड़ी जातियों का होना चाहिये वह लिस्ट में नहीं है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—एक तो कारण यही है कि जितनी मात्रा में हम लोग चाहते हैं उतनी दरख्वास्तें नहीं आ पातीं। रोजगार दफ्तर से जो आदमी हमारे पास आते हैं उन्हीं में से रख लेते हैं। ऐसा भी होता है कि जो क्वालीफिकेशन्स के लोग हम चाहते हैं, उतनी क्वालीफिकेशन्स के लोग नहीं मिल पाते।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बरकन्दाज के लिये, जिनको मैं बरतनमांज कहता हूं क्योंकि उनका काम अफसरों के बरतन मांजना भी है, क्या योग्यता की जरूरत है ? उनकी तादाद क्यों कम है ?

श्री राममूर्ति—यह तादाद कम है, कोशिश की जायेगी कि ज्यादा लोग इसमें भर्ती किये जायं।

श्री श्यामलाल—इस सम्बन्ध में सरकार से हमेशा यही उत्तर मिलता है कि एप्लीकेशन्स नहीं आईं, या उचित क्वालीफिकेशन्स के लोग नहीं मिले। क्या सरकार से मैं यह मांग कर सकता हूं कि वह ऐसे स्थानों के लिये क्षेत्रीय एम० एल० एज० द्वारा हरिजन और बैकवर्ड लोगों की एप्लीकेशन्स मंगाया करें ?

श्री अध्यक्ष—यह आप बाद को पूछ लीजियेगा।

पटकौली जलाशय

*३२—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री विजयसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में जो सिरसिया ब्लाक में ६ बांध एक ही सड़क के सामने बन रहे हैं उनको पक्की सड़क से एक दूसरे से मिलाने के लिये क्या सरकार कोई योजना बना रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं।

*३३—श्री मुन्नूसिंह तथा श्री विजयसिंह—वह गांव जिनका कुल क्षेत्रफल मय आबादी बांध के अन्दर पड़ गया है उनको दूसरी जगह बसाने और भूमि देने की सरकार के पास क्या योजना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इस समय केवल पटकौली जलाशय की योजना पर कार्य चालू है। इस योजना के लिये भूमि लेने के कारण जो आदमी हटाये जायेंगे उनको बसाने के लिए ग्राम समाज की १४३ एकड़ भूमि को प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

*३४—श्री मुन्नूसिंह तथा श्री विजयसिंह—इन बांधों के बनने में सरकार को जंगल का कितना क्षेत्रफल काटना पड़ा और उससे जंगल विभाग को कितना नुकसान हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—पटकौली जलाशय के निर्माण हेतु १,००० एकड़ जंगल के क्षेत्रफल को प्राप्त करने की आवश्यकता है जो अभी प्राप्त नहीं हुई ह। बन विभाग से जो जमीन ली जायगी उसका मुआवजा दिया जायगा। यह धनराशि कितनी होगी, निश्चित रूप से अभी नहीं बताया जा सकता।

श्री मुन्नूसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि जो यह भूमि ली जायेगी वह उसी ग्राम समाज की है या दूसरे की है?

श्री डाक्टर रामनारायण पांडेय—यह ग्राम समाज की जमीन होगी, लेकिन निश्चित नहीं बता सकता कि किस गांव की है।

श्री मुन्नूसिंह—जहां तक मेरी जानकारी है, वह जमीन ऐसी नहीं है जहां कि लोगों को बसाया जा सके। तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को आधार मान कर दूसरे गांव की जमीन उपलब्ध करायेंगे, लोगों को बसाने के लिये?

श्री राममूर्ति--जैसा माननीय सदस्य फरमाते हैं, मुमकिन है ऐसा हो। इसकी जांच की जा सकती है।

श्री विजयसिंह --क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस जंगल के काटने से कितने रुपये की हानि होगी और बांध बन जाने पर कितनी भूमि की सिंचाई हो सकगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--इसकी फिगर्स अभी नहीं हैं। इस बांध पर करीब ३७,२९,७२२ रुपये का व्यय होगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय --यह जो १४७ एकड़ या जितनी जमीन ली जा रही है, इस पर कितने परिवारों को बसाया जायेगा?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जितने प्रभावित होंगे, उनको बसाया जायगा।

*३५-३६—श्री शिवसंपति शर्मा (जिला जालौन)--[१२ वें शुक्रवार के लिए प्रश्न २०-२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

निधपुर परगना में गंगा बांध की मरम्मत

*३७— श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) —क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला एटा, तहसील अलीगंज, परगना निधपुर में कई वर्षों से गंगा नदी के सैलाव से कई ग्रामों की फसल बर्बाद हो जाती है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां।

*३८—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार को पता है कि उक्त क्षेत्र की जनता ने स्वतः एक छोटा-सा बांध बांधा भी था जो मरम्मत के अभाव में क्षीण प्राय हो गया है तथा इस बांध की मरम्मत हेतु सरकार से निवेदन किया गया था? इस बांध की मरम्मत के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--जी हां, एक छोटा बांध श्रमदान द्वारा बनाया गया था जिसकी प्रायः अब क्षति हो गई है। जनता ने इसकी मरम्मत हेतु सरकार से निवेदन किया था। यह बांध बहुधा नदी के बहुत निकट है और इससे कोई विशेष लाभ नहीं। अतः इसकी मरम्मत तथा पुनःनिर्माण विभाग द्वारा आवश्यक नहीं समझी गई।

*३९—श्री राजेन्द्रसिंह--क्या सरकार बतायेगी कि वह उक्त क्षेत्र की पीड़ित जनता की जन-धन की रक्षा हेतु गंगा का बांध तथा ठोकरें परगना निधपुर, जिला एटा, में बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री राजेन्द्रसिंह--- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध की मरम्मत के लिये कहा गया था, जनता स्वतः श्रमदान के लिये तैयार थी और केवल उनके विभाग की सहायता चाहती थी जिससे साल दो साल की फसल बच जाती, तो उसकी लाइनिंग क्यों नहीं कराई गई ?

श्री राममूर्ति---अगर जनता ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी से रुपया लेकर काम करती है तो उसमें सरकार को कोई एतराज नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह---जो सूचना एकत्रित की जा रही है वह कब तक हो जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---बहुत जल्दी की जायगी ।

कानपुर तहसील में वेस्ट इलाहाबाद ब्रांच नहर से माइनर निकालना

*४०---श्री झारखंडेराय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर तहसील के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पलरा, सती और रायपुर कठार के क्षेत्रों के मध्य से कोई सिंचाई की व्यवस्था क लिय माइनर निकालने की योजना ह ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---पलरा, सेती और रायपुर कठार ग्रामों के असिंचित क्षेत्रों के लिये वेस्ट इलाहाबाद ब्रान्च की एक माइनर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की योजना है। ब्रान्च का निर्माण रामगंगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हो रहा है। इस माइनर का निर्माण कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होगा जब कि पानी रामगंगा बांध योजना से मिलने लगेगा।

रामपुर गढ़ौवा झील से ड्रेन निकालना

*४१---श्री भीखालाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने ग्राम रामपुर गढ़ौवा, जिला उन्नाव, की झील का पानी निकालने के लिये ड्रेन खुदवाने की मंजूरी दी है ? यदि हां, तो ड्रेन कितने रुपये की लागत से बनेगी और काम की प्रगति क्या है ?

श्री राममूर्ति---जी हाँ। सम्बन्धित ड्रेन की अनुमानित लागत १,५२८ रु० है, क्योंकि यह ड्रेन केवल ६ फर्लांग लम्बी होगी। उसका मिट्टी का कार्य श्रमदान से होना है जो अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

हरदोई जिले में बीज स्टोर, कुइयां के विरुद्ध शिकायत

*४२---श्री परमाई (जिला हरदोई)---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में ग्राम सारिपुर ब्रह्मान, मजरा कौदनी पुरवा के लोगों ने जिला हरदोई में बीज स्टोर कुइयां के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र गत ८, ९ अप्रैल, १९६२ को डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर, हरदोई या डायरेक्टर एग्रीकल्चर को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)---जी हाँ। जाँच कराने पर कृषकों की शिकायतें निराधार पाई गईं।

नोट---तारांकित प्रश्न ३९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गरौठा तहसील में नदियों से कटाव

*४३—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे इसकी जानकारी है कि झांसी जिले की गरोठा तहसील के पूर्व में धसान नदी व उत्तर में बेतवा नदी से भीषण कटाव हो रहा है? यदि हाँ, तो सरकार कटाव को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राममूर्ति—जी हाँ। इस कटाव को रोकने के लिये भूमि संरक्षण का काम चालू है।

इंचार्ज बस-स्टेशन, गाजीपुर के विरुद्ध शिकायत

*४४—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या परिवहन मंत्री प्रथम सत्र १९६२ के चौथे मंगलवार (८-५-६२) के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४६ व ४७ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्डक्टर और ड्राइवर के प्रार्थना-पत्र की जाँच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या मंत्री जी उस जाँच रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—कन्डक्टर और ड्राइवर के प्रार्थना-पत्र की जाँच सहायक प्रधान प्रबन्धक, आजमगढ़ द्वारा कराई गई थी और उनकी जाँच की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७८०-७८१ पर)

ऋषिकेश-जोशीमठ मार्ग पर बस सर्विस

*४५—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष ऋषिकेश से जोशीमठ के लिये अधिकतम प्रतिदिन कितनी गाड़ियाँ यात्रियों को ले जाने के लिये चलती थीं?

श्री मुजफ्फर हसन—गत वर्ष यात्राकाल के जून-जुलाई मास में इस मार्ग पर २७७ गाड़ियों का फ्लीट था जिसमें से प्रति दिन चलने वाली गाड़ियों की अधिकतम संख्या १५ थी जो अन्य दिनों में बदलती रही।

*४६—श्री शारदाभक्तसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आज कल इस मार्ग पर कितनी बसें प्रति दिन चल रही हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—इस वर्ष इसी काल में फ्लीट में २८५ गाड़ियाँ थीं जिसमें से प्रति दिन चलने वाली गाड़ियों की अधिकतम संख्या २८ थी। इस वर्ष भी गाड़ियों की संख्या बदलती रही।

हमीरपुर जिले में प्राइवेट मोटर मालिकों के परमिट

*४७—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चरखारी-मौदहा, चरखारी-हमीरपुर, महोबा-लौंडी और राठ-मौदहा मार्ग का प्राइवेट मोटर मालिकों का परमिट किस तारीख की मीटिंग में कैंसिल या रिजेक्ट किया गया और इस रूट का रोड टैक्स किस तारीख तक का प्राइवेट मोटर मालिकों से वसूल किया गया?

श्री मुजफ्फर हसन—परमिटों तथा रोड टैक्स की अदायगी की सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च', आगे पृष्ठ ७८२ पर)

*४८—श्री झारखंडेराय—[हटा दिया गया।]

अलीगढ़ डेरी फार्म का आय-व्यय

*४९—श्री ऊदल—क्या सरकार अलीगढ़ डेरी फार्म के सम्बन्ध में कृपया बतायेगी कि जब से यह फार्म स्थापित हुआ है उसमें कितनी आय तथा कितना व्यय किन किन मदों पर हुआ ?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका 'अ' व 'ब' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ', आगे पृष्ठ ७८३–७८५ पर)

स्त्रियों द्वारा संबंध विच्छेद

*५०—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् १९५९–६० और १९६०–६१ में पृथक-पृथक कितनी विवाहित स्त्रियों ने कानूनन अपने पतियों से सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) किया है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—सन् १९५९–६० और १९६०–६१ में क्रमशः १८९ और १४८ स्त्रियों ने कानूनन सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) किया है।

सिंचाई विभाग की चौकी पुरांव के पतरौल के विरुद्ध शिकायत

*५१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी डिवीजन में जिला एटा में सिंचाई विभाग की चौकी पुरांव के पतरौल के खिलाफ ४ नवम्बर, १९६० को राम दयाल, ग्राम अजीतगंज, जिला मैनपुरी, ने तथा अन्य जनता ने एक दरख्वास्त २५ जनवरी, १९६१ को और एक दरख्वास्त २५ अगस्त, १९६१ ई० को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, नहर डिवीजन, मैनपुरी को दी है ? इन दरख्वास्तों में क्या लिखा है और इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न में उल्लिखित श्री राम दयाल के ३ प्रार्थना-पत्रों में से केवल एक ही प्रार्थना-पत्र दिनांक २५–८–६१ ई० का अधिशासी अभियन्ता, नहर डिवीजन, मैनपुरी, के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इसकी प्रतिलिपि संलग्न है। अधिशासी अभियन्ता ने सम्बन्धित डिप्टी रेवेन्यू आफिसर से उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच कराई थी। जांच में यह पता चला कि प्रार्थना-पत्र में की गई शिकायतें श्री राम दयाल व पतरौल के निजी मामलों से सम्बन्ध रखती थीं, जिनका विभाग से कोई मतलब नहीं था। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया गया और इसकी सूचना श्री राम दयाल को अधिशासी अभियन्ता ने अपने २५–३० अक्टूबर, १९६१ के पत्र में दे दी।

(देखिये नत्थी 'ज', आगे पृष्ठ ७८६ पर)

*५२—५३—श्री कमलासिंह यादव—[हटा दिये गये।]

गाजीपुर जिले में पुल-पुलियों की मरम्मत

*५४—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ विभाग द्वारा जिला गाजीपुर में जो पुलों तथा पुलियों के निर्माण किये गये थे उनकी मरम्मत के लिये उसने क्या इंतजाम किया है ?

श्री राममूर्ति—इस पर विचार किया जा रहा है।

मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना

*५५—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसकी मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत (Claim Tribunal) बनाने की योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायगा और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—सरकार ने मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अन्तर्गत मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिये निर्णय ले लिया है और उसके लिये नियम बनाने के लिये कार्यवाही हो रही है । निश्चित समय बतलाना कठिन है ।

*५६—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री विश्वनाथप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में १९५९ से १९६२, मार्च तक कितने क्षति-पूर्ति प्रार्थना-पत्र राजकीय रोडवेज द्वारा हुयी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में आये हैं और उन पर अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—मार्च, १९५९ से मार्च, १९६२ तक ९५ प्रार्थना-पत्र आये जिनमें से ३६ तय हो चुके हैं । २१ मामले न्यायालय व सरकारी ट्रिब्यूनल द्वारा फैसले होने को हैं और ३८ मामले सरकार के विचाराधीन हैं ।

सिंचाई विभाग बलिया में मशीनों का नीलाम

*५७—श्री मंगलदेव (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि नलकूप विभाग, गाजीपुर के अन्तर्गत तृतीय सब-डिवीजन सिंचाई विभाग, बलिया में ११ नवम्बर, १९६० को किन-किन नम्बरों की कितनी मशीनें, कितने-कितने रुपये में नीलाम हुईं ?

श्री राममूर्ति—जी हां । १८ मशीनें नीलाम हुईं जिनका ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ', आगे पृष्ठ ७८७ पर)

*५८—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मशीनों के नीलाम हो जाने के बाद वे कहां और किसकी देख-रेख में रखी गयी थीं ?

श्री राममूर्ति—यह मशीनें सरकारी गोदामों में, जहां वह रखी हुई थीं व उनका नीलाम हुआ था, उनके सुपरवाइजरों के संरक्षण में रखी गयी थीं ।

*५९—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मशीनें कब खरीदी गयी थीं और उस वक्त मशीन के सभी पार्ट मौजूद थे और उनमें से इस वक्त कौन पार्ट नहीं है और क्यों ?

श्री राममूर्ति—यह मशीनें (आयल इंजन) १९५५–५६ में निर्माण किये गये कूपों को चलाने के लिये खरीदी गयी थीं । जब मशीनें खरीदी गई थीं उस समय इनके सभी आवश्यक पार्ट्स पूर्ण थे । चूंकि यह सभी मशीनें एक को छोड़कर नीलामी बोलने वाले सज्जनों द्वारा ले जायी जा चुकी हैं इस कारण अब यह नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त इनका कौन सा पार्ट कम है या नहीं था ।

बन्दर व कछुओं का निर्यात तथा इलाहाबाद में संगम के निकट मछली का शिकार

*६०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों से बन्दर तथा कछुये दूसरे प्रदेशों को भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो किन-किन प्रदेशों में तथा विदेशों में ?

श्री चरणसिंह—राज्य के जिन जिलों से बन्दर तथा कछुये दूसरे प्रदेशों को भेजे जाते हैं उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७८८ पर)

*६१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में गंगा-जमुना में मछली तथा कछुओं को मारने की आज्ञा सरकारी आदेश द्वारा है ? यदि हां, तो कितने स्थानों पर ?

श्री चरणसिंह—इलाहाबाद जिले में गंगा में रोक द्वारा मछली पकड़ने का ठेका निम्नलिखित रोक का दिया जाता है:—

(१) संगम (वर्जित स्थान को छोड़कर) से फाफामऊ पूर्वीघाट,

(२) फाफामऊ से कुरई घाट,

(३) कुरई घाट से रूपनारायणपुर शैलाबी,

(४) रूपनारायणपुर शैलाबी से अफजलपुर सहसी ।

यमुना नदी से मछली मारने तथा गंगा-जमुना दोनों नदियों में कछुये मारने का कोई आदेश नहीं है ।

*६२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि इलाहाबाद के संगम पर मुर्दों की लाश उतारने से वहां पर आये हुये लाखों देश-विदेश के यात्रियों को घोर कष्ट है ? यदि हां, तो उस पवित्र स्थान पर कोई प्रबन्ध ऐसा करने पर विचार करेगी कि वहां लाश न रुकने पावें तथा उस स्थान पर मछली इत्यादि का शिकार न हो ?

श्री चरणसिंह—इलाहाबाद के संगम क्षेत्र पर जल प्रवाह हेतु कोई भी लाश, जिलाधीश की विशेष आज्ञा बिना नहीं उतारी जाती । इस क्षेत्र में लाश न रुकने पाये, इसका उचित प्रबन्ध है । संगम क्षेत्र में मछली इत्यादि के शिकार की अनुमति नहीं है ।

नलकूप विभाग, मैनपुरी के कर्मचारी

*६३—श्री रामसिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल विभाग, मैनपुरी में इस समय अलग-अलग पद पर कितने-कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनमें से क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग से हैं ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न से सम्बन्धित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७८९–७९० पर)

बांदा जिले में बानगंगा व फडैली बांध

*६४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार ने जिला बांदा में बानगंगा व फडैली बांध की योजना बनायी है और बांध निर्माण के हेतु सर्वे आदि भी करा चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त बांध बनाने की योजना को कार्यरूप में लाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—इस प्रकार की कोई योजना बांदा जिले में नहीं है ।

जौनपुर में अकबरी पुल के निकट नहर के अवशेष

*६५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि अकबरीपुल के पश्चिम एक बड़ी नहर थी जिसके अवशेष अब भी हैं और जो पचहरिया नाले के पास गोमती नदी से मिल जाती थी ? यदि हां, तो क्या वह उसे मुक्त चालू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में कोई नहर नहीं थी । वहां एक नाला था जो लगभग पट चुका है और लोग खेती करते हैं । उसे फिर से चालू करने की कोई योजना नहीं है ।

लखनऊ काकोरी के बीच ईंट के भट्ठों से आम के बागों को क्षति

*६६—श्री विजयपालसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री भीखालाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ-हरदोई रोड पर लखनऊ काकोरी के दरम्यान चौथे और छठे मील के बीच कई सौ एकड़ आम के बागान के बीचोबीच पिछले दो वर्षों में आठ-दस ईंट के भट्टे चल रहे हैं जिनसे आम की फसल को शत-प्रतिशत नुकसान हुआ है, जिसका सम्बन्ध सैकड़ों गरीब परिवारों से ? यदि हां, तो क्या सरकार आम की फसल की सुरक्षा के लिये किसी कार्यवाही पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—जिला परिषद् लखनऊ द्वारा लखनऊ-हरदोई रोड पर लखनऊ तथा काकोरी के चौथे तथा छठे मील के बीच में गत दो वर्षों में ८ भट्ठों के लाइसेन्स दिये गये हैं। इन भट्ठों से आम की फसलों को कुछ क्षति पहुंची है और इस कारण पंचायत राज्य विभाग भट्ठों के लाइसेन्स देने के विषय में वर्तमान नियमों में संशोधन के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

*६७—श्री भीखालाल—[हटा दिया गया ।]

ट्यूबवेल आपरेटर्स

*६८—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ट्यूबवेल आपरेटर हैं और उनमें कितने स्थायी हैं और कितने अब तक अस्थायी हैं और क्यों ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में कुल ६,९२० ट्यूबवेल आपरेटर हैं, जिनमें से २,४०३ स्थायी व ४,५१७ अस्थायी हैं। यह पद डिवीजन के केडर के हैं और ट्यूबवेल आपरेटरों के स्थायी न होने के अलग अलग कारण हैं ।

*६९—श्री गयाप्रसाद—क्या कुछ ऐसे भी आपरेटर हैं जो दस से पांच वर्ष तक पुराने हैं पर उनकी सेवायें स्थायी नहीं हो पायी हैं, ऐसा क्यों है ? क्या सरकार उन्हें शीघ्र स्थायी करने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति—जी हां । इन लोगों के स्थायी न होने के कारण भिन्न भिन्न डिवीजनों में भिन्न-भिन्न हैं, जैसे वरीयता सूची का अंतिमरूप से न तैयार होना, आपरेटरों का परीक्षण काल (probation) समाप्त न होना, विभाग समय आते ही इन्हें स्थायी करने का प्रयत्न सदैव करता है ।

कार्यालय तथा आवास गृह योजना

*७०—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार ने अपने अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालय हेतु भवन तथा उनके कर्मचारियों के आवास गृह समीप-समीप निर्माण करने की किसी योजना के बारे में कोई निश्चय किया है ?

श्री राममूर्ति—कार्यालयों तथा आवास गृहों की योजना इस्टेट विभाग ने लखनऊ के लिये तथा अन्य विभागों ने कुछ अन्य स्थानों के लिये बनाई है परन्तु आवास गृहों को कार्यालयों के समीप बनाने का कोई विचार नहीं है ।

श्री बिन्देश्वरीप्रसाद, पेनल वकील, मैनपुरी द्वारा सेशन मुकदमों की पैरवी

*७१—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ में श्री बिन्देश्वरीप्रसाद व श्री ज्ञानप्रकाश ने पैनल वकील मैनपुरी होते हुये सेशन कोर्ट मैनपुरी में डिफेन्ड किया है और उसके क्या नतीजे हुये हैं और यह केस कौन से जज के इजलास में हुये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—श्री बिन्देश्वरीप्रसाद ने डिफेन्स काउन्सिल की हैसियत से १५ सेशन्स के मुकदमें किये जिसमें एक केस में सजा हुई और १४ छोड़ दिये गये । ६ केस श्री भटनागर, आठ केस श्री जोहरी सिविल सेशन्स जज और एक केस श्री कक्कड़ असिस्टेंट सेशन्स जज के इजलास में हुये । श्री ज्ञानप्रकाश १९६१ में पैनल लायर नहीं थे ।

सिंचाई विभाग में रिक्त स्थायी जगहें

*७२—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों की स्थायी जगहें रिक्त हैं और बीसों साल पुराने काम करने वाले कर्मचारियों से अस्थायी रूप से काम लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उनकी किस-किस श्रेणी की कितनी-कितनी स्थायी जगहें खाली हैं जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है और क्यों ?

श्री राममूर्ति—इस प्रश्न पर बहुत विस्तृत सूचना की जानकारी मांगी गयी है । इसका उत्तर संकलित करने में जो श्रम, व्यय तथा समय लगेगा वह लाभ के अनुरूप नहीं होगा ।

[१८ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कृषि फार्म

*१—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने राजकीय कृषि फार्म कहां कहां इस वक्त चल रहे हैं और उनका रकबा क्या है और उनमें कितने अधिकारी, कर्मचारी, मशीनें तथा जानवर रक्खे गये हैं ?

*२—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२ से लेकर अब तक कितने का खर्चा हुआ तथा कितना लाभ हुआ है और अलग-अलग फार्मों में सरकार द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है ?

श्री चरणसिंह—इन प्रश्नों के उत्तर के लिये सूचना एकत्र करने में जो समय, श्रम तथा व्यय होगा वह उसकी उपयोगिता के अनुकूल न होगा ।

कृषि निरीक्षक

*३—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में कृषि निरीक्षक तथा सहायक कृषि निरीक्षक के पद पर जितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनमें से पिछले १५ वर्षों के अन्दर कितनों की नियुक्ति हुई और इन १५ वर्षों के अन्दर नियुक्त किये गये कर्मचारियों में से कितने स्थायी कर दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—इस समय जो कर्मचारी कृषि निरीक्षक तथा सहायक कृषि निरीक्षक के पद पर काम कर रहे हैं उनमें से कृषि निरीक्षक के पद पर ७८७ की तथा सहायक कृषि निरीक्षक के पद पर २,२६४ की नियुक्ति पिछले १५ वर्षों के अन्दर हुई ।

उक्त कर्मचारियों में से कृषि निरीक्षक के पद पर कोई भी स्थाई नहीं किया गया है तथा सहायक कृषि निरीक्षक के पद पर केवल ६ कर्मचारी स्थाई किये गये हैं ।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में एडीशनल सेक्शन के कर्मचारी तथा हरिद्वार भेजी गयी बसों से आय

*४—श्री उग्रसेन—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर क्षेत्र के बस्ती, बलरामपुर, गोन्डा, वर्डघाट, अकबरपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर में और देवरिया डिपो में कितने कर्मचारी एडीशनल सेक्शन में काम करते हैं और उनमें कन्डक्टर, ड्राइवर, बुकिंग क्लर्क, क्लीनर तथा फिटरों की संख्या क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कुल कर्मचारी	६६४
कंडक्टर	२५७
ड्राइवर	२१३
बुकिंग क्लर्क	१३४
क्लीनर	२७
फिटर	३३

*५—श्री उग्रसेन—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज में जितने कर्मचारी एडीशनल सेक्शन में काम करते हैं, उनकी सेवायें वर्ष में किस दिन समाप्त होती हैं और किस दिन पुनः चालू होती हैं और उससे सरकारी काम में कोई बाधा भी उत्पन्न होती है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसी सेवाएं नियुक्ति के एक साल बाद समाप्त की जाती हैं और एक दिन छोड़कर पुनः नियुक्ति हो जाती है। काम में कोई विशेष बाधा नहीं होती ।

*६—श्री उग्रसेन—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र से हरिद्वार कुम्भ मेले में कितनी बसें भेजी गई थीं और उन बसों की कुल अर्निग क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन— ३२ बसें, कुल आय रुपये ३८,९७७.४७ नये पैसे ।

घोसी तहसील में सिंचन व्यवस्था

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत घोसी तहसील के ग्राम साहूपुर एवं मुहम्मदपुर में रबी की फसल का सिंचन एकड़ों में इन्दारा उपशाखा से कितना हुआ ?

श्री राममूर्ति—

१३६८ फसली रबी

ग्राम साहपुर	२ एकड़
ग्राम मुहम्मदपुर	१३ एकड़

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के ग्राम दुवारी, रमऊपुर, भैरापुर, हैबतपुर, पिपरा, लोकया, भटिया, सुजाहि आदि कछार क्षेत्र के लगभग ५० ग्रामों की खेती की सिंचन की व्यवस्था करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। सूरजपुर माइनर एक्सटेन्शन द्वारा सिंचन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

एस्टेट डिपार्टमेंट द्वारा कारों की खरीद

*९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६०-६२ तक कितनी कारों को एस्टेट डिपार्टमेन्ट ने खरीदा और कितनी बेचीं ?

श्री राममूर्ति—इस अवधि में २४ कारें खरीदी और १३ कारें बेची गईं ।

*१०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि एस्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ व्यक्तियों से भी कारें खरीदी हैं ? यदि हां, तो किन व्यक्तियों से और कितने दामों पर तथा जो कारें खरीदी गई हैं उनका क्रय-मूल्य क्या था ?

श्री राममूर्ति—कोई कार किसी व्यक्ति से नहीं खरीदी गई ।

कृषि आयोग गठन विषयक सुझाव

*११—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय पैमाने पर एक कृषि आयोग के गठन करने के लिये प्रदेश की सरकार से इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे थे ? यदि हां, तो सरकार ने भारत सरकार को क्या सुझाव दिये ? क्या उस सुझाव की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—जी हां । प्रदेशीय सरकार की राय में कृषि आयोग का गठन आवश्यक नहीं समझा गया और भारत सरकार को यथावत सूचित कर दिया गया । उक्त सुझाव की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ठ', आगे पृष्ठ ७६१ पर)

बड़सरी ग्राम के निकट नहर

*१२—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले के अन्तर्गत पूर राजवाहा में ग्राम बड़सरी के पास नहर अभी तक अधूरी है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

*१३—श्री जगन्नाथ चौधरी—यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता है ।

एटा-मैनपुरी बस सर्विस

*१४—श्री गणेशचन्द काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा से मैनपुरी और एटा से वेबर जाने वाली सड़कों पर ११ मई, १९६२ ई० से सरकारी बसें आ गई हैं और प्राइवेट बसें खत्म कर दी गई हैं और सरकारी बसें कम होने के कारण मुसाफिरों को असुविधा हो रही है, मुसाफिर बस स्टेशनों पर पड़े हुये हैं, ऐसी दशा में क्या उपरोक्त लाइनों पर शीघ्र ही और अधिक बसें भेजने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, लेकिन दिनांक १६ मई, १९६२ से हाई कोर्ट के पुनः स्थगन आदेश के अनुसार प्राइवेट व रोडवेज दोनों तरह की बसें चल रही हैं ।

मुसाफिरों के पड़े रह जाने की बात सही नहीं है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बसें चला दी जाती हैं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जिला निर्वाचन कार्यालयों के अस्थायी कर्मचारी

*१५—श्री कल्पनाथसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेंगी कि जबकि जिला निर्वाचन कार्यालयों में करीब-करीब तीन वर्ष से दस वर्ष के अन्दर तक कर्मचारीगण लगातार काम करते चले आ रहे हैं तो अब तक उन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी क्यों नहीं घोषित किया गया?

श्री सैयद अली जहीर—प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में केवल दो पद ही स्थायी हैं। यह अनुमान किया जाता है कि उन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी अवश्य ही स्थायी घोषित किये जा चुके होंग ।

प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में समय-समय पर अस्थायी पदों का सृजन किया जाता है । इन पदों की अवधि साधारणतया कुछ मास तक ही सीमित होती है । अतः ऐसे अस्थायी पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा निर्वाचक नामावली के बनाने के सम्बन्ध में १९५८-५९ में एक योजना चलाई गई थी । इस योजना के अन्तर्गत कुछ पद प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय को दिये गये थे । यह सब पद अभी अस्थायी ही हैं, अतएव इन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी भी अभी अस्थायी हैं। यह प्रश्न विचाराधीन है कि इस योजना को अब आगे चलाया जाय अथवा नहीं ।

*१६—श्री कल्पनाथ सिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि चुनाव के काल में चुनाव कार्यालय के कर्मचारीगण रातोदिन एक करके चुनाव सम्पन्न कराये हैं और इन्होंने अपने निर्धारित दैनिक कार्यकाल से बहुत अधिक काम किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें कोई पारितोषिक देने का इरादा किया है ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार को यह विदित है कि चुनाव कार्यालय के कर्मचारियों को सामान्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा है। यह जन सेवा की परम्परा के अनुरूप है। सरकार ने समस्त जिलाधीशों को आदेश दिये हैं कि कर्मचारियों की आचरण नियमावलियों में अच्छे कार्य की सराहना की जाय । इसके अतिरिक्त पारितोषिक देने का विचार नहीं है ।

*१७—श्री कल्पनार्थसिंह —क्या यह सच है कि सरकार ने उक्त प्रकार का कोई पारितोषिक गत सन् १९५२ और १९५७ के आम चुनाव तथा उसके बाद के उप निर्वाचनों के लिये दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर—गत सन् १९५२ तथा १९५७ के आम चुनावों में भी कोई पारितोषिक नहीं दिया गया था । एक, दो उप-निर्वाचनों में सम्भवतः पारितोषिक दिया गया था। इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१८—श्री बृजेश्वरसहाय—[हटा दिया गया ।]

आनरेरी मैजिस्ट्रेट, मंझनपुर के विरुद्ध शिकायतें

*१९—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री जगन्नाथ राव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आनरेरी मजिस्ट्रेट मंझनपुर, इलाहाबाद के खिलाफ उसी क्षेत्र के व्यक्तियों की भूमि जबरन हड़पने की कोई शिकायत उसे प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां । एस० डी० ओ० मंझनपुर द्वारा जांच की जा रही है ।

*२०—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री जगन्नाथ राव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आनरेरी मजिस्ट्रेट, मंझनपुर, इलाहाबाद के विरुद्ध अपने पद के प्रभाव से क्षेत्रीय जनता को पीड़ित करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां । एस० डी० ओ० मंझनपुर द्वारा जांच की जा रही है ।

*२१—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री जगन्नाथ राव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आनरेरी मजिस्ट्रेट मंझनपुर, जिला इलाहाबाद का कृषि सम्बन्धी कर किस आधार पर कम किया गया है जबकि उनकी भूमि एवं उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर—श्री प्रद्यमनारायणसिंह निवासी ग्राम शाहपुर, तहसील मंझनपुर (आनरेरी मैजिस्ट्रेट) पर १३६६ फ० में १,४४६ रुपये ३६ नया पैसा वृहत जोत कर निर्धारित किया गया था जब कि १३६८ फ० में ४२१ रुपये ५४ नया पैसा कर निर्धारित किया गया। इस का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने २२७ बीघा १७ बिसवा १५ धूर भूमि अपने तीनों पुत्रों के नाम तथा अन्य का तकारों के नाम १ जुलाई, १९६० के पूर्व अंकित (दाखिल खारिज) करा ली है। कर-निर्धारक अधिकारी ने पुत्रों की भूमि का प्रबन्ध एवं तत्संबन्धी उत्पादन अलग मान कर उस भूमि को, जो कि उनके तीनों पुत्रों एवं अन्य काश्तकारों के अधिकार में है, कर दाता की जोत में नही माना है और इस हस्तांतरित भूमि पर कर का निर्धारण नहीं हुआ ।

अर्थ मूविंग मशीनों के फोरमैन

*२२—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में अर्थ मूविंग फोरमैन की पोस्ट के लिये सरकार ने कई सर्विस रूल्स तैयार किये हैं ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में अर्थ मूविंग फोरमैन नाम का कोई पद नहीं है। जिन जिन बड़ी योजनाओं पर अर्थ मूविंग मशीनों से कार्य होता है वहां फोरमैन लगाए जाते हैं। इनके सर्विस रूल्स अभी नहीं बने हैं।

*२३—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पोस्ट पर आठ-आठ, दस-दस वर्ष से कार्य करने वाले कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

श्री राममूर्ति—इस समय फोरमैन के पद पर कार्य करने वालों में केवल दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें क्रमशः आठ और नौ वर्ष हुये हैं। शेष सभी का सेवा काल इस अवधि से कम है। यह दोनों ही स्थायी इलेक्ट्रिकल एवं मिकेनिकल सुपरवाईजर हैं। विभागीय नियमानुसार स्थाई इलेक्ट्रिकल एवं मिकेनिकल सुपरवाइजरों के लिये सहायक अभियन्ता (मिकेनिकल) के पदों में से २० प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं। अतः किसी अन्य योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा रोडवेज स्टेशन पर पेय-जल-प्रबंध

*२४—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि बांदा शहर में रोडवेज स्थान पर पौसाला बनाया गया है किन्तु खेद है कि पानी पिलाने का उचित प्रबन्ध नहीं है ?

श्री मुजफ्फर हसन—उचित प्रबन्ध है।

*२५—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को यह पता है कि बांदा शहर में रोडवेज स्टेशन अधिकारी पानी पिलाने वाले को अपने निजी कामों में लगाये रहते हैं और जो जनता टिकट लेने को आती है प्यासी रहती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सरकार को ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

इलाहाबाद जिले में बस सर्विस

*२६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में किन-किन सड़कों पर सरकारी बस चलती है और किन-किन पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में चलाने की योजना है?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड', आगे पृष्ठ ७९२ पर)

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद में जितनी भी बसें सरकारी चल रही हैं बुरी हालत में हैं? क्या वह उनको सुधारने या दूसरी गाड़ियों का प्रबन्ध करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठते।

*२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार त्रिवेणी रोड पर जो किला तथा संगम तट को जाती है लाखों यात्रियों की सुविधा हेतु बस चलाने का प्रबन्ध करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन—समुचित संख्या में यात्री उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित बस सर्विस का चलाया जाना सम्भव नहीं है।

करहल तहसील में नलकूप व्यवस्था

*२९—श्री रामसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी, तहसील करहल, में जिन स्थानों पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उन स्थानों पर क्या सरकार ट्यूबवेलों का प्रबन्ध कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—प्रश्न का प्रथम भाग, जी नहीं।

प्रश्न का द्वितीय भाग, प्रश्न नहीं उठता।

*३०—श्री रामसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री को यह ज्ञात है कि जिला मैनपुरी, तहसील करहल में ट्यूबवेलों से समय पर पानी न मिलने से फसल को नुकसान पहुंचता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका समुचित प्रबन्ध करके जनता की परेशानियों को दूर करेगी?

श्री राममूर्ति—मैनपुरी जिले की करहल तहसील में नलकूप बिजली की लाइन आदि में खराबी के कारण तथा विद्युत विभाग द्वारा सीमित विद्युत देने (rostering) के कारण कभी-कभी बन्द रहे हैं। खराबियों को दूर करने के लिये तथा बिजली की पूरी पूर्ति (supply) के लिये बिजली विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया है।

भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों को कार एलाउन्स

*३१—श्री विजयसिंह—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में उनके विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका वेतन ३ साल से ज्यादा हो गया परन्तु अभी तक निर्धारित नहीं हुआ तथा उसके निर्धारित होने में कितना समय और लगेगा?

श्री चरणसिंह—कोई नहीं।

*३२—श्री विजयसिंह—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग में ऐसे कितने उच्च अधिकारी हैं जिनके पास कारें हैं तथा उनकी अपनी निजी कारों से १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक यात्रा करने का कितने मील का कितना भत्ता दिया गया?

श्री चरणसिंह---केवल दो अधिकारियों सर्वश्री हरिश्चन्द्र सेठ, उप निदेशक, भूमि संरक्षण तथा प्रतापनारायण सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता के पास कारें हैं। इन लोगों ने क्रमशः २,९९० मील तथा ६,३०१ मील का दौरा किया और इनको क्रमशः १,४३५.१३ नये पैसे तथा ३,००९.४२ नये पैसे भत्ता दिया गया।

*३३---**श्री विजयसिंह**---क्या कृषि मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उन उच्चाधिकारियों को उस जगह का भी कार का भत्ता दिया गया जो स्थान मोटर, बस या रेल गाड़ी से सम्बन्धित है? उस स्थान पर पहुंचने के बाद, तथा क्या उन्होंने भीतरी भाग का निरीक्षण करने के लिये कोई सरकारी जीप ली? यदि हां, तो उनको कार का भत्ता क्यों दिया गया?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। मोटर बस या रेलगाड़ी से सम्बन्धित किसी भी स्थान के लिये कार का भत्ता नहीं दिया गया। कुछ योजनाओं के निरीक्षण के लिये सरकारी जीप ली गई परन्तु कार का भत्ता नहीं लिया गया।

इटावा के सहायक रोडवेज मैनेजर के विरुद्ध शिकायत

*३४---**श्री बृजेश्वरसहाय**---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सहायक जनरल मैनेजर, रोडवेज उत्तर प्रदेश, इटावा प्राइवेट मोटर वालों से मुर्गे व चिड़िया तथा अन्य सामान रिश्वत में मंगा-मंगा कर लेते हैं? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं।

धुधवा बीज गोदाम

*३५---**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** (जिला सीतापुर) तथा **श्री सुखलाल** (जिला लखनऊ)---क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर जिले के धारमपुर विकास खंड के धुधवा सरकारी बीज गोदाम से लगभग १,२५० मन गल्ला फर्जी नामों से निकाल कर चोर बाजार में बेच दिया गया है?

श्री चरणसिंह---धुधवा बीज गोदाम सरकारी गोदाम नहीं है। अतः कृषि विभाग को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

*३६---**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** तथा **श्री सुखलाल**---यदि हां, तो उसका अनुमानित मूल्य कितना रुपया है और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरणसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

पारादान व सैलावा ग्राम के कृषकों का आवेदन-पत्र

*३७---**श्री रामकिशोर वर्मा** (जिला फतेहपुर)---क्या सिंचाई मन्त्री को फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत ग्राम पारादान व सैलावन में विगत २, ३ वर्ष से सिंचाई विभाग के एक नाले द्वारा बाढ़ से २,००० (दो हजार) बीघा भूमि आबादी को पहुंच रही क्षति की सूचना है? यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की परेशानी से ग्रामीणों को बचाने का क्या प्रयास करेंगे?

श्री राममूर्ति---जी हां। इस क्षेत्र की समस्या पर विभागीय अफसरों ने तथा जिला अधिकारियों ने काफी ध्यान दिया। पारादान व सैलावान ग्राम के कृषकों के प्रार्थना-पत्र पर भी विचार किया गया और उनको इस सम्बन्ध में दो प्रस्ताव भी दिये गये। परन्तु उन प्रस्तावों के कार्यान्वित करने में कृषकों को अपनी कुछ उपजाऊ भूमि देनी पड़ती थी जो वह किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं हैं। अतः प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सके।

*३८—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वहां के नागरिकों तथा प्रश्नकर्ता के सुझावों सहित एक निवेदन-पत्र सरकार को तथा अन्य सुझाव विभागीय अधिकारियों को समय-समय पर ग्रामीणों द्वारा प्राप्त होते रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ने अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं किया? कारण क्या है?

श्री राममूर्ति—ग्राम पारादान व सैलावा के कृषकों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उन पर आवश्यक कार्यवाही की गई, जैसा कि प्रश्न ३७ के जवाब में बताया जा चुका है।

आगरा जिले में बाग लगाने के लिये अनुदान

*३९—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में बाग लगाने के लिये किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना ऋण दिया गया है? ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से कितनों ने बाग लगाये हैं और उनमें से कितने बाग इस समय मौजूद हैं?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न †तालिका में प्रस्तुत है।

उन्नाव जिले में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

*४०—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उन्नाव जिले में कौन-कौन-सी बाढ़-नियन्त्रण योजनायें स्वीकार की गई थीं और उनमें प्रत्येक के लिये कितना-कितना धन निर्धारित किया गया था?

श्री राममूर्ति—विवरण संलग्न सूची (क) में है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ७९३–७९६ पर)

*४१—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त योजनाओं में कौन-कौन-सी योजनायें पूरी हो गई हैं और कौन-कौन-सी अभी पूरी नहीं हुई हैं और उनके पूरे न होने का कारण क्या है?

श्री राममूर्ति—विवरण संलग्न सूची (क) में है।

(देखिये नत्थी 'ढ', आगे पृष्ठ ७९३–७९४ पर)

*४२—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये उन्नाव जिले में कौन कौन-सी बाढ़ नियन्त्रण योजनायें स्वीकार हुई हैं और उन पर कितना-कितना धन स्वीकार किया गया है और उनमें से किस योजना पर कार्य आरम्भ हो चुका है?

श्री राममूर्ति—विवरण संलग्न सूची (ख) में है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ७९४–७९६ पर)

रोडवेज क्षेत्र लखनऊ में ए० टी० आई० की नियुक्तियां तथा रोडवेज कर्मचारियों के सर्विस रूल्स

*४३—श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ रीजन में जो बस कन्डक्टर और Booking Clerks १९४८ में परमानेंट हुये थे उनमें से कितने ए० टी० आई० के पद पर प्रमोट हुये और कितने बाहरी हुये तथा कितने ऐसे प्रमोट हुये जो परमानेंट भी नहीं हुये थे?

---

†छापी नहीं गई।

श्री मुजफ्फर हसन—सन् १९४८ में कोई बस कन्डक्टर व बुकिंग क्लार्क परमानेंट नहीं किया गया। १९४८ के बाद ए० टी० आई० के पद पर १५ बाहरी नियुक्त हुये और १७ बुकिंग क्लार्क जो १९४८ में नियुक्त हुये थे उस पद पर प्रमोट किये गये।

*४४—श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो बस कर्मचारी सदैव टूर पर रहते हैं उनको जाड़ों में गर्म सूट, गर्मियों में ठंढ़ा सूट तथा वर्षा ऋतु में बरसाती सप्लाई की जाती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके लिये इसकी व्यवस्था करने का विचार कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—ड्राइवरों व कन्डक्टरों को गर्म व सूती वर्दियां दी जाती हैं। बरसाती सप्लाई करने का अभी विचार नहीं है।

*४५—श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोई Manual Roadways से सम्बन्धित कर्मचारियों की उन्नति की शर्तें तथा कार्य सम्बन्धी नियम के लिये प्रत्येक आफिस में है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—सर्विस रूल्स व मैनुअल तैयार किये जा रहे हैं।

बसों में साहित्य

*४६—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रोडवेज की बसों में एक स्थान पर लिखा है कि "यात्रियों के पढ़ने के लिये साहित्य" और वहीं पर यह भी लिखा होता है कि पढ़ने के पश्चात् साहित्य इसमें रखें। परन्तु पढ़ने के लिये बसों में उस स्थान पर कोई भी साहित्यिक पुस्तक नहीं रखी जाती है और यदि रखी जाती है, तो वह कौन-कौन-सी साहित्यिक पुस्तकें हैं यह भी बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में इन पुस्तकों पर क्या व्यय हुआ?

श्री मुजफ्फर हसन—बसों में केवल ऐसे साहित्य के रखने की व्यवस्था है जो विभिन्न विभागों द्वारा जनता की जानकारी के लिये बिना मूल्य प्रकाशित किया जाता है। परिवहन विभाग ने ऐसे साहित्य के क्रय पर कुछ व्यय नहीं किया।

*४७—श्री रक्षपालसिंह—[हटा दिया गया।]

हरदोई जिले में डेरी

*४८—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि १९५० से दिसम्बर, १९६१ तक हरदोई जिले में किन-किन व्यक्तियों को Milk Dairy के लिये कितना-कितना रुपया दिया गया तथा उन लोगों के पास कितने दूध देने वाले जानवर हैं और प्रति दिन कितना दूध जनता को सप्लाई होता है?

श्री चरणसिंह—सन् १९५० से दिसम्बर, १९६१ तक हरदोई जिले में केवल ४ व्यक्तियों को श्री प्रतापसिंह, गांव सूंडा, श्री नत्थासिंह, गांव तत्थारा, श्री भभतीसिंह रारा तथा श्रीमती लक्ष्मी देवी, महेश गली को क्रमशः ८,००० रुपये, ४,०००, रुपये, ५,००० रुपये तथा ८,००० रुपये की धनराशि तकावी के रूप में डेयरी खोलने के लिये दी गई। उपरोक्त तकावी पाये हुये व्यक्तियों के पास क्रमशः ५ शून्य, ६ तथा ८ दूध देने वाले जानवर हैं किन्तु ये जनता को दूध सप्लाई नहीं करते हैं।

*४९-५०—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[११वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १६८-१६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५१—श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[हटा दिया गया।]

*५२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—[१४वें गुरुवार के लिये प्रश्न १५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रसपुर धौरहरा बांध पर डगरा

*५३—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डेहरास–मरचौर सकरौर होते हुये बैलगाड़ी की कच्ची सड़क जो परला संगम मेला को सीधे जाती है वह प्रसपुर धौरहरा बांध के कारण बन्द हो गयी है? यदि हां, तो क्या सिंचाई मन्त्री उस पर एक डागरा बनाने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग—यहां पर बैलगाड़ियों के चढ़ने उतरने के लिये रैम्प (Ramp) स्थानीय जनता के विरोध के कारण नहीं बना है। इस समय भी लोग उस स्थान पर केवल पैदल चढ़ने उतरने का रैम्प चाहते हैं और यह रैम्प बनाया जा सकेगा बशर्ते कि स्थानीय जनता से इसका विरोध न हो।

*५४–५५—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—[१४वें गुरुवार के लिये प्रश्न ४८–४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

एतमादपुर तहसील की खांडा तथा चावली माइनर

*५६—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा, तहसील एतमादपुर, ग्राम खाडेंवाली नहर से ३ मील ६ फर्लांग माइनर स्वीकार की गई है, उस पर कब से कार्यवाही होने जा रही है?

श्री राममूर्ति—खांडा माइनर रामगंगा योजना के अन्तर्गत एक नवीन योजना है। चूंकि रामगंगा के पानी की तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राप्त होने की आशा नहीं है अतः इस माइनर को अभी बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

*५७—श्री शिवचरण—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आगरा तहसील एतमादपुर, ग्राम चावली वाली माइनर ३ मील और आगे बढ़ाने तथा बुढ़िया के ताल एतमादपुर तक सर्वे भी हो चुका है उसे बनाने के लिये सरकार कब कार्य आरम्भ कर रही है?

श्री राममूर्ति—चावली माइनर को बढ़ाने का कार्य जमीन प्राप्त होने के पश्चात शुरू किया जायगा।

दहगवां ब्लाक में गोवध

*५८—श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बदायूं जिले के दहगवां ब्लाक में अभी भी गो कशी चालू है? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। अबैध रूप से इस ब्लाक में १ जनवरी, १९६१ से अब तक चार गो वध किये गये। संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई और उन्हें न्यायालय द्वारा दंड दिया गया।

*५९—श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि दहगवां में मरे पशुओं की हड्डियों के ढेर लगे रहते हैं जिसके कारण वर्षा में बीमारी फैलने की आशंका है?

श्री चरणसिंह—मुख्य गांव बहगवां से १ १/२ फर्लांग दूर नगला नामक स्थान में जिला परिषद् का ठेकेदार मरे हुए पशुओं की हड्डियां एकत्रित करता है परन्तु इससे बीमारी फैलने की कोई आशंका नहीं है ।

मुन्शीगंज ग्राम में बस दुर्घटना में बालिका की मृत्यु

*६०—श्री रतीपाल (जिला राय बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज की एक बस से, जो रायबरेली से प्रतापगढ़ जा रही थी, मुंशीगंज ग्राम में कुचल कर किसी बालिका की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । जिलाधीश रायबरेली को इस घटना की जांच के लिये लिखा गया है । अगली कार्यवाही उनके रिपोर्ट आने पर की जावेगी ।

गोंडा जिले में बस स्टेशन

*६१—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिले में बस स्टेशन का भवन निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर बनाया जायेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—मनकापुर, करनलगंज, धानेपुर और तरबगंज में बस स्टेशन की इमारतें बनवाने का विचार है ।

राजकीय वाहन कर्मचारी संघ की हड़ताल

*६२—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय वाहन कर्मचारी संघ के सदस्यों ने २८ जून, १९६२ को अपनी हड़ताल अधिकारियों के किस आश्वासन पर वापस ली थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

*६३—श्री शिवेन्द्रप्रताप—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २८ जून, १९६२ के पश्चात् इस क्षेत्र में रोडवेज विभाग से कितने कर्मचारी सेवा मुक्त कर दिये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई नहीं ।

मुरादाबाद जिले में बाढ़ शेल्टर

*६४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कुल कितने बाढ़ शैल्टर कायम किये गये हैं और किस-किस स्थान पर और उन पर सरकार का कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति—दो बाढ़ शैल्टर, १९,९९२ रुपये की लागत पर ग्राम खडगपुर बाजे व आदमपुर में बनाये गये हैं ।

*६५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इन बाढ़ शैल्टरों में से अधिक की छतों का टिन उड़ गया है ? यदि हां, तो उनको अभी तक ठीक क्यों नहीं किया गया ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां ।

प्रश्न का दूसरा भाग—जांच की जा रही है ।

*६६—श्री शराफत हुसैन रिजवी—[१३ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नहर दोहरा माट ब्रांच के पुल

*६७—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री जिला मेरठ में नहर देहरा-मांट ब्रांच पर उद्गम (मील) से १ मील २ फलांग पर अति शीघ्र एक बड़ा पुल बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—जिला मेरठ में नहर देहरा मांट ब्रांच (मांट फीडर) पर उद्गम (०. मील) से १ मील २ फलांग के बीच में दो पुल पहले से बने हुये हैं। एक-मील ०-०-४० पर बड़ा पुल बैल गाड़ियों के लिये है और दूसरा मील ०-७-४३० पर पैदल पुलिया है अतः अन्य कोई बड़ा पुल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

रुड़की में मुन्सफी कायम करना

*६८—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ने मुकाम रुड़की, जिला सहारनपुर में मुंसफी अदालत कायम करना स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो कब और यह अदालत कब से अपना काम करना शुरू कर देगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां । सरकार ने रुड़की में एक मुंसफी अदालत खोलने का फैसला किया है । अदालत तथा मुंसिफ के रहने के लिये उपयुक्त भवन न मिल सकने के कारण अभी तक यह अदालत कायम नहीं की जा सकी । जिलाधीश ने अभी हाल ही में बताया है कि अब अदालत के लिये उपयुक्त भवन का प्रबंध किसी भी वक्त किया जा सकता है । यह सूचना हाई कोर्ट को भेजी जा चुकी है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

यह अदालत रुड़की में कब से काम करना शुरू कर देगी, इसके लिये कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती ।

बीज फार्म

*६९—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कहां-कहां सरकारी बीज फार्म हैं ?

*७०—क्या सरकार प्रत्येक जिला के प्रत्येक सरकारी फार्मों का निम्न ब्योरा देने की कृपा करेगी:—

(क) कुल क्षेत्रफल, (ख) कुल लागत की रकम, (ग) पिछले तीन वर्षों के आमदनी, खर्च तथा हानि व लाभ की रकम ?

श्री चरणसिंह—यह सूचना संलग्न† तालिका में दी हुई है ।

*७१—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री भानुप्रतापसिंह—क्या सरकार की वर्तमान नीति ऐसे फार्मों को और खोलने की है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—सामान्यतः नहीं परन्तु विशेष परिस्थिति में खोले जा सकते हैं ।

---

†छापी नहीं गई ।

माट तहसील में बांध न बन सकना

*७२---श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---क्या सरकार को ज्ञात है कि मथुरा जिला, तहसील माट के नोहझील क्षेत्र में श्रमिकों की अत्यन्त कमी होने के कारण बांध पर कार्य सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी न के बराबर हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस बांध को बनाने के लिये शीघ्रातिशीघ्र बाहर के बड़े ठेकेदारों के सुपुर्द करने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न का प्रथम भाग---जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग---बाहर के ठेकेदारों को काम सुपुर्द करने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न का तृतीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद दक्षिण डिवीजन में नलकूपों की गूलें

*७३---श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद दक्षिण Division में जिन नलकूपों की गूल सन् १९३५ और सन् १९४० के बीच में बनाई गयी थी वह टूट-फूट गई है और उन पर घास उग आई है और जो रुपय मरम्मत के लिये सरकार द्वारा दिया जाता है उस रुपये से इन गूलों की मरम्मत नहीं हो पाती जिसकी वजह से किसानों पर ज्यादा आबपाशी rate पड़ रहा है ? क्या सरकार इसका कोई उचित प्रबंध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---सन् १९३५ और १९४० के बीच में बनाई गई गूलें चालू हालत में हैं। प्रत्येक वर्षा ऋतु के बाद उनकी वार्षिक मरम्मत के लिये जो रुपया दिया जाता है उससे उनकी मरम्मत भली प्रकार करने का प्रयत्न किया जाता है। मरम्मत कार्य के लिये उपलब्ध धन के अनुसार गूलों का पुनर्निर्माण तथा उनको ऊंचा भी किया जाता है। यह बात सही नहीं है कि किसानों पर आबपाशी का रेट अधिक बढ़ रहा है।

फर्रुखाबाद जिले में चुनाव कर्मचारियों का भुगतान

*७४---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ के चुनाव में फर्रुखाबाद जिले के जिन लेखपाल तथा अन्य कर्मचारियों ने काम किया है क्या इन कर्मचारियों को अभी तक चुनाव खर्चा नहीं दिया गया है ? और अगर हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर---गत चुनाव १९६२ में जो खर्च सरकारी कर्मचारियों का सफर खर्चा और भत्ते के रूप में हुआ था, उसका कुल भुगतान किया जा चुका है।

मतदेय स्थानों के बनाने के लिये प्रत्येक तहसीलदार को एक एक हजार रुपया पेशगी दिये जाने की व्यवस्था कर दी गयी थी, परन्तु कुछ तहसीलदारों ने पेशगी नहीं लिया।

मतदेय स्थानों के बनाने के संबंध में जो खर्चा लेखपालों या अन्य कर्मचारियों का हुआ है उसका विवरण निम्न प्रकार है।

तहसील कायमगंज से संबंधित कुल खर्चे का भुगतान हो गया है। तहसील फर्रुखाबाद तथा छिबरामऊ से संबंधित खर्चों का भुगतान हो रहा है और अधिकांश हो भी गया है। इस संबंध में जो बिल जिला निर्वाचन कार्यालय आये थे वह सरकार के स्वीकृत किये हुये आकड़ों से कहीं अधिक थे, और इसलिये फिर कुछ पत्र-व्यवहार करना पड़ा था।

तहसील कन्नौज से इस संबंध में कुल खर्चे का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय में न आने से उनका भुगतान अभी नहीं हो सका है। इस संबंध में स्मरण-पत्र दिये जा चुके हैं।

*७५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी शीघ्र ही कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे इन गरीब कर्मचारियों को शीघ्र खर्चा दिया जा सके जिन्होंने अपने पास से खर्चा किया है ?

श्री सैयद अली जहीर—उपरोक्त व्यय के भुगतान की व्यवस्था चल रही है और आशा की जाती है कि समस्त भुगतान शीघ्र ही हो जायेगा ।

मुरादाबाद डिवीजन में नलकूप

*७६—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद डिवीजन में इस वर्ष कितने नये नलकूप बनाने की योजना है और उनमें तहसील गुन्नौर में कितने नये नलकूप बनाये जावेंगे, कहां-कहां और कब तक ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है ।

आर० टी० ओ०, आगरा के विरुद्ध शिकायत

*७७—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि R. T. O. आगरा ने दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ को मोटर नं० १०३३ R. G. D. को किसी Educa ional Party को आगरा से फतेहपुर सीकरी, दयालबाग और सिकन्दरा ले जाने का परमिट दिया था ? अगर हां, तो इस Party में कितने, कौन-कौन और कहां के सदस्य थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । एक दिन के लिये दिया गया था । इस पार्टी में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के २९ सदस्य थे ।

*७८—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मोटर का इस परमिट देने से ५-६ दिन पहले मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में चालान किया गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां ।

*७९—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या यह सच है कि उपरोक्त मोटर मालिक चालान की रियायत मांगने R. T. O. के पास आया था और उन्होंने उसके बदले में अपने निजी रिश्तेदार Educational Party के नाम से इस गाड़ी में भेजे थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

अलीगढ़ जिले में सोमना ड्रेन पर पुल निर्माण योजना

*८०—श्री राधेश्याम शर्मा—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जिले के सोमना ड्रेन गन्दा नाला से हजारों बीघा भूमि हर वर्ष गरकी व बाढ़ से खराब होती है और जिन गांवों में होकर यह ड्रेन गुजरता है बरसात में उन गांवों का जन-धन भारी संकट में पड़ जाता है और सैकड़ों मवेशी व व्यक्ति डूबकर मर जाते हैं क्योंकि सरकार उसकी तुदाई करवा कर ही रह गई है और पुल नहीं बनाये ? पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है या नहीं ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर व कितनी अवधि में ?

श्री राममूर्ति—यह सही है कि अलीगढ़ जिले के सोमना ड्रेन गंदा नाला से हर वर्ष बाढ़ से काफी जमीन को नुकसान पहुंचता है किन्तु इस नाले में मवेशी तथा व्यक्ति के

डूब कर मर जाने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं आई है । इस नाले पर निम्नलिखित स्थानों पर पांच पुल बनाने का विचार है :—

१—मील १-३-२००

२—मील ५-२-००

३—मील १२-५-३३०

४—मील १६-१-०

५—मील २१-१-१००

अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पुल कब तक बन सकेंगे ।

*८१—श्री रक्षपालसिंह—[१३ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८२—श्री हेतरामसिंह—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

दशरथपुर का कथित वन महोत्सव

*८३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में दशरथपुर, तहसील सिराथू, जिला इलाहाबाद के ऊसर में वन महोत्सव के अवसर पर कितने पेड़ लगाये गये थे ? महोत्सव पर कितना व्यय किया गया और आज कल कितने पेड़ अभी जीवित शेष हैं ?

श्री चरणसिंह—ग्राम दशरथपुर, तहसील सिराथू, जिला इलाहाबाद के ऊसर में कृषि विभाग द्वारा कोई वन महोत्सव नहीं मनाया गया और न इस संबंध में कुछ व्यय किया गया ।

अतारांकित प्रश्न

मिर्जापुर जिले में घाघर मेन कैनाल से पर्याप्त जल न मिलना

१—श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में बनरोल बांध से निकली घाघर मेन कैनाल एवं उसकी शाखाओं द्वारा इस वर्ष धान की बेहन डालने के लिये पानी नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप १५ जून तक बेहन नहीं पड़ सकी ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी के न मिलने से हुई क्षति की पूर्ति किसानों का लगान घटा कर करेगी ?

श्री राममूर्ति—घाघर एवं उसकी शाखाओं द्वारा धान की बेहन डालने के लिये पानी दिया गया है ।

२—श्री रामनाथ पाठक—उस क्षेत्र में यह ग्राम अफवाह है कि नहर विभाग मछली के ठेकेदारों के हितार्थ घनरोल बांध का पानी सोन नदी में बहा देता है क्योंकि प्रति वर्ष जनवरी के पानी से बन्धा पूर्ण था क्या सरकार इस स्थिति से अवगत है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कृत्य के लिये कोई औचित्य प्रस्तुत कर सकती है ? यदि सरकार को यह जानकारी नहीं है तो क्या सरकार इस पर तुरन्त उच्च स्तरीय जांच करायेगी कि कई वर्षों से ठीक समय पर पानी क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री राममूर्ति—घघरौल बांध का पानी किसी भी प्रकार सोन नदी में नहीं बहाया जाता है ।

३—श्री रामनाथ पाठक—परगना विजयगढ़ तप्पा जसौली जिला मिर्जपुर में सिंचाई के साधनों का पूर्णतया अभाव है क्या सरकार नगवा बांध अथवा अन्य साधनों जैसे नलकूप आदि द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

हावल ड्रेन का सुधार

४—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह नाला छजारसी (ड्रेनेज डिवीजन, मुजफ्फरनगर) पर पिलखुवा व सिखेड़ा के बीच नया पुल कब बना रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—इस स्थान पर नये पुल बनाने का कोई विचार नहीं है।

५—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि नाला हावल (बुलन्दशहर डिवीजन) से वर्षा के दिनों में मील ४ से मील ९ तक दोनों ओर की १ मील तक की सारी कृषि भूमि तथा ग्राम करनपुर जट्ट व हिंडालपुर जलमग्न हो जाते हैं और लाखों रुपयों की कमी कमाई फसल नष्ट हो जाती है ? इस विपत्ति को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है और कब तक पूर्ण कर चुकेगी ?

श्री राममूर्ति—हावल ड्रेन से अधिक वर्षा में कृषि को क्षति पहुंचती है और ग्राम करनपुर जट्ट व हिंडालपुर जलमग्न हो जाते हैं। इस समस्या के निवारण के लिये हावल ड्रेन की Remodelling प्रस्तावित है।

कानपुर जिले के लिये सिंचाई योजनायें

६—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में कानपुर जिले में कितने नहर के बम्बे सरकार कहाँ-कहाँ बनाने जा रही है तथा और कौन-कौन सी सिंचाई योजनायें उसके विचाराधीन हैं ?

श्री राममूर्ति—जी हाँ। सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ७९७ पर)

७—श्री नित्यानन्द पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में सिंचाई विभाग द्वारा जो १० नलकूप हाल में बनाये जाने वाले हैं उनको कौन-कौन से स्थानों में बनाने का सरकार का इरादा है ?

श्री राममूर्ति—इन नलकूपों का अभी स्थितीकरण नहीं हुआ है अतः यह बताना अभी सम्भव नहीं है कि वे किस-किस स्थान पर लगेंगे।

बलिया-उजियार घाट मार्ग पर फेरी टैक्स

८—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया—उजियारघाट मार्ग पर चलने वाली राजकीय बसों के यात्रियों से २५ नया पैसा भाड़े के अतिरिक्त लिये जाते रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हाँ। यह वसूली फेरी टैक्स के रूप में होती है।

कानपुर में रोडवेज

९—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर नगर में ट्रांसपोर्ट की कमी को देखते हुये तथा विद्यार्थी, मजदूर और मध्यम श्रेणी के कष्ट को ध्यान में रखते हुये, वह कानपुर नगर में भी अन्य महापालिकाओं की भांति रोडवेज की सुविधा प्रदान करने का विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—मामला सरकार के विचाराधीन है ।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में फोरमैन के क्वार्टर तथा कर्मचारियों का स्थायित्व

१०—श्री उग्रसेन—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर क्षेत्र के उजियारघाट, आजमगढ़ और बर्डघाट में जो जूनियर फोरमैन के क्वार्टर बने हैं उन पर कितना रुपया बनवाने में खर्च हुआ है वे किस सन् में बनाये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना निम्नलिखित है :—

स्थान का नाम	खर्चा रु०	वर्ष
उजियारघाट	७,३५०.००	१९६०
आजमगढ़	६,६८९.९३	,,
बर्डघाट	२,३६९.३७	१९५६

११—श्री उग्रसेन—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त क्वार्टरों में रहने वाले अधिकारियों से अब तक कुल कितना रुपया किराये के मद में कितने प्रतिशत के हिसाब से काटा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—किराया वेतन के १० प्रतिशत के हिसाब से काटा जाता है। अभी तक रुपया ८८८.०० नये पैसे काटा गया है।

१२—श्री उग्रसेन—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों के कन्फरमेशन को ठीक करने के लिये अगस्त, सन् १९५९ में कोई जी० ओ० जारी हुआ था ? यदि हाँ, तो गोरखपुर क्षेत्र में अब तक किन-किन कर्मचारियों का कन्फरमेशन ठीक किया गया और वे किन-किन जगहों पर काम करते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसा जी० ओ० अगस्त, सन् १९६१ में जारी हुआ था न कि अगस्त, १९५९ में। वाँछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ७९८ पर)

नलकूप विभाग, गोरखपुर में फिक्सेशन के मामले, हेड मुन्शी तथा चपरासी

१३—श्री उग्रसेन—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल डिवीजन गोरखपुर के कितने कर्मचारियों के पे फिक्सेशन का केस मार्च, सन् १९६१ से ३० जून, सन् १९६२ तक चीफ़ आफिस को भेजा गया और कब वहाँ से पे फिक्स होकर केसेज लौट कर आये ?

श्री राममूर्ति—ट्यूबवेल डिवीजन गोरखपुर से केवल दो कर्मचारियों के पे फिक्सेशन के मामले मार्च, १९६१ से ३० जून, १९६२ के बीच में मुख्य अभियन्ता के कार्यालय को भेजे गये। दोनों पर मुख्य अभियन्ता ने अपनी स्वीकृति दिनाँक ३१-३-१९६२ और १७-२-१९६२ को दे दी है।

१४—श्री उग्रसेन—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मंडल गोरखपुर में कितने हेड मुंशी किन-किन स्थानों पर ३ साल से अधिक से अपने स्थान पर रह कर काम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है।

१५—श्री उग्रसेन—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मंडल गोरखपुर में कुल कितने चपरासी काम करते हैं और उनमें से कितने चपरासियों को सन् १९६०–६१ में जाड़े की वर्दी दी गई ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्रित की जा रही है।

बर्डघाट बस डिपो

१६—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र के बर्डघाट डिपो का शौचालय करीब ३ माह से स्थानीय अधिकारियों द्वारा बन्द कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो यात्रियों के लिये अन्य कोई व्यवस्था हुई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

१७—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र के बर्डघाट डिपो से गाड़ियों की मरम्मत करने वाला स्थान (सर्विसिंग पिट) लगभग १ साल से खराब पड़ा है ? यदि हाँ, तो उसके न बनने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—अभी हाल में बरसात के कारण खराब हो गया है। मरम्मत का इन्तजाम हो रहा है।

१८—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र के बर्डघाट डिपो में जो यात्रियों के लिये टीन का विश्रामालय बना है वह गिर जाने की स्थिति में है ? यदि हाँ, तो अब तक उसे क्यों नहीं बनवाया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—टीन शेड में मरम्मत की जरूरत है। राप्ती में बाढ़ आ जाने की वजह से मरम्मत शुरू नहीं हो सकी। अब मरम्मत शीघ्र हो जावेगी।

मरदह व दुल्लहपुर बस स्टेशनों पर जल व्यवस्था

१९—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के मरदह व दुल्हपुर बस स्टेशनों पर पानी पिलाने की व्यवस्था किस तारीख से की गई है तथा इस कार्य के लिये किन व्यक्तियों को कितने मासिक पर नियुक्त किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—मरदह व दुल्हपुर बस स्टेशनों पर क्रमशः २१ दिसम्बर, १९५९ व ८ अगस्त, १९५६ से पानी पिलाने का स्थायी प्रबन्ध है। इसके पूर्व मरदह बस स्टेशन पर १ मई, १९५८ से अस्थायी प्रबन्ध था।

उक्त बस स्टेशनों पर क्रमशः सर्वश्री इन्द्रासन व मुखराज राय को २२—२७ रुपया प्रतिमास के वेतन-क्रम में रखा गया है।

इटावा जिले में बम्बे व नहरें बनाने की योजना

२०—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जिला इटावा, तहसील औरैया में अयोना रजबहा से कोई बम्बा निकालने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

२१—श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में रामगंगा बाँध योजना से नहर तथा बम्बा खुदवाने की योजना है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—जिला इटावा में रामगंगा योजना के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ७२ मील लम्बी तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में २०० मील नहरें तथा नाले निर्माण करने की योजना है।

भिटारी तथा बेहड़ा ग्रामों में गोमती का कटाव

२२—श्री भगौतीदीन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत केराकत तहसील में भिटारी व बहेड़ा ग्राम के पास गोमती नदी ने अपना रास्ता परसाल बदल दिया और नया रास्ता अख्तियार कर लिया है जिससे सैकड़ों बीघा किसानों की जमीन की क्षति हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार गोमती नदी को पुनः पुराने रास्ते पर ले जाने के लिये कोई कदम उठायेगी और जमीन के नये कटाव को रोकेगी तथा किसानों को बरबादी से बचायेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, ग्राम भिटारी और बेहड़ा ग्राम गोमती की धार बदल जाने से कुछ प्रभावित हुए हैं किन्तु यह प्रभाव इस रूप में है कि वर्षाकाल में गाँवों की आबादी पानी से जरूर घिर जाती है पर और दिनों नदी में जल बहुत ही कम रहता है। गोमती की धारा चक से बदल कर सीधी हो गई है जो अच्छी निशानी है और इससे क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप कुछ कम ही होगा। इसलिये नदी के बहाव को पुराने रास्ते पर लाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

गंदेवड़ा नाले की सुधार योजना

२३—श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाला गंदेवड़ा, जो ग्राम गन्दे बड़ा, तहसील कैराना तीतरा व तहसील नकुड़ तथा राहतपुर तहसील कैराना होता हुआ तहसील कैराना के ग्रामों में से गुजरता है, की खुदाई कितनी मुद्दत से क्यों नहीं हुई ? क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रकार के नालों को न खुदवाने से इसके आस-पास की फसलों को हानि होती है ? क्या सरकार इन नालों को हर वर्ष वर्षा ऋतु के पहले खुदवाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री राममूर्ति—गंदेवड़ा नाले की खुदाई तो नहीं परन्तु सफाई प्रति वर्ष की जाती है। इस बार भी बरसात के पहले उसकी सफाई कराई गई थी। चूंकि हानि केवल वर्षा की अधिकता से ही होती है और वह भी बहुत ही कम इसलिये सफाई ही पर्याप्त समझी जाती है। फिर भी थोड़ी बहुत जो हानि ज्यादा पानी बरसने से होती है उसको दूर करने के विचार से नाले के रिमाड-लिंग की योजना पर जाँच की जा रही है।

मथुरा जिले में बसों की व्यवस्था

२४—श्री लखीसिंह—क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश रोडवेज की कितनी बसें चल रही हैं और कितनी जीप और टैक्सी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—८४ बसें हैं, जिनमें ७२ प्रतिदिन चलती हैं। इसके अलावा एक जीप है। टैक्सी कार कोई नहीं है।

२५—श्री लखीसिंह—क्या यह सत्य है कि थोड़ी बसों को छोड़ कर समस्त बसों की खिड़कियाँ और इंजन खराब हैं ? यदि हाँ, तो क्या मथुरा वर्कशाप में नयी बस भेजने की कोई योजना है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सिर्फ ९ बसों की खिड़कियाँ खराब हैं। इन्जन किसी का खराब हालत में नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

२६—श्री लखीसिंह—क्या यह सत्य है कि मथुरा वर्कशाप पर फोरमैन साहब निहायत अयोग्य हैं जिससे सम्बन्धित कर्मचारी भयभीत हैं?

श्री मुजफ्फर हसन— जी नहीं।

२७—श्री लखीसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसी कारण से सन् १९६२ में कितनी बस टकरा गईं और मथुरा जिले में बस की टक्कर से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रश्न संख्या २६ में लिखे कारण से कोई बस नहीं टकराई। सन् १९६२ में बस टकराने की ९ घटनायें हुईं जिनमें ३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

आनरेरी मैजिस्ट्रेट बेंच, बरेली

२८—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बरेली Honorary Magistrate Bench में कौन मजिस्ट्रेट कितने अर्से से काम करते हैं और उनको किन-किन तारीखों पर अब तक (३० जुलाई, १९६२) कितनी बार एक्सटेंशन दिया गया है?

श्री सैयद अली जहीर—बरेली सिटी बेंच में सर्वश्री रामअौतार अग्रवाल तथा बी० एन० खन्ना हैं जो क्रमशः १२-५-१९५५ और २६-१२-१९५६ से काम कर रहे हैं। श्री रामअौतार अग्रवाल को १५-५-१९५६, २७-४-१९५९, १-५-१९६२ और ३०-६-१९६२ और श्री बी० एन० खन्ना को ३०-४-१९५८ और १८-४-१९६० को एक्सटेंशन दिये गये।

२९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस बेंच के मजिस्ट्रेट खण्डसारी शक्कर का काम करते हैं?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

३०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या यह सही है कि इस बेंच के मजिस्ट्रेटों के खिलाफ सेशन जज बरेली ने केस नं० १२०/६१ में, जिसका फैसला उन्होंने ६ सितम्बर, १९६१ को दिया, मजिस्ट्रेट साहबान के खिलाफ strong stricture इस अमल के पास किये कि वह आफिस रिकार्ड में बाद को परिवर्तन कर देते हैं और hot headedness से काम करते हैं?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

अकबरपुर-जलालपुर बस सर्विस की आवश्यकता

३१—श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अकबरपुर से अहरौला-वाया-जलालपुर होते हुये कब से रोडवेज की बसें चलाने का विचार कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—निकट भविष्य में नहीं।

३२—श्री जगदम्बाप्रसाद—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विषय के बारे में कोई प्रार्थना-पत्र भी आया है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

सहजीरपुर ग्राम के निकट फूलपुर रजबहा पर पुल

३३—श्री मंगलदेव (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में फूलपुर, जिला आजमगढ़ में सहजीरपुर ग्राम में जो नहर पर पुल बन रहा था उसको कुछ लोगों ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है?

श्री राममूर्ति—ग्राम सहजीरपुर, जिला आजमगढ़ के निकट फूलपुर रजवहा के मील ३७ फर्लांग ४ पर पुल बनाना १८-७-१९६२ को प्रारम्भ हुआ परन्तु श्री सन्तबख्शशाह इत्यादि निवासी ग्राम फूलपुर ने बाधा डाली। जिससे कार्य समाप्त न हो सका परन्तु जो काम हो गया था उसको कोई हानि नहीं हुई है।

३४—श्री मंगलदेव (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सच है कि ठेकेदार जो पुल बना रहा था उसने उक्त घटना की रिपोर्ट अहरौला थाने में की? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—ओवरसियर द्वारा श्री सन्तबक्सशाह इत्यादि के विरुद्ध रिपोर्ट पुलिस स्टेशन अहरौला में दिनांक २५-७-१९६२ को की गई थी उस पर की गई कार्यवाही की सूचना अभी शासन को उपलब्ध नहीं है।

३५—श्री मंगलदेव (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उक्त पुल के न बनने से माहुल-फूलपुर सड़क पर यातायात की बहुत कठिनाई पैदा हो गई है?

श्री राममूर्ति —इस पुल के निर्माण न होने से माहुल-फूलपुर सड़क पर यातायात में कोई विशेष बाधा नहीं हुई है क्योंकि कार्य प्रारम्भ होने से पहिले ही अस्थाई सड़क बना दी गई थी जो कि अब तक सन्तोषपूर्ण दशा में है।

३६-३७—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री दौलतराम (जिला आजमगढ़)—[हटा दिये गये।]

थिकमा तथा लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी नहरों का निर्माण

३८—श्री झिलमिटराम—क्या सिंचाई मन्त्री प्रश्न संख्या १३० व १३१, दिनांक ३१ जुलाई, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में सम्बन्धित नहरों का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था और कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

श्री राममूर्ति—सम्बन्धित थिकमा तथा लालगंज डिस्ट्रीब्यूटर का निर्माण क्रमशः मई, १९५७ व जुलाई, १९६० में प्रारम्भ किया गया था।

थिकमा डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य मार्च, १९६२ में समाप्त हो गया तथा लालागंज डिस्ट्रीब्यूट्री का कार्य मार्च, १९६४ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

अदमापुर ग्राम से पतरौल के विरुद्ध शिकायत

३९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, सन् १९६२ में अदमापुर (बरुआसबलपुर) तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के निवासियों का एक प्रार्थना-पत्र वहां के पतरौल के विरुद्ध कि वह रिश्वत न देने पर गलत इन्दराज करके या दूसरे तरीके से किसानों को परेशान करते हैं, मिला है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

४०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—अगर हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न ही नहीं उठता है।

बिलारी तहसील की मानिकपुर ड्रेन योजना

*४१—श्री हेतरामसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद में ग्राम मानिकपुर नरौली, गुमथल, अकरौली, बनियाखेड़ा से एक नाला खोदकर (२ मील लम्बाई) अरल नदी में मिलाने की योजना बरसात के पानी भर जाने से चार या पांच हजार बीघा जमीन जलमग्न रहने और ग्राम मानिकपुर को डूबने से बचाने के लिये लगभग चार वर्ष से चल रही है परन्तु अभी तक कोई भी काम नहीं हो पाया है ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र इस कार्य को कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, बरसाती पानी निकाल कर अरिल नदी में डालने के लिये एक मील तीन फर्लांग लम्बी एक ड्रेन (मानिकपुर ड्रेन) बनाने की योजना थी किन्तु बनिया खेड़ा के निवासियों ने इस ड्रेन के खोदे जाने पर विरोध किया और दावा कर दिया। मुकदमे की सुनवाई १८-८-१९६२ को थी और उसके फैसले की प्रतिलिपि प्राप्त हो जाने पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

लखनपुर माइनर का सिंचित क्षेत्र

४२—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में लक्खनपुर माइनर कैनाल से किन-किन गावों के कितने रकबे की सिंचाई होती है ?

श्री राममूर्ति—आजमगढ़ जिले में लखनपुर माइनर से अभी तक केवल ग्राम कुस्मारी में सिंचाई हुई है जो इस प्रकार है:—

रबी १३६७ में १४ एकड़
खरीफ १३६९ में ४४ एकड़
खरीफ १३७० में १२ एकड़

४३—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार खलीफतपुर भड़सरा, नथरिया, ओरा, लखनपुर, लेवली, डेवहटा, कोठीहार गांवों की भी सिंचाई की व्यवस्था लक्खनपुर माइनर कैनाल द्वारा करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—इन सभी वर्णित ग्रामों की सिंचाई की व्यवस्था लखनपुर माइनर से है। आगामी रबी १३७० से इन सभी ग्रामों की सिंचाई के लिये पानी दिया जावेगा।

४४-४५—श्री कल्पनार्थसिंह—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

फतेहपुर रोडवेज बस स्टेशन

४६—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर रोडवेज बस स्टेशन (जिला फतेहपुर) में बरसात में अधिकतर पानी भरा रहता है तथा इस समय भी पानी भरा हुआ है जिससे बसों तथा यात्रियों को पानी में घुसकर आना जाना पड़ता है ? साथ ही यात्रियों को ठहरने के लिये तथा ड्राइवरों व कन्डक्टरों के विश्राम के लिये अलग से कोई उचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो सरकार उक्त कठिनाइयों व असुविधाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। इसी विचार से दूसरी जगह पर स्टेशन की इमारत तामीर करवाने की व्यवस्था की जा रही है।

खुर्जा नलकूप

४७—श्री मुम्ताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलकूप नं० १४ स्थित खुर्जा डिवीजन अलीगढ़ एक वर्ष से खराब पड़ा हुआ है ? क्या सरकार इसका कारण बता सकेगी ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां। प्रश्न का द्वितीय भाग—स्लाटेड ट्यूब (Slatted Tube) में पंचर हो जाने के कारण यह नलकूप फेल हो गया।

बांसी का नलकूप

४८—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुकाम बांसी, जिला बस्ती में कोई सरकारी ट्यूबवेल है ? यदि है, तो वह कब बना और कितनी लागत में बना और उससे क्या काम लिया जा रहा है ?

(अ) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ट्यूबवेल से सम्बन्धित कितनी लम्बी गूल और नाली सरकार ने बनवाई है, कब और कितनी लागत से और आज तक उपरोक्त ट्यूबवेल की सिंचाई से कितनी आमदनी हुई ?

श्री राममूर्ति—जी हां, मुकाम बांसी जिला बस्ती में राजकीय नलकूप संख्या ११ है, जो कि सन् १९५६ में बना। इस पर लगभग ३०,९०७ रुपये व्यय हुआ। वर्तमान समय में इस कूप से बाँसी कस्बे को शुद्ध पेय जल की सुविधा प्रदान की जा रही है।

(अ) इस कूप पर १ मील ३९६ फी० पक्की एवं ७ फ० ४४१ फी० कच्ची गूल बनी है जो कि नलकूप के निर्माण के समय में ही अर्थात् सन् १९५६ में बनी थी। गूलों की अनुमानित लागत ७,५४० रुपया है इस नलकूप से सिंचाई कर के रूप में ३७ रुपये राजस्व की आमदनी प्राप्त हुई है।

४९—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—[हटा दिया गया।]

५०-५२—श्री हिम्मतसिंह—[१६ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज, लखनऊ क्षेत्र के कर्मचारी

५३—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या परिवहन मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ रीजन में कुल कितने बस कन्डक्टर, कितने जूनियर क्लर्क तथा कितने बुकिंग क्लर्क हैं और उनकी ग्रेडेशन लिस्ट क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

बस कन्डक्टर	४२८
जूनियर तथा बुकिंग क्लर्क	४२३

इनकी ग्रेडेशन लिस्ट बहुत लम्बी है। माननीय सदस्य इसे मेरे कमरे में देख सकते हैं।

५४—श्री अवधेशकुमार सिनहा—क्या यह सही है कि सरकार ने जी० ओ० सं० ५५८५/३०-ए-४२०-४-५९, दिनांक २९ दिसम्बर, १९६१ के द्वारा विभागीय बस कन्डक्टरों को जनियर क्लर्कों तथा जूनियर क्लर्कों की पदोन्नति के लिये कोई व्यवस्था निर्धारित की है ? यदि हां, तो उस जी० ओ० के अनुसार किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों को अब तक प्रमोशन दिया गया है और कितने बाकी हैं और किस कारण से ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। अभी इस जी० ओ० के आधीन स्थायी रूप से पदोन्नतियां नहीं की गई हैं क्योंकि सम्बन्धित मामले विचाराधीन हैं। प्रश्न नहीं उठते।

५५—श्री अवधेशकुमार सिनहा—क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त जी० ओ० के अनुसार ए० टी० आई० (असिस्टेंट ट्राफिक इन्स्पेक्टर) के पद पर पदोन्नति के लिये सरकार बस कन्डक्टरों को प्राथमिकता देती है अथवा जूनियर और बुकिंग क्लर्कों को ?

श्री मुजफ्फर हसन—इनकी पदोन्नति के लिये अनुपात निश्चित है। इसलिये प्राथमिकता का सवाल नहीं उठता।

५६-५७—श्री चन्द्रबलीसिंह—[हटा दिये गये।]

बलिया व बलरामपुर क्षेत्र की बस सर्विस

५८—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र के बलिया डिपो में १३ और बलरामपुर डिपो में ७ बसें जुलाई के तृतीय सप्ताह से बन्द हैं ? यदि हां, तो उनके बन्द होने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस समय बलिया व बलरामपुर डिपो में केवल तीन तीन गाड़ियां बन्द हैं जिनकी मेजर रिपेयर्स होना है।

५९-६०—श्री चन्द्रबलीसिंह—[हटा दिये गये।]

कार्य-सूची में उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ के न होने के संबंध में जानकारी

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—कल जो कार्यक्रम मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया था, माननीय नेता उग्रसेन जी ने प्रार्थना की थी कि जोत-कर विधेयक इसमें से निकाल दिया जाय। तो क्या उनकी बात मानकर सरकार ने वह विधेयक वापस ले लिया है क्यों कि वह आज के कार्यक्रम में छपा नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—हमारे पास इस बात की सूचना नहीं है कि जोत-कर विधेयक निकाला गया है। जिस क्रम में माननीय सूचना मन्त्री ने रखा था उसी में हमने रख दिया है। अभी कुछ बिल और आवेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अगर सरकार ने उसे वापस ले लिया है तो हम उसे धन्यवाद दे दें ?

श्री अध्यक्ष—फिर दीजियेगा, अभी नहीं।

हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव विधान सभा—मैं विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ७९९-८०० पर)

नेशनल हेरल्ड के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं विशेषाधिकार के सम्बन्ध में सूचना दे दूं कि माननीय श्रीपार्लसिंह ने नेशनल हेरल्ड के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है। इसके ऊपर मैं कल अपना निर्णय या आदेश सदन के सामने रख दूंगा।

कुंवर श्रीपार्लसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी आज्ञा देने के पहले मुझे सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—मैंने अभी उसे स्टडी नहीं किया है। पहली बात तो यह देखनी है कि सदन के बाहर की घटना पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं। इस टेक्नीकल बात को मैंने अभी स्टडी नहीं किया है।

कुंवर श्रीपार्लसिंह—इसी के बारे में मैं कुछ एक दो नजीरें रखूंगा जिनमें बाहर की घटना पर विशेषाधिकार की कार्यवाही चली है और ताड़ना की गई है।

श्री अध्यक्ष—वह दृष्टिकोण सामने रखिये कि जिससे मुझे स्टडी करने में जरा सुविधा हो। सदन के बाहर यदि किसी तरह की टीका हो, हमारे सदन की कार्यवाहियों पर, भाषणों पर या हमारे निर्णय पर, तो उससे सदन का अवमान होता हो, एक यह दृष्टिकोण है। जैसे पिछली मर्तबा यूनिवर्सिटी में कुछ बातें हुईं और हमारे सदन में हुए भाषणों पर कटाक्ष हुए, तो हमने उन्हें नोटिस दिया और बुलवाया। अगर उस वक्तव्य का सम्बन्ध इस सदन से हो, सदन के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ कहा हो जिससे हमारा अवमान होता हो, ऐसी नजीर यदि हैं तो मुझे ग्राह्य होगी।

कुंवर श्रीपार्लसिंह—यह तो है ही। अगर कोई इस तरह का वक्तव्य हो जिससे किसी माननीय सदस्य के कैरेक्टर पर लांछन आता हो या उसकी सदस्यता को अनर्हता के दायरे में लाता हो, तो ऐसी भी नजीर मैं दे सकूंगा, यानी जिससे यह प्रकट हो कि माननीय सदस्य के मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया है या वह पागल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—जो मैंने संकेत किया वह यह है कि उन माननीय सदस्य की अनर्हता उनके विचारों या भाषणों के सम्बन्ध में कटाक्ष, ये सब बातें देखने की हैं। अगर उससे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगता तो फिर कुछ नहीं होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मुझे ऐसी सूचना है कि माननीय मुख्य मन्त्री के प्रेस अटैची भी साथ गये थे और उन्होंने एक अथराइज्ड वर्शन पी० टी० आई० को और अन्य अखबारों को दिया जिसे उन्होंने छापा। तो मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री पर या उनके सूचना अफसर पर जो उनके साथ था यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठेगा। कल पायनियर में छपा है कि अथराइज्ड वर्शन मेड अवेलेबिल (Authorised version made available) यानी जो अधिकृत वक्तव्य प्रेस वालों को दिया गया वह सूचना अटैची ने दिया।

श्री अध्यक्ष—यह काल्पनिक प्रश्न है। हमारे सामने कोई ऐसी सूचना नहीं है। जब आप मुझे लिख कर देंगे तब मैं देखूंगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—मैंने उग्रसेन जी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—कल उस पर फैसला दूंगा।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—मुख्य मन्त्री के कानपुर के भाषण के सम्बन्ध में जो प्रश्न विचाराधीन है उससे मिलता-जुलता यह गोरखपुर का उनका भाषण है। इसमें मुख्य मन्त्री जी ने कहा है "हमारे दल में और सरकार में हमारे सहयोगी भी बहुत से हैं जो करों का विरोध करते हैं।" मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मन्त्री जी इसे भी डिनाई करते हैं या इसे स्वीकार करते हैं जो १६ तारीख के गोरखपुर के समाचार में "आज" अखबार में निकला है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट उनके वक्तव्य के अनुसार है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न सदन के सामने नहीं है, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, आपने हमें यह आदेश दिया है कि हम यह ध्यान में रखें कि प्रिविलेज का जो इश्यू है उसकी मुख्य घटना से सम्बन्धित बात ही कहें। तो अध्यक्ष महोदय, आप भी यह कृपया ध्यान में रखें कि बाहर की जो घटना है वह २-३ पैरों में छपी है लेकिन उसका खंडन केवल ४ लाइनों में ही किया गया है और कह दिया गया है कि यह सब झूठ है। पूरी बात नहीं बतायी गयी कि पूरे वक्तव्य में कौन-कौन सी बात गलत है और कौन-कौन सी ठीक है। मैं आपके सामने जनरल आफ दि सोसाइटी आफ क्लर्क्स, १९४७ रखना चाहता हूं जिसमें प्रिविलेज के इश्यू के बारे में आया है।

श्री अध्यक्ष—इसको तो आप कल रख सकेंगे अथवा मेरे कक्ष में मुझे बता दीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं आज के पायनियर के कुछ अंश को भी पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब कदाचित् पायनियर के एडीटोरियल से है। उसको मैं पढ़ चुका हूं।

श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं जिला कानपुर से आता हूं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं। कानपुर में माननीय मुख्य मन्त्री ने जो बयान दिया उसके बारे में चारों ओर यही चर्चा है।

श्री अध्यक्ष—आप उसको मुझे लिख कर दे दीजिये। मैं उसको देख लूंगा।

प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक कृषि आयोग का गठन किया है और प्रदेश की सरकार से उसने सुझाव मांगा था, लेकिन उसके बारे में इस सरकार ने नकारात्मक उत्तर दे दिया है। मैं आपके जरिये से माननीय मुख्य मन्त्री से जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों किया गया। प्रदेश में जितने सरकारी फार्म हैं उनमें डेढ़ करोड़ का तो घाटा हो चुका है। सिसई फार्म का आपने सुना है। फिर भी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ऐसा उत्तर क्यों दे दिया जब कि उन्होंने इनसे सुझाव मांगा था।

श्री अध्यक्ष—आप मुझे मेरे कक्ष में समझा दीजिये। आपके आशय को मैं समझ नहीं पाया।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मुझे श्री झारखंडे राय की एक सूचना मिली है। मैंने इसी सम्बन्ध में कल निवेदन किया था कि मैं उसको माननीय गृह मन्त्री जी के पास भेज दूंगा और मैंने उसको कल ही भेज दिया। लेकिन आपने फिर आज उसको दे दिया।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—जी हां, आपने भेजने के लिये कहा था लेकिन वह तो दुबौली गोली कांड से सम्बन्धित था। यह पत्रकार के बारे में है जो वहां मारा गया है।

श्री अध्यक्ष—मैंने दोनों भेज दिये हैं।

श्री झारखंडेराय—आप पत्रकारों के मामले में वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—मेरा निवेदन है कि उस सम्बन्ध में आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। वक्तव्य से आपका कोई खास मतलब सिद्ध नहीं होगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—एक मेरा भी था, कृपया आप उसको पढ़ कर सुना दें। श्रीमन्, एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को पुलिस ने पकड़ कर घसीटा है।

श्री अध्यक्ष—वह तो आपने बतला दिया था, अब रहा यह कि सबको पढ़ कर मैं कैसे सुना सकता हूं?

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है शिकोहाबाद की पुलिस की बर्बरता के सम्बन्ध में और उस सिलसिले में वहां हड़ताल भी चल रही थी और इस वक्त भी.....।

श्री अध्यक्ष—आपने मैनपुरी, शिकोहाबाद के एक विशेष व्यक्ति के प्रति पुलिस का जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके सम्बन्ध में अपना कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। उसे मैंने लोक महत्व का न मान कर अस्वीकृत किया है।

नियम ५२ के अन्तर्गत कई सूचनायें आई हैं जिनमें से श्री हिम्मतसिंह की सूचना को मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है—

"उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा ६, ७ तथा ८ के लिये निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का प्रारम्भ से ही बाजार में बिलकुल अभाव है। वर्तमान शिक्षा सत्र प्रारम्भ हुये जुलाई, अगस्त तथा आधा सितम्बर समाप्त हो रहा है, फिर भी छात्रों के लिये पुस्तकों के न मिलने से अध्ययन की दृष्टि से एक विषम समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार पुस्तकों की व्यवस्था करने में बिलकुल असफल रही है। यह सभी राजकीय प्रकाशन की पुस्तकें हैं, फिर भी व्यवस्था न हो पाने के कारण छात्रों एवं जनता में घोर अव्यवस्था, असन्तोष, क्षोभ तथा उत्तेजना का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अस्तु, प्रदेश के कक्षा ६, ७, ८ के छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये नियम ५२ के अन्तर्गत आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

इसके ऊपर कब वक्तव्य दिया जायगा?

(कुछ ठहर कर)

माननीय शिक्षा मन्त्री नहीं हैं, तो मैं आदेश देता हूं कि इसके ऊपर २० तारीख को वक्तव्य होगा।

(श्री राधेश्याम शर्मा के खड़े होने पर)

आप कृपया बैठें, एक ही लिया जाता है और वह ले लिया गया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने नियम ५२ के अन्तर्गत नोटिस को स्वीकार किया है तो शिक्षा मन्त्रालय की तरफ से कोई मन्त्री यहां मौजूद नहीं था। यह कहा जा चुका है कि संयुक्त जिम्मेदारी मन्त्रिमंडल की होती है लेकिन

[श्री उग्रसेन]

उसके बीच में एक मन्त्री भी उठा नहीं जो कह सके कि इसके ऊपर कल या परसों वक्तव्य देंगे या क्या करेंगे। तो सदन के प्रति कौन जिम्मेदार होगा, श्रीमन्, आप तो हैं नहीं। आपने आदेश तो दे दिया लेकिन इसपर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो उनको आदेश दे दिया है।

श्री उग्रसेन—माननीय मुख्य मन्त्री को उठकर कम से कम कहना चाहिये था कि परसों वक्तव्य देंगे या कल देंगे।

श्री अध्यक्ष—मैंने निश्चय कर दिया है कि वे दो दिन के बाद वक्तव्य देंगे, चाहे वे हों या न हों, यह तो सदन का आदेश है।

श्री उग्रसेन—आपका आदेश तो शिरोधार्य है श्रीमन्, मुझे तो मन्त्रिमंडल के सम्बन्ध में कहना है कि माननीय नरसिंहनारायण ने जो बात कही है वह बिलकुल ठीक है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मुझे निवेदन करना है कि बड़ा दुखद सा लगता है कि जब इस प्रकार की चीज हो और सदन में हो तो यहां मन्त्री, उपमन्त्री या सभा-सचिव का रहना आवश्यक होता है। यदि इनमें से कोई भी उपस्थित न हो तो यह बड़ा अनुचित-सा है और मैं श्रीमन् से निवेदन करूंगा कि इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये और सरकार को और आपको इसके लिये व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है। मैं यह जानना चाहता था कि नोटिस उनके पास पहुंच गयी या नहीं। मुझे अब मालूम हुआ कि नोटिस उनके पास पहुंच गयी है और यह बहुत ही अनुचित है कि वे स्वयं यहां उपस्थित होकर यह न कह सकें कि वे कब वक्तव्य देंगे। मैं इसको अनुचित समझता हूं। इस बात की सूचना जब उनको दी गयी थी तो उनको यहां उपस्थित रहना चाहिये, यह ठीक है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—एक बात मुझे वक्तव्य के सम्बन्ध में कहनी है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप बैठें, माननीय दीपनारायणसिंह जी कुछ कहना चाहते हैं और वे खड़े हैं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—श्रीमन्, विधान परिषद् के अध्यक्ष महोदय ने यह नियम बना रखा है कि जो दफा ५२ और ५३ की सूचना आवे, वह पढ़ कर सुना दी जाय, चाहे स्वीकार हो या न हो। आप भी उसी परिपाटी का पालन करें तो अधिक अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधान परिषद् की बात विधान सभा माने या विधान सभा की बात विधान परिषद् माने?

श्री दीपनारायणसिंह—आप दोनों मिल कर इस चीज को तय कर सकते हैं कि दोनों जगह एक ही नियम का पालन हो।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब इस आदरणीय सदन के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी केबिनेट की है और सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां विराजमान हैं तो शिक्षा मन्त्री जी की अनुपस्थिति में उनको जवाब देना चाहिये था। इसलिये आप व्यवस्था दें कि उस समय मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे क्या कर रहे थे, वह शिक्षा मन्त्री की जगह उपस्थित क्यों नहीं हुये?

श्री अध्यक्ष—आप तो इतनी छोटी-छोटी बातों पर.....

श्री उग्रसेन—यह छोटी बात नहीं है, यह आप के लिये छोटी हो सकती है लेकिन प्रजातन्त्र के लिये यह छोटी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन—अगर आप इसको छोटी बात समझेंगे तो यहां की व्यवस्था और प्रजातन्त्र कैसे चलेगा, यह छोटी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को या किसी मन्त्री को जवाब देना चाहिये था लेकिन इसमें अपवाद हो सकता है। मेरे पास जब यह आया, तो साढ़े दस बजे इसको शिक्षा मन्त्री जी के पास भेज दिया गया, लेकिन यह भी सम्भव है कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी को इत्तिला न हुई हो। ऐसी हालत में, यह आशा करना कि माननीय मुख्य मन्त्री जी उत्तर दें, गलत होगा। हो सकता है कि पहले से कार्यक्रम में कोई आइटम हो तो उस अवस्था में किसी मन्त्री की अनुपस्थिति में माननीय मुख्य मन्त्री का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह बयान दें या कोई प्रबन्ध करें लेकिन यह कि एक सूचना उनके पास भेजी गई और वह नहीं आये तो उस सम्बन्ध में जो व्यवस्था मुझे देनी थी वह मैंने दे दी। मैंने कह दिया कि यह अनुचित था और आशा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने साथियों और मन्त्रियों को आगाह कर देंगे। यह एक खामी हुई और जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने कह दिया।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, इस प्रकार से माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने सदन का अपमान किया है और मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२*

वित्त उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कोई नया कर लगाने के लिये या किसी वर्तमान कर की दरों में वृद्धि करने के लिये नहीं लाया गया है बल्कि यह बिक्री-कर ऐक्ट की वर्किंग के सम्बन्ध में अदालतों के फैसलों से जो कठिनाइयां पैदा हो गई हैं या व्यापारियों के काम में जो कुछ कठिनाइयां हैं उनके निराकरण के लिये या कुछ अन्य सुधारों के लिये लाया गया है। उन में से कुछ मुख्य-मुख्य बातें मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा। १ अप्रैल, सन् १९५६ के पहले हमारे इस ऐक्ट में व्यवस्था थी कि बिक्री-कर निर्धारण के लिये यह व्यापारी के आप्शन पर है कि वह कर निर्धारण वर्ष अथवा पूर्व वर्ष के विक्रय धन को उसका आधार स्वीकार करे। लेकिन दोनों सूरतों में वह कर जो प्रचलित दरें कर निर्माण वर्ष में होती थीं उनके अनुसार ही लगता था। मोदी फूड कम्पनी प्रोडक्ट्स ने पूर्व वर्ष के विक्रय धन को ही कर निर्धारण का आधार आप्ट किया था। सन् १९४८-४९ का कर निर्धारण किया जा रहा था उसी साल ९ जून से विक्रय-कर की दरों में कुछ परिवर्तन हो गया और अखाद्य तेलों पर पहले विक्रय-कर की दर ३ पाई प्रति रुपया थी लेकिन ९ जून, १९४८ से उसकी दर ६ पाई प्रति रुपया हो गई और जिस तरह से वह कर लगाया जाता था उसी के हिसाब से पूर्व वर्ष के विक्रय धन पर भी इन दो दरों के आधार पर टैक्स लगाया गया, यानी उतने दिन के लिये जितने दिन के लिये ३ पाई प्रति रुपया की दर थी उस हिसाब से टैक्स लगाया गया और बाकी

---

*२१ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री जयराम वर्मा]

बिलों के लिये ६ पाई प्रति रुपया के हिसाब से टैक्स लगाया गया। मोदी फूड प्रोडक्ट्स कम्पनी लिमिटेड ने इस पर एतराज किया, वह अपील में चले गये । आखिर में सुप्रीम कोर्ट का एक मेजोरिटी जजमेंट यह हुआ कि जब तक अधिनियम में कोई निश्चित व्यवस्था न हो तब तक उस व्यापारी पर जिसने पूर्व वर्ष के विक्रय धन को अपना आधार स्वीकार किया तो कर निर्धारण वर्ष में, कर की दरों में जो परिवर्तन है उसका प्रभाव कर निर्धारण के लिये नहीं पड़ना चाहिये। उनकी अपील मन्जूर हो गई। उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार के लिये जरूरी हो गया कि जो उसने अपने विचार के हिसाब से टैक्स लगाया था उसको वापस करे। टैक्स का वापस करना न तो सरकार के हित में था और न कन्ज्यूमर्स के हित में था क्योंकि कनज्यूमर्स ने तो परिवर्तित दरों के आधार पर टैक्स दे दिया था। इसलिये आवश्यक हो गया कि जो एक दिक्कत पैदा हो गई है उसको सुधारा जाय। इसलिये इसमें एक नई धारा ३१ जोड़ करके यह संशोधन किया जा रहा है कि चाहे पूर्व वर्ष के विक्रय धन को किसी ने अपना आधार माना हो, चाहे कर निर्धारण वर्ष के विक्रय धन को अपना आधार माना हो, कर निर्धारण वर्ष में जो दरें प्रचलित रहेंगी उसी के अनुसार कर निर्धारण किया जायगा। और इस संशोधन को १ अप्रैल, १९४८ से संशोधन हुआ मान करके जो डिफिकल्टी पैदा हो गई है उसको रिमूव किया जा रहा है। एक तो यह मंशा इस विधेयक को लाने की है।

दूसरी मंशा यह है कि पहले, २० जुलाई, १९६१ के पहले, किसी प्रार्थना-पत्र पर या रिवीजन के प्रार्थना-पत्र पर कोई शुल्क नहीं लगता था। उसका परिणाम यह होता था कि अपीलें और रिवीजन कभी कभी फ्रिवलस ग्राउन्ड्स पर हो जाया करते थे और बहुत सा रुपया इस तरह से टैक्स का स्टे में पड़ जाया करता था। कोई शुल्क न होने की वजह से उसके आधार पर कोई आमदनी भी नहीं होती थी। इसलिये नियमों में यह व्यवस्था कर दी गई कि २० जुलाई, १९६१ से ज्ञापपत्र रिवीजन के प्रार्थना-पत्र और अन्य प्रार्थना-पत्रों पर एक मुकर्रर की गई दर के हिसाब से शुल्क लिया जायगा। इस मामले में भी एक मामला जज रिवीजन के यहां अपील में चला गया। उस पर उन्होंने यह होल्ड कर दिया कि ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर जो ऐसे मामलों से संबंधित हों जिनके बारे में कर निर्धारण की कार्यवाही २० जुलाई, १९६१ के पहले शुरू हो गई हो, कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है। इससे एक अनामली पैदा हो गई कि कुछ प्रार्थनापत्रों पर शुल्क लिया जाय और कुछ पर न लिया जाय और जो शुल्क पहले से लिया गया उसको वापस किया जाय। इसलिये यहां भी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि इस डिफिकल्टी को रिमूव किया जाय। एक नई धारा ३२ जोड़ करके यह संशोधन कर दिया गया है और यह निश्चित व्यवस्था कर दी गई है कि कर निर्धारण की कार्यवाही चाहे २० जुलाई, १९६१ के पहले या बाद में शुरू हुई हो, जो प्रार्थनापत्र उक्त दिनांक के बाद आये हैं उन पर शुल्क लगेगा। ये कानूनी दिक्कतें थीं जिनके निराकरण के लिये यह विधेयक लाया गया है।

कुछ व्यापारियों की कठिनाई को दूर करने की भी मंशा इस विधेयक की है। पहली बात यह है कि अब तक नियम यह था कि व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन वार्षिक हुआ करता था। व्यापारियों की कई वर्षों से यह मांग रही है कि बजाय १ वर्ष के उनका रजिस्ट्रेशन ज्यादा समय के लिये एक साथ ही हुआ करे। यह बात उनकी मंजूर कर ली गयी और अब उनका रजिस्ट्रेशन १ वर्ष के बजाय तीन वर्ष तक एक साथ हो सकेगा।

एक और उनकी थोड़ी सी कठिनाई सामने आई। ओरिजिनल ऐक्ट की धारा ४ और ३० में जो कार्यवाही होती थी उसके लिये हमारे उस अधिनियम में अपील की आवश्यक व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि हमारी यह मंशा नहीं थी कि अपील न हो सके। तो उस कमी को भी इस संशोधन विधेयक के द्वारा दूर किया जा रहा है और सेक्शन ४ और ३० के फैसलों के खिलाफ भी अपील की उचित व्यवस्था की जा रही है।

कुछ और कठिनाइयां थीं उनको भी दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। एक बात यह है कि सन् १९५६ से इस टैक्स के मामले इतने बढ़ गये हैं कि उनको जल्दी से तै करना मुश्किल हो गया है। बहुत से लोग अपील में चले जाते थे और बहुत से लोग रिवीजन में गये। बहुत से केसेज पड़े रह जाते थे जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सा रुपया स्टे में पड़ गया। इस वक्त ७० हजार प्रार्थनापत्र ऐसे हैं जो अपील में पड़े हैं और १२ हजार रिवीजन में पड़े हुये है। यह काम जल्दी से हो सके इसके लिये जज अपील की संख्या बढ़ा कर १६ कर दी गयी। लेकिन जज रिवीजन की संख्या इस अधिनियम में निर्धारित थी। जज रिवीजन के अतिरिक्त एक ही अतिरिक्त जज रिवीजन हो सकता था और उस कमी को दूर करने के लिये संशोधन किया जा रहा है जिसमें १ के बजाय कई अतिरिक्त जज रिवीजन रख सकने की व्यवस्था की जा रही है।

इसके अतिरिक्त स्टे की ऐप्लिकेशंस में कठिनाइयां कुछ थीं। कभी कभी ऐसा हो जाता था जिनके बारे में कोई अपील न हो, कोई रिवीजन न हो, फिर भी स्टे ऐप्लिकेशंस पड़ जाती थीं। उसके विषय में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी कि इस तरह की ऐप्लिकेशंस नहीं पड़ सकती हैं। इसमें संशोधन करके यह निश्चित किया है कि स्टे की ऐप्लिकेशंस तभी पड़ सकती हैं जब कि उसके संबंध में अपील या रिवीजन विचाराधीन हो। स्टे की ऐप्लिकेशंस मंजूर हो गयी और किसी सेक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गयी इसमें कभी कभी रुपया मारा जाता था। इसलिये इसमें यह संशोधन करके व्यवस्था कर दी गयी है कि जब स्टे का प्रार्थनापत्र मंजूर होगा तो इस शर्त पर होगा कि वह व्यापारी संबंधित कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार सेक्योरिटी दे। यह व्यवस्था करके उस कठिनाई को भी दूर कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त एक, दो और छोटी मोटी बाते हैं। अभी तक इस कानून में यह व्यवस्था थी कि व्यापारी केश मेमो में ऐसे माल के बारे में, जिस पर कर लगता हो ग्राहक को दिया करे लेकिन क्रेडिट मेमो का जिक्र नहीं था। एक कानूनी लेकुना था। उसको भी दूर कर दिया गया है और अब वह केश मेमो और क्रेडिट मेमो दोनों देगा, दोनों का हिसाब रखेगा। एक छोटा-सा लैक्युना और था कि ऐक्ट में सिर्फ यही व्यवस्था थी कि असेसमेंट हो जाने के बाद असेसमेंट की नोटिस व्यापारी को दी जायगी यद्यपि नियमों में असेसमेंट और डिमांड दोनों की नोटिस दी जाती थी और वह जरूरी भी था। तो ऐक्ट की इस कमी को भी संशोधन कर के दूर कर दिया गया है।

ये थोड़ी सी बातें हैं जिनको सामने रख कर यह विधेयक लाया गया है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इन बातों को सामने रख कर इस विधेयक पर विचार करें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—मैं आपका ध्यान एक बहुत ही आवश्यक चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं यदि आप इजाजत दें तो।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री कृष्णानन्द राय—अभी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सेक्शन ४ और ३० की आज्ञाओं के विरुद्ध चूंकि अपील का प्राविजन नहीं था वह इस संशोधन विधेयक के द्वारा कर दिया गया है। आप स्वयं एक कानूनी विशेषज्ञ हैं। आप वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर लायें। आप इस विधेयक का खंड ४ देख लें। उसमें सेक्शन ९ के क्लाज १ के सब-क्लाज (३) में यह अमेंडमेंट ला रहे हैं कि अपीलेट कोर्ट को यह अधिकार होगा कि खंड ४ और ३० के अन्तर्गत दी गयी आज्ञाओं को वह रद्द कर सके या परिष्कृत कर सके, लेकिन सेक्शन ९ के सब-क्लाज (१) में कोई अमेंडमेंट नहीं ला रहे हैं जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि केवल सेक्शन ७ और १५ में ही अपील की जा सकती है। सेक्शन ९ अपनी जगह पर रह जायगा।

श्री अध्यक्ष—अगर आप पूरा सेक्शन पढ़ दें तो मेरी समझ में आ जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—सेक्शन ९ का क्लाज (१) इस तरीके से है—

"Any dealer objecting to an order imposing a penalty under section 15(a) or assessment under section 7, 7(a) 7(b), 18 or 21 may within 30 days appeal."

यह प्राविजन है कि सेक्शन ७–ए और १५–ए में ही अपील कर सकता है। सेक्शन ४–ए की आज्ञाओं के खिलाफ अपील प्रोवाइडेड नहीं है। अब क्लाज ३ का अमेंडमेंट ये कर रहे हैं कि अपीलेट कोर्ट क्लाज ४ की आज्ञाओं के खिलाफ अपील पर आर्डर दे सकता है। लेकिन जब क्लाज १ में अपील ले नहीं हो सकता तो वह आर्डर कैसे दे सकता है। यह लीगल फ्ला है। हम लोग पास कर देंगे और यह ऐसे ही रह जायगा।

श्री अध्यक्ष—यह इस तरह से है—

"Any dealer objecting to an order imposing a penalty under section 15(a) or to an assessment made under section 7, 7(a), 7(b), 18 or 21 may within 30 days from the date of service of the copy of the order or notice of assessment, as the case may be."

इसकी बजाय यह कर रहे हैं—

"Any dealer objecting to an order allowing or refusing an application for exemption certificate under clause (b) of sub-section (1) of section 4 or to an order refusing an application under section 30."

कह क्या रहे थे आप ?

श्री कृष्णानन्द राय—मैं यह कह रहा था कि अभी आपने सेक्शन ९ का क्लाज (१) पढ़ा जिसमें लिखा है कि डीलर १५–ए, ७, ७–ए, ७–बी, १८ या २१ के बारे में अपील कर सकता है। यानी ४ और ३० के आदेश के बारे में अपील नहीं कर सकता और जब यह नहीं कर सकता तो क्लाज ३ में आप कोर्ट को पावर कैसे दे सकते हैं कि वह सेक्शन ४ और ३० की आज्ञाओं के विरुद्ध अपील कर सकता है। जब तक आप सेक्शन (९) (१) में अमेंडमेंट न लायें तब तक मकसद हल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—सेक्शन ९ (१) में क्या अमेंडमेंट होगा ?

श्री कृष्णानन्द राय—अमेंडमेंट यह होगा कि "Any dealer objecting to an order imposing a penalty.....

यह सब लिखने के बाद "Or an order under section 4 or under section 30." यह बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—उसमें एक अमेंडमेंट हो गया है। वह इस तरह से है—

"Any dealer objecting to an order allowing or refusing an application for exemption certificate under clause (b) of sub-section (1) of section (4) or to an order refusing an application under section 3 or to an order imposing

जो आप पढ़ रहे हैं 'Any dealer objecting to an order' यह अमेंड हो कर 'A dealer objecting' के बाद यह क्लाज जोड़ा गया है। यह क्लाज १९५९ में जोड़ा गया है। आप अमेंडमेंट ऐक्ट देख लीजिये। फिर से देख लेंगे।

(कुछ ठहर कर)

माननीय दीपनारायण जी आप बोल सकते हैं, मैं रोकता नहीं हूं। लेकिन यह टैक्स लगाने वाले बिल नहीं हैं और बिलकुल प्रोसीजरल हैं, इसलिये प्रवर समिति में भेजने

का प्रस्ताव तो ठीक है लेकिन जनमत के लिये जो आप भेज रहे हैं तो उसमें दिक्कत मालूम होती है । वैसे आप बोलना चाहें बोल लें ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात सही है, लेकिन यह जो विधेयक अधिनियम में संशोधन उपस्थित करने के लिये लाया गया है इसकी मंशा माननीय मंत्री जी ने जो बताई है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसके आधार पर यह ले आये हैं कि सुप्रीम कोर्ट की राय को खत्म कर दिया जाय । यह विधेयक और आपकी मंशा जाहिर करती है कि आप सोच समझ कर विधेयक नहीं लाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—यह मैं कह रहा था । मेरा प्वाइंट आप समझ लीजिये । सुप्रीम कोर्ट ने एक फसला किया, उसको मीट आउट करना चाहते हैं तो इसको प्रवर समिति देख सकती है, जनमत क्या देखेगा ?

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी आधार पर कह रहा हूं । आप प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को नामंजूर करना चाहते हैं और जनमत में भेजने के प्रस्ताव को भी नहीं मंजूर करना चाहते हैं । इसलिये चूंकि जनवाद में ....

श्री अध्यक्ष—आप पहले अपना प्रस्ताव तो मूव कीजिये ।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को राय जानने के लिये तीन मास तक परिचालित किया जाय ।"

यह इसलिये मैंने रखा है कि जनमत ही सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की राय है । अगर जनमत नहीं होता तो आप गवर्नमेंट में उधर न बैठे होते । इसलिये उसी जनमत के सामने आपकी राय का नमूना, आपकी आत्मा का नमूना, आपके दिमाग के नमूने को भेजे जाने की जरूरत है । जिस जनमत के बल पर आप यहां बैठे हैं ताकि वह जान सके कि आप इतने अक्लमंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये फैसले को भी आप मानने से इंकार कर रहे हैं । मेरी दलील यह है ....

श्री अध्यक्ष—अब जरा विधेयक पर बोलिये ।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मैं इस सिद्धान्त के सख्त खिलाफ हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय दे तो उसको रद्द करने की मंशा से संशोधन विधेयक लाया जाय । इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट नलिटी हो जाती है और उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है । यह सोच समझ कर विधेयक लायें और किसी विधेयक को लाकर उसको चीथड़ा न बनायें । अगर किसी विधेयक में बहुत से संशोधन लाये जायं तो ऐसा मालूम होता है कि किसी खूबसूरत कपड़े में चिथड़े लग गये हों । सुन्दर कपड़े में अगर टोप लग जाय तो वह बद-सूरत लगने लगता है इसलिये आप किसी विधेयक को बदसूरत न बनवायें । आयन्दा आप ख्याल रखें ।

आपको सोचने का मौका मिलेगा कम से कम एक सिद्धान्त की बात है । मान लो इस साल कोई कपड़ा दो रुपये गज है और वही कपड़ा पारसाल एक रुपये गज था तो जितना कपड़ा दुकानदार ने पारसाल लिया उतना ही इस साल उसको ज्यादा मिला अगर भाव कम हो गया तो नुकसान भी हो सकता है । क्योंकि आप बनियों के शुभचिंतक हैं, दूकानदारों के शुभचिंतक हैं इस साल उसने ज्यादा रकम ग्राहकों से ले ली, लेकिन उसने हिसाब से आप को कम दिया यह बात आपने उस समय भी नहीं सोची थी । और आप सोचते क्यों ? आपके दिमाग में बड़े व्यापारी का हित है । किसानों के ऊपर टैक्स लगने वाला है. उसक बारे में इतना हो हल्ला मच रहा है लेकिन उसके बारे में

[श्री दीपनारायणसिंह]—
आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिये मैं सिद्धांत के रूप में कह रहा हूं कि जनमत के लिये भेजा जाय। आपको दूकान दारों ने ही नहीं, वकीलों ने ही नहीं, प्रवर समिति के सदस्यों ने ही नहीं चुना है। आपको उन लोगों ने चुना है, जिन की राय प्राप्त कर आप यहां बैठे हैं। कोई दूकानदार ग्राहकों से एक हजार रुपया लेता है, वह पांच सौ रुपया ही सरकार को देता है तो क्या यही आपके दिमाग का नमूना है ?

श्री अध्यक्ष—इस विधेयक से इसका क्या संबंध है कृपया यह बतला दीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह—आप की बात ठीक है लेकिन विशेषज्ञों की बात जब मानें। विशेषज्ञों की बात इसलिये नहीं मानते हैं कि जनमत के बल पर जीतने की बात करते हैं। प्रवर समिति विशेषज्ञों की समिति मानी गयी है। अगर उनकी राय मानते होते तो मैं यह संशोधन नहीं लाता। चूंकि विशेषज्ञों की कद्र नहीं की गयी है इसलिये इनकी अक्ल का यह नमूना जनमत के सामने भेजना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि अपील करने का मौका जो होता है आपने उसको भी सफाया करने की कोशिश की है। कर निर्धारण करने वाले अधिकारी भगवान तो हैं नहीं। वह गलती कर सकते हैं। वह बेईमानी और गलती से अगर कर लगाते हैं तो उनपर भी अदालतें बनी हुई हैं। लेकिन आप उनको बिना प्रतिबन्ध लगाये स्टे का भी अधिकार नहीं देते। अगर आपकी रकम स्टे होती है तो आपके अधिकारियों की गलती के कारण होती है। आप जल्दी फैसला करने की व्यवस्था करते। अगर मुझ पर एक हजार रुपया बेईमानी से लगा दिया गया तो मैं अपील भी न कर सकूं। अगर मैं गरीब आदमी हूं हवाई जहाज में नहीं चल सकता तो हवाई जहाज मेरे लिये न के बराबर है। इसलिये वह गरीब आदमी जिस पर गलत तरीके से टैक्स लगा दिया गया है वह जमानत के अभाव में स्टे आर्डर भी न ले सके यह सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिये मैं इस संशोधन का सख्त विरोध करता हूं। इस साल भाव सस्ता है और उस हिसाब से उसने बेंचने का हिसाब लगाया और दो साल तक उसको खूब मुनाफा हुआ। आपकी महंगाई द्रौपदी के चीर की तरह से बढ़ रही है। उसने ग्राहकों को खूब ठगा। हम खाना खाने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो हम से दुकान वाला बिक्री-कर ले लेता है। हम से आज से दो साल पहले टैक्स लिया, सस्ते जमाने के व्यापारी को आपने फायदा देने की बात कही। आपका संशोधन बेईमान बनियों के लिये है, हुकूमत जिसकी है उसके लिये है। यह संशोधन विधेयक हमारे लिये नहीं है। आप उनसे ऐंठिये जो मालामाल हो रहे हैं, जो हमसे ज्यादा ले रहे हैं। उस हिसाब से उनसे लीजिये जिस हिसाब से हमसे ऐंठ रहे हैं। लेकिन आप उनको तो मौका दे रहे हैं कि वह हमसे दस हजार ऐंठे और आपको पांच हजार दें या दो हजार दें। आपका यह भी सिद्धांत गलत है।

तीसरी बात यह मैं मानता हूं कि आपका यह संशोधन कि अपील और रिवीजन के अधिकारियों को बढ़ा दिया जाय, यह ठीक है। इस पर मेरा आप से कोई मतभेद नहीं है। लेकिन वह तीन बातें ऐसी हैं जिनके लिये जनमत आ जाना चाहिये और आप जैसे वित्त मंत्री के जमाने में ऐसा विधेयक आये, आप पर भी संगति का असर पड़ जाय, यह जरा सोचने की बात है। इसलिये मैंने इस प्रकार का संशोधन रखा है कि जनता के सामने जनमत जानने के लिये आपकी अक्ल के नमूने के स्वरूप यह विधेयक प्रसारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जनमत काहे के लिये, विधेयक के लिये या अकल के लिये ?

श्री दीपनारायणसिंह—जनता की राय इस बिक्री-कर पर जानने के लिये इसे जनता में भेज दिया जाय। आपका ज्यादा समय मैं नष्ट नहीं करूंगा। सदन का समय मूल्यवान समय है। मेरी राय कुछ वजन रखती है। इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी इस पर गौर करेंगे और कुसंगति के प्रभाव से बचने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो दो मास के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, इसको कोई माननीय सदस्य रखना चाहते हैं (किसी के न खड़े होने पर) इसको नहीं रखना चाहते हैं, तो अब एक ही प्रस्ताव आपके सामने है कि जनमत के लिये भेजा जाय ।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं जनमत को भेजने वाले प्रस्ताव को अनावश्यक, अर्थहीन और हास्यास्पद समझता हूं लेकिन यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जब मैंने इस संशोधन विधेयक को पढ़ा तो मुझे बड़ी निराशा हुई । मान्यवर, केवल इसलिये नहीं हुई कि इसमें क्या लिखा है और जो लिखा है वह बहुत दोषपूर्ण है बल्कि इसलिये हुई कि इसमें बहुत कुछ और होना चाहिये था जो कि नहीं है । मान्यवर, कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा है सेल्स टैक्स लेजिस्लेशन का कि जितनी जल्दी जल्दी संशोधन इस ऐक्ट में आये हैं उतनी जल्दी संशोधन इस प्रदेश के किसी दूसरे ऐक्ट में नहीं आये हैं । कोई साल ऐसा न जाता होगा जब एक बार या दो बार कोई संशोधन इस सदन के सामने न आता हो । परिणाम यहां तक हो चुका है मान्यवर, कि गरीब जनता जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है वह तो इसको समझने में असमर्थ रहती ही है, वह अधिकारी जिनको इसका कार्यान्वयन करना पड़ता है वह भी इसको समझने में असमर्थ रहते हैं और मान्यवर, मैं यहां तक कहूंगा कि बड़े बड़े विद्वान लेखक जो पुस्तकें लिखकर बाजार में बिक्रय करते हैं उनका साहस नहीं पड़ता कि वह सेल्स टैक्स में कोई संस्करण निकालें क्योंकि जब तक वह संस्करण लिखकर समाप्त करते हैं तब तक वह पुराना हो जाता है क्योंकि नये संशोधन और आ जाते हैं ।

मान्यवर, मैं समझता हूं सदन को यह जानकारी होगी कि इस सदन में समय समय पर जो विचार व्यक्त किये गये उनका आदर करते हुये एक हाई पावर कमेटी सरकार ने बनायी है जिसका यह काम है कि सेल्स टैक्स में जो खामियां हैं, जो दिक्कतें उससे व्यापारियों को और कन्ज्यूमर्स को हो रही हैं या जो उसमें ऐसे दरवाजे हैं जिनके कारण वेस्टेज होता है या टैक्स का ईवेजन होता है उनको दूर करे । सेल्स टैक्स नियमों का भी अध्ययन करके वह कमेटी अपना कार्य जारी कर चुकी है । मैं भी मान्यवर, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस कमेटी का एक सदस्य हूं । तो मैं आशा करता था कि सरकार उस कमेटी के प्रतिवेदन का इंतजार करके ही इस सदन में कोई बिल लाती ।

कहा जा सकता है कि कुछ बातें ऐसी थीं जो पहले आवश्यक थीं । उनको रोकने से बड़ा कष्ट हो सकता था और बड़ी दिक्कतें हो सकती थीं । मैंने इस ऐक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दी । मोदी फूड प्रोडक्ट्स केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह किया जा रहा है । वह सन् १९५५ में हाईकोर्ट का फैसला हुआ और उसके बाद सन् १९६० में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ । दो वर्ष की लम्बी अवधि तक विचार किया जा सकता था । २ वर्ष ६ महीने इन्तजार करना अनुचित नहीं था । फिर जनता में परिणाम यह होता है कि जब संशोधन बिल आता है तो वह जाग्रत हो जाती है और कष्ट सहने को सोचती है जिसके प्रति समय समय पर वह ध्यान दिलाती रहती है । अगर उनका समावेश, उनका निराकरण इस विधेयक में नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है कि निराशा होती है । मुझे भी निराशा हुई है । सेल्स टैक्स के बारे में अनेक ऐसी बातें हैं जिनके फलस्वरूप उपभोक्ता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । सरकार को कोई फायदा नहीं होता है । ऐसे प्रतिबन्ध हैं जिनसे उनको कठिनाई है, जिनके कारण वह मुख्य-तया इससे दुखी रहते हैं । तो आज समय था कि उसकी ओर ध्यान देते । सेल्स टैक्स की जो मशीनरी है उसमें भी कुछ ऐसे दोष थे जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक था लेकिन इस बिल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

के अन्दर हम किसी भी बात का समावेश नहीं देखते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जब आज कर के बढ़ाने की चारों तरफ से प्रवृत्ति है और जब प्रदेश को पूर्ण आशंका थी कि इस सेल्स टैक्स विधेयक का कर बढ़ाने के लिये प्रयोग अवश्य किया जायगा उन्होंने सेचुरेशन प्वाइन्ट पर पहुंचे हुये सेल्स टैक्स को और नहीं बढ़ाया और अगर कर बढ़ाया भी है तो वह लग्जरी गुडस् पर बढ़ाया है। जब कि धन संग्रह की नीयत चल रही है तो उन्होंने प्रदेश के छोटे हुनवाइग्रों को छट दी है। यह प्रसन्नता और सराहना की बात है लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही मैं अवश्य यह आशा करता था कि यह संशोधन बिल जब सदन में आयेगा तो उन सब कठिनाइग्रों का समाधान अवश्य होगा। इस विषय में कहते हुये अब मैं प्रस्तुत संशोधन बिल के सम्बन्ध में दो बात कहना चाहता हूं।

इस संशोधन बिल का, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया, एक तो यह मन्शा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उस धारा को अवैध घोषित कर दिया है जिसके द्वारा हम प्रिवियस इयर में टैक्स लगा सकते थे, उसको वैध करें। हमारे बनाये हुये, कानून के अनुसार पिछले वर्ष असेसमेंट ईयर के आधार पर जिस धारा के अन्तर्गत हम टैक्स लगा सकते थे उस परिवर्तित दर पर जो असेसमेंट ईयर के दौरान होती थी, उसको गलत घोषित किया और उन्होंने यह किया कि, पिछले साल को आधार माना फिर उस साल में जो दर थी टैक्स की वही ली जा सकती है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि अगर इसमें परिवर्तन किया जाय तो इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है।

मैं माननीय दीपनारायणसिंह जी से कहूंगा कि वह तो इंडियन कांस्टीट्यूशन के पंडित हैं। मैं सेल्स टैक्स के विषय में ज्यादा नहीं जानता। उन्होंने कहा कि आप परिवर्तन करके सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व को ही समाप्त कर देते हैं। यह बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्वैश्चन नहीं किया है कि लेजिस्लेचर को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह यह टैक्स पास करे। किसी टैक्स के लगाने का लेजिस्लेचर को अधिकार है। अगर इसमें कोई गलती रह गई है तो वह उसका इन्टरप्रिटेशन है। इन्टरप्रिटेशन करने का न्यायालय को अधिकार है। उन्होंने केवल यह कहा है कि जो यह कानून है उसके रहते हुये उसका यह इन्टरप्रिटेशन होगा। मैं तो इतना समझता हूं कि उसको बदलना उचित था। और न्यायसंगत था। उसमें सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं होती है, एक प्रकार से उसका आदर होता है।

एक बात की शिकायत मुझे अवश्य है। आप यह जो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देने जा रहे हैं यह घोर अन्याय है। सन् १९४८ का सन् १९६२ में रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देना मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी लेजिस्लेटिव प्रिंसिपुल के आधार पर किया जा रहा है।

१९४८ और १९६२ के बीच में बहुत-सा समय बीत चुका है। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से व्यक्तियों को, जिनको टैक्स देना पड़ता है उनकी इज्जतों पर आ जाती है, उनके दिवाले निकल जाते हैं। कारण प्रत्यक्ष है और वह दोष हमारा है। हम उसके जिम्मेदार हैं। जो टैक्स दिया जाता है वह उस समय के नियम के अनुसार दिया जाता है। अब ६ या ४ साल बाद आप एक नियम को बदलते हैं और कहते हैं कि आपको वह पिछला टैक्स इस आधार पर देना पड़ेगा। इसका क्या औचित्य है? माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इसका औचित्य बतलाया। कदाचित् वह सचेत थे कि सदन में इस बात पर आब्जेक्शन किया जायगा और इसलिये उन्होंने कहा कि यह तो कंज्यूमर्स के हित में है। कंज्यूमर ने तो उस रेट पर टैक्स दे दिया तो वह डीलर उसी रेट पर टैक्स क्यों न अदा करे? लेकिन जरा वह गहराई में जा कर देखें तो पता चल जायगा कि यह बात गलत साबित होती है। यह इसलिये कि मल्टीपुल टैक्स लगता है। चार चार जगह वह बदलता है। कौन से डीलर को किस रेट पर टैक्स मिला यह प्रश्न है और यही कैसे प्रिज्यूम किया जा सकता है कि आपके नियम के अनुसार ही डीलर या कज्यूमर ने टैक्स दिया होगा।

इसके अतिरिक्त दीपनारायणसिंह जी ने कहा कि इसके अन्दर अपील का राइट समाप्त कर दिया। मैं यह बात नहीं समझ सका। जहां तक इस बिल को देखने से पता चलता है उसके अनुसार तो अपील का राइट दिया गया है। जज रिवीजन्स को पहली बार स्टे के राइट दिये गये, लेकिन वास्तव में इसमें शिकायत की बात दूसरी है और वह बड़ी महत्वपूर्ण है। वह बड़ी सारभूत बात है। जो सेल्स टैक्स का ढांचा है उसमें सेल्स टैक्स अधिकारी जो टैक्स लगाता है उसकी अपील सेल्स टैक्स जज के पास होती है। सेल्स टैक्स जज पहले डिस्ट्रिक्ट जज के लेविल का आदमी हुआ करता था, लेकिन सरकार की एक मनोवृत्ति है कि जो जूडिशियरी को कम पसंद करती है। जुडिशियरी के जजमेंटस कुछ रुचिकर नहीं होते। इसलिये धीरे धीरे उस चीज को बदला गया और आज प्रदेश में १६ जज अपील्स में केवल दो जुडिशियरी के रह गये हैं और १४ जज अपील्स डिपार्टमेन्टल आदमी हैं जो कल तक सेल्स टैक्स आफिसर थे।

(इस समय १२ बजकर ३१ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मैं सिद्धान्ततः इस बात को बुरा समझता हूं। मैंने हमेशा जब जब समय आया है, सदन में कहा है कि हमें जज अपील्स हमेशा जुडिशियरी से लेना चाहिये। इसके जवाब में कहा जाता है कि दूसरे सूबों में भी डिपार्टमेन्टल आदमी जज अपील्स हैं। जब हमारे सूबे में एक कदम सही दिशा में उठ चुका था उसमें इस तरह का परिवर्तन देखते हुए दुख होता है। दूसरे सूबों में जहां कांस्टीटूयूशन बनने से पहले सेल्स टैक्स था वहां अगर कोई ऐसे प्राविजन्स हैं, इन्कम टैक्स ऐक्ट में जहां कांस्टीटूयूशन के पहले ऐसे प्राविजन थे, वहां अगर ऐसे प्राविजन्स हों कि डिपार्टमेन्टल आदमी जज अपील्स होते हों तो वह दूसरी बात है। लेकिन हम तो सही दिशा में चल चुके थे, कांस्टीटूयूशन के डाइरेक्टिव के अनुसार और अब उसके पीछे कदम उठाना, एक रिटोग्रेट स्टेप लेना, यह क्या उचित होगा? वह हमारे दुर्भाग्य का दिन था कि जब इस प्रकार का निश्चय यहां लिया गया। मैं इस विचार का हूं कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति के अनुसार आप टैक्स लें, लेकिन साथ ही जनता में आप यह विश्वास पैदा करें कि अगर उस टैक्स में कोई गलती होती है, कोई एक्सेस होती है, तो उसके संरक्षण के उपाय हैं और आज वह चीज जुडिशियरी में ही मिल सकती है। मैंने स्वयं पढ़ा है और मैं उसे काट नहीं करना चाहता कि जुडिशियरी के ऐसे जजेज हैं जिनका सेल्स टैक्स से संबंध है और उन्होंने अपने जजमेंट्स में सेल्स टैक्स अफसरों के लिये कहा है कि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है, अपने राइटस का दुरुपयोग किया है, शुरू से आखिर तक उन्होंने जान बूझ कर कंकाक्टेड और फैब्रीकेटेड विजन इश्यूज के खिलाफ प्रस्तुत किया है और उनके खिलाफ कड़े से कड़े स्टेप लिये जाने चाहिये। मैं जानता हूं कि ऐसे जजमेंट विभाग को पसन्द नहीं आते। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर जुडिशियरी के ऐसे जजमेन्ट, जुडिशियरी के समय समय पर ऐसे संकेत, कुछ अरुचिकर हो सकते हैं तो वह उन ऐक्सेसेज के अगेन्स्ट कुछ ढाल भी बन कर खड़े हो सकते हैं। मान्यवर, मेरी यह शिकायत है कि इस ओर सरकार भी पीछे की ओर ही चली जा रही है। अभी तक तो एक रूल में परिवर्तन किया गया है। जिसके बाद कितनी आखिरी तारीख है, जो आब्जेक्शन्स मांगे गए हैं, उसमें इतना कर दिया गया है। उस कुर्सी पर बैठ कर शायद उनको यह खयाल आये कि मेरा नाम जजी में हुआ है, भले ही मैं महकमे का आदमी हूं। कल तक तो मैं यद्यपि सेल्स टैक्स आफिसर था परन्तु मुझे उन परम्पराओं का आदर करना चाहिए जो जज से संबद्ध हैं। लेकिन आप देखें कि उस नाम का भी परिवर्तन किया जा रहा है और उसको असिस्टेंट कमिश्नर किया जा रहा है। यह उससे भी भयंकर बात है।

एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि उस को पिछले सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि यद्यपि हम एसेसिंग आफिसर्स में से जज अपील्स रख रहे हैं लेकिन यह स्वतंत्रता उनकी पूर्णतया सुरक्षित रहेगी। यह जुडिशिरी के आदमी के अन्तर्गत रहेंगे। जब ऐसा हो हुआ तो उसका परिणाम यह हुआ कि जो सेल्स टैक्स आफिसर थे और जिनकी विभाग के अतिरिक्त देखने की आदत नहीं थी, वे भी उस स्वतंत्रता के वातावरण में उन परम्पराओं को

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

निभा सकें। सेल्स टैक्स आफिसर का भी उतना ग़लत काम नहीं था, जिसकी कि आशंका थी। आप जरा देखें कि उनका नाम भी बदल दिया गया ,उनका कन्ट्रोल भी बदला। सेल्सटैक्स आफिसर से उनका स्थानान्तरण जज असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से जज अपील बनाने का अधिकार दिया जा रहा है। यह कितना ग़लत स्टेप है। यह कितना पीछे चलने वाला कदम है। यह ठीक नहीं है। आखिर हम क्या चाहते हैं? क्या हम यह चाहते हैं कि यह मनमानी होती रहे? जो एसेसिंग आफिसर्स हैं, वह देखें कि यदि जनता के ऊपर कोई ग़लत टैक्स लगाया जा रहा है तो उसका निराकरण भी नहीं करा सकें? मेरी यही शिकायत है।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। इसमें जज रिवीजन को अधिकार दिया गया है, पहली बार स्टे की पावर का यानी अगर किसी व्यक्ति को शिकायत हो एसेसिंग आफिसर के खिलाफ़, उनके एसेसमेन्ट के खिलाफ़ और उन्होंने अपील की जज अपील के यहां तो उसका स्टे कौन करेगा,जब तक फैसला जज रिवीजन करेंगे, ऐसा उसमें प्राविजन है। यह प्राविजन करने में सरकार ने कोई बड़ी उदारता नहीं बरती है। कानून के इंटरप्रिटेशन के लिए जज अपील्स पहले ही यह तय कर चुके थे कि हम ऐसे पहले बनाये हुए कानून के अन्दर उस आदमी को संरक्षण दे सकते हैं। आप कानून के पंडित हैं, आप स्वयं देखें कि जब कोई अपील होती है दीवानी या माल में तो उसको यह अधिकार होता है कि उस पर एपीलेंट को संरक्षण दे सकें, उसकी कठिनाइयों को रियलाइज कर सकें। लेकिन सेल्स टैक्स में जज अपील चूंकि डिस्ट्रिक्ट जजेज होते थे और चारों तरफ फैले हुए थे, उस अधिकार को निकाल लिया गया था। जज अपील के आदमी को संरक्षण की बात सरकार बताये और उसकी कुछ कानून की कठिनाइयां रेगुलराइज करे। आप उस विधेयक द्वारा जज रिवीजन्स को स्पेसिफिकली यह राइट दे रहे हैं, जिसका प्रयोग वह आज तक कर रहे थे। मेरी यही शिकायत है। उस ओर आप को ध्यान देना चाहिये। जज अपील्स ने अपने उस अधिकार से गरीब जनता पर कितना बोझ बढ़ाया है उस की कल्पना करने की कोशिश की जानी चाहिए।

एक ग़रीब आदमी पर २०० रुपया टैक्स लगता है, वह शहर में या शहर के बराबर जो हेडक्वार्टर है, जज अपील के यहां, अपील करता है। अगर उसको अधिकार दे दिया जाता कि तुम स्टे कर सकते हो टैक्स का तो उस की सारी दिक्कतें हल हो जातीं, लेकिन जिस आदमी का हेडक्वार्टर राजधानी में है केवल उसको ही अधिकार दिया जाता है, यानी वह गरीब आदमी अपने यहां से लखनऊ आये, रेल का किराया खर्च करे, वकील का करे, मुत्फर्रिक खर्चे करे तब संरक्षण मिले उस छोटी सी बात का। मैं इसको गलत समझता हूं और उसके औचित्य को नहीं समझ सका। बताया जाता है कि एरियर्स वैसे ही बहुत बढ़े हुए हैं और ज्यादा बढ़ जायंगे। अगर न्याय के सिद्धान्त के आधार पर कहीं पर टैक्स को रोका जाय और उसके फलस्वरूप एरियर्स बढ़े तो अच्छी बात है। दिक्कत की बात तो वहां है जहां बड़े आदमी के प्रभाव के आधार पर एरियर्स बढ़ते हैं या गफलत से बढ़ते हैं। तो इस दलील को मैं समझ नहीं सका। मैंने एक संशोधन भी दिया है, समय आने पर कहूंगा कि हमें यह अधिकार जज अपील्स को देना चाहिए, जज रिवीजन को नहीं।

एक बात और अर्ज करनी है कि इसमें एक धारा कोर्ट फीस से संबंधित है। अब तक एक शेड्यूल के द्वारा गवर्नमेन्ट ने रूल मेकिंग पावर्स में विभिन्न प्रकार की कोर्ट फीस की दरें तय की थीं, उस वक्त कुछ कठिनाइयां भी हुईं। अब एक ऐक्ट की धारा बना कर वह कोर्टफीस लगायी जा रही है। मंत्री जी की उदारता पर मुझे पूर्ण विश्वास है, वह भले ही कोर्ट फीस लगायें यद्यपि सिद्धान्ततः उसका औचित्य नहीं है, क्योंकि जस्टिस हमेशा चीप होना चाहिए। अगर साथ ही यह भी प्रावीजन हो जाय कि जिस आदमी का क्लेम सही माना जायगा उस की फीस वापस कर दी जायगी, तब मैं समझ सकता था कि यह उचित है। मैं मानता हूं कि फ्रिवीलस अपीलों को डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन वास्तव में अगर असेसी ग़लत कानून के इंटप्रिटेशन का शिकार

हो चुका है और ऐसे ही कांपिटेंट अधिकारी निश्चित करता है तो कोर्टफीस उस पर नहीं पड़नी चाहिए। उससे भी अधिक बात यह है कि जिन गरीब आदमियों पर टैक्स लगा दिया जाता है, देने की क्षमता नहीं है, प्रार्थना करते हैं कि गरीबी के कारण छोड़ दिया जाय या किस्तें कर दी जायं या अमुक समय के लिए स्टे कर दिया जाय तो ऐसे व्यक्तियों को मुक्त ही कर देना चाहिए और कई कानूनों में ऐसा प्रावीजन है भी।

आखिरी बात यह है कि इसमें एक रजिस्ट्रेशन का प्रावीजन है, ३ साल की सुविधा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ ही प्रवर समिति की मांग तो बहुत उचित है लेकिन जनमत की मांग कर के तो उस मांग के अधिकार का उपहास करना है। यहां पर कोई निहित सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है, वह तो किसी नयी पालिसी का होता है, तो उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री रामचरणशाह (जिला खीरी)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जनमत संग्रह के लिये भेजने का जो प्रस्ताव है, उस पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने कर लगाना अपना एक कर्त्तव्य बना लिया है क्योंकि बिना उसके सरकार का कार्य चल ही नहीं सकता। परन्तु सवाल यह है कि कहां पर, किस तरह से और किस पर कर लगाया जाय। इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिक्रीकर सन् १९४८ में कुछ समय के लिये लगाया गया था। उस वक्त यह कहा गया था कि कुछ समय के बाद इसको खत्म कर दिया जायेगा। अब धीरे-धीरे किस तरह से बिक्री-कर का रूप बदलता गया यह देखने की जरूरत है.....

श्री उपाध्यक्ष—इस बिल में कर लगाने की बात नहीं है, आप बिल पर बोलिये।

श्री रामचरणशाह—मैं इसको भी कर ही मानता हूं। शुरू में २ करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने के लिये इस बिक्री-कर को लाया गया था। आज इससे लगभग १३ करोड़ की आमदनी सरकार को होती है। धीरे-धीरे यह कर किस प्रकार बढ़ा, यह विचार करने की जरूरत है। पहले कुछ ही चीजों पर बिक्री-कर लगाया गया था। बाद को धीरे-धीरे हर चीज पर बिक्री-कर लगा और अनाज, जिसके बिना आदमी जिन्दा नहीं रह सकता, उस पर तक कर लगा। नमक जैसी चीज तक को सरकार ने नहीं छोड़ा.....

श्री उपाध्यक्ष—इस बिल में नयी किसी चीज पर कर नहीं लग रहा है।

श्री रामचरणशाह—मैं एक व्यापारी हूं और इसका क्या असर पड़ेगा, वह मैं बताना चाहता हूं। जो चीज बिल में लायी गयी है उस पर भी मैं अन्त में आऊंगा। इसमें जो एक रुपया फीस, २ रुपया फीस तथा ५ रुपया फीस लगाने की योजना है, यह मेरी समझ में नहीं आती है। सैल्स टैक्स का विभाग तो सरकार का एक व्यापारी विभाग हो गया है। सरकार उसमें ऐसे आदमियों को रखती है जो जुडिशियरी के नहीं होते। सरकार दूकानदारों से कर वसूल करती है और उस टैक्स से सरकार का खर्चा चलता है। दूकानदार पढ़ा लिखा नहीं है। अगर वह साल भर में बारह हजार की इनकम करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा १० प्रतिशत का प्राफिट होगा तो १,२०० रुपया उसको मुनाफा हुआ। अब वह इतने कम प्राफिट में किसी मुनीम को हिसाब रखने के लिये नहीं रख सकता। इस प्रकार जो नाना प्रकार की धांधली हो रही है उसी का विरोध करने के लिये यह प्रस्ताव रखा गया है और कहा गया है कि इसको जनता के मत के लिये प्रसारित किया जाय क्योंकि इस कर का प्रभाव भी तो जनता ही पर पड़ता है। पहले आप ने पैसा रुपया कर लगाया था। जब नया पैसा आया तो आपने उस को दो नये पैसे कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि सन् १९४८ से लेकर १९६२ तक का हिसाब देखेंगे। इससे कितना घपला मचेगा? बहुत से दूकानदार ३-३ बरसों में अपने कागजात खत्म कर देते हैं, वे पुराने कागजात कहां से लायेंगे? यह दूकानदारों को परेशान करने वाली बात है।

[श्री रामचरणशाह]

इसके अलावा जो कागजात दूकानदार पेश करता है उनको अधिकारी गलत समझते हैं दूकानदारों को बे ईमान समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप के सामने जो संशोधन है उसी के बारे में आप बतायें। जो जो तरमीम उसमें की गयी हैं उन्हीं तक आप अपने को सीमित रखिये।

श्री रामचरणशाह—इन तरमीमों में ही जो चार पांच बातें हैं उन्हीं का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष—ज उन्हीं तरमीमों की खामियों को बताइये। उसके स्कोप को बढ़ा दिया जाय या घटा दिया जाय, यह नहीं होना चाहिये।

श्री रामचरणशाह—सन् १९४८ से १९६२ का समय बढ़ा कर जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। जो जरूरी चीजें हैं उन पर भी कर लगाया जा रहा है। कहा यह गया है कि इस कानून में जो संशोधन किया जा रहा है वह इसलिये कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया था। इसीलिये दीपनारायण जी ने कहा कि इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाय, क्योंकि इसका असर साधारण जनता पर ही पड़ेगा। इसलिये मैं इस बिल का विरोध करते हुए जनमत जानने के लिये प्रसारित करने की सिफारिश करूंगा।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—श्रीमन, सदन के सामने जो माननीय दीपनारायण सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय। मान्यवर, एक ओर तो नदियों में बाढ़ आई और दूसरी ओर यहां सदन में करों की बाढ़ आयी। आज जो बिक्री-कर संशोधन विधेयक माननीय मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उससे एक आशा का संचार जरूर हुआ है कि माननीय मन्त्री जी ने कुछ लोगों को चाहे वह किसी circle के हों, राहत देने की सोची। आज इसके द्वारा व्यापारी वर्ग को राहत दी जा रही है। इससे आशा है कि आगे आने वाले बिलों में जिनका प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ने वाला है माननीय मंत्री जी व उनकी सरकार उनको भी राहत देने की सोचेंगे। अब इस बिल के द्वारा चाहे उसका असर व्यापारियों पर पड़ने वाला हो या साधारण जनता पर पड़ने वाला हो, जनता की राय जानने की आवश्यकता होती है क्योंकि वही माननीय मंत्री जी को अपनी कठिनाई समझा सकती है। और जब देहातों में कोई बिल पहुंचता है चाहे वह रेंट वाला हो या किसी और स्वरूप का हो, उस पर जनमत जानने के बाद फिर कार्यवाही की जाय तो ज्यादा सुविधाजनक होता है। मान्यवर, आज तक सरकार की जो स्टेटिक पालिसी रही है उससे व्यापारी वर्ग काफी परेशान रहा है और उसके सामने तमाम दिक्कतें आयीं जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसा कि माननीय अग्रवाल जी ने कहा कि एक हाई पावर कमेटी रही है और उसके प्रतिवेदन के बाद इस तरह का कोई संशोधित बिल सदन में पहले नहीं आना चाहिये था। मेरी समझ में तो यह आया है कि यहां सरकार में एक सेल्स टैक्स बोर्ड का होना बहुत आवश्यक है जिसके सामने हमारे प्रदेश का व्यापारी वर्ग सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में अपनी परेशानियों व कठिनाइयों को कह सके। सेल्स टैक्स से सरकार को करीब १४ करोड़ रुपया प्राप्त होता है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें कर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल एक संशोधन के लिये यह विधेयक लाया गया है। मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करें कि उनके बजट में जो १३ करोड़ रुपये का घाटा है, वह सेल्स टैक्स को डबल कर देने से पूरा हो जायगा। इस सेल्स टैक्स का प्रभाव सीधे जनता पर नहीं पड़ता है जैसा कि लैंड टैक्स या यात्री-कर का पड़ता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सेल्स टैक्स को दुगुना किया जाय। यदि आवश्यक हो तो संशोधन के द्वारा या क्लाज बाईज जब संशोधन हो तब यह किया जा सकता है या पुनः दूसरा रूप कर को दूना करने के क्लाज के साथ आये। अब तक की जो प्रणाली है उस से लोगों को असुविधा होती है और संशोधन द्वारा इस असुविधा को दूर किया जा सकता है। ऐसा सरकार ने भी माना है।

यह हो सकता है कि सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में, मैं कोई विशेष बातें न बतला सकूं लेकिन इस विभाग के आफिसर्स का जो रेक्रूटमेंट होता है वह किसी टेक्निकल बेसिस पर नहीं होता कि उनके लिये ट्रेंड एण्ड कामर्श की जानकारी आवश्यक हो, और Non Technical Hands के होने से लोगों को काफी असुविधा होती है। इसके लिये आवश्यक है कि ऐक्ट में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाय ताकि किसी संशोधन की आवश्यकता न पड़े। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत थोड़े थोड़े समय में यहां इस बिल में संशोधन आते रहे हैं और बहुत से संशोधन होते रहे हैं। आगे चल कर ऐसे संशोधन इस विधेयक में न आवें इसी आशय से मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक को जनमत के लिये प्रसारित किया जाय ताकि इसमें जो भी कमियां हैं, और असुविधायें जो व्यापारी वर्ग को मालूम होती हैं, वे ठीक हो सकें। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इसको जनता में प्रसारित करना हास्यास्पद होगा। मैं नहीं समझ सका कि इसमें हास्यास्पद जैसी क्या बात है। व्यापारी वर्ग ऐसा नहीं है जो किसी डिब्बे में बन्द हो। व्यापारी वर्ग सारे प्रान्त में किसानों की तरह शहरों, कस्बों और गांव गांव में फैला हुए है। सारे देश और प्रदेश में व्यापारी फैले हुए हैं और वे अपनी बात को अच्छी तरह से समझते हुए अपना मत देंगे और उनको जानकारी भी होगी कि सरकार क्या करने जा रही है। ऐसी हालत में उनको जो भी तकलीफें होंगी उनको दूर करने के लिये दरख्वास्तें देंगे, रेप्रेजेंटेशन करेंगे या जो भी उचित उपाय होगा, करेंगे।

मान्यवर, ये मोटी मोटी बातें रजिस्ट्रेशन वाली, वाउचर्स वाली, फीस वाली व कैश मेमो वाली हैं। मान्यवर, व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन वाली बात इस बिल में ही नहीं रहनी चाहिये जैसा कि एक्साइज ड्यूटी व इनकम टैक्स के लिये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। पिछली दफा भी जब संशोधन बिल आया, ऐसी व्यवस्था थी कि ऐक्ट में केवल एक वर्ष के लिये व्यापारी का रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन उस परेशानी का खयाल करके अब ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में कर दी गयी है कि हर वर्ष रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है और न उसके रिन्यूअल के लिये परेशान होने की जरूरत है, बल्कि अब तीन वर्ष के लिये रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर संशोधन में एक क्लाज ऐसा होता कि रजिस्ट्रेशन को हमेशा के लिये, खत्म कर दिया जाता तो व्यापारियों को बहुत राहत मिलती। क्योंकि सेल्स टैक्स में जो चोरी होती है वह कैश मेमो की व्यवस्था होने पर भी नहीं बचाई जा सकती। जब व्यापारी कैश मेमो नहीं काटता है और हो सकता है कि कंज्यूमर्स से वह टैक्स ले लेता हो तो उस पर जो टैक्स पड़ता है उसमें से बहुत सा व्यापारियों के पास ही रह जाता है और सरकार तक नहीं पहुंच पाता है। इस आधार पर व्यापारी ही पर विश्वास किया जाय तो चोरी भी कम हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को इन व्यापारियों पर अविश्वास नहीं करना चाहिये, उन पर विश्वास करना चाहिये क्योंकि अगर आप उन पर विश्वास करेंगे तो वह स्वयं ही फर्जी कागजात नहीं बनायेंगे। उन को सेल्स टैक्स आफिसर के सामने कागजात रखने होते हैं। जैसे आपने इस बिल में कई धारायें उदारतापूर्वक रखी हैं वैसे ही यह भी हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था न हो क्योंकि व्यापारी वर्ग सरकार के अफसरों के परेशान करने पर डिमोरेलाइज हो जाता है। बार बार दौड़ाया जाता है, अपराधी की तरह व्यवहार होता है। इन्हीं परेशानियों से सरकार में ६०,००० cases, unsettled पड़े हैं जो ५४ करोड़ रुपये की लागत के हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे। आप बाद में भाषण जारी रखें।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हीतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री विजयसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में कह रहा था कि इसमें जिस उदारता के साथ यह संशोधन आया है कि रजिस्ट्रेशन ३ साल के लिये हो सकता

श्री विजयसिंह]

है, अगर व्यापारी इस रजिस्ट्रेशन से बरी कर दिये जाते तो बहुत अच्छा रहता। प्राइसेज जब हाई होती हैं तो उसका बोझ कनज्यूमर पर आता है, कन्ज्यूमर ओवर आल प्राइस से ही कन्सर्न्ड होता है, वह यह नहीं देखता कितना रनिंग प्वाइंट टैक्स लगा है, वह तो प्राइस को देख कर ही समझता है, जब उसे वाउचर मिलता है तो उसके दिल में एक भावना होती है कि टैक्स उसे न देना पड़े, जैसे घड़ियों के बिजनेस में हो रहा है, सैकड़ों आदमी बिना वाउचर के क्रय-विक्रय कर रहे हैं जिसके कारण सरकार का नुकसान है। मेरा कहना है कि बिजनेस मैन सेल्स टैक्स की परवाह नहीं करता, न इसकी परवाह करता है कि कितनी फीस लगनी है। वह तो यह देखता है कि उसे क्रिमिनल की तरह डील न किया जाय। बिजनेसमैन में बनिया टेन्डेंसी होती है, वह परेशानी नहीं चाहता, सरकार को पैसा दे सकता है। जब प्राइस हाई हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है जब कि बिजनेसमैन का रेट आफ प्रौफिट भी बढ़ जाता है। उसको यह दिक्कत नहीं है कि उसे कितना टैक्स देना है क्योंकि वह तो कनज्यूमर से ही सारा पैसा वसूल लेता है। जिनका टर्न ओवर १२,००० रुपया साल है, सरकार उनको रजिस्टर करती है, तथा बार बार सी फार्म वाली उनको परेशानी उठानी पड़ती है। "C" फार्म भरने में बड़े २ घपले व्यापारी द्वारा होते हैं जिसे सरकार भी जानती है। सरकार के कर्मचारी उन्हें बहुत परेशान करते हैं, Demoralize करते हैं। बिजनेस मैन इन परेशानियों को नहीं चाहता। जो उसका डेली सेल होता है उस पर टैक्स लगे, ऐसा संशोधन आया होता तो हम उसका स्वागत करते, १२,००० रुपया बिक्री करने वाले व्यापारियों को भी रजिस्ट्रेशन से मुक्त किया जाता। जिस प्रकार इन्कम टैक्स और एक्साइज टैक्स में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसी प्रकार सेल्स टैक्स में भी नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा कर दिया जायगा तो पोलिटिकल करप्शन की भी गुंजायश नहीं रहेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को व्यापारी वर्ग की राय जानने के लिये भेजा जाय। वह इसकी गलतियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, उन गलतियों को सरकार को रेफर कर सकेंगे और फिर सरकार इस पर उदारतापूर्वक विचार करे तभी सराहना के योग्य कार्य होगा।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक हाई पावर कमेटी बना दी गयी है जिसमें अन्य सदस्य भी हैं, टेक्निकल आदमी भी हैं। मेरा यह सुझाव था कि एक सेल्स टैक्स बोर्ड होता जो हर बात पर विचार करता। उसके बाद यह बिल आता तो इसका अधिक स्वागत होता। इसलिये मेरा समर्थन इसे प्राप्त है कि यह बिल परिचालित किया जाय। ५४ करोड़ रुपये के साठ हजार सेल टैक्स के केसेज सरकार के यहां अनसेटिल्ड पड़े हुए हैं। अगर इन केसेज को सेटिल कर लिया जाय और रुपया वसूल कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

*श्री कृष्णानन्दराय—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक जनमत के लिये भेजा जाय, इसका मैं विरोध करता हूं। मुझे इस मांग को सुन कर आश्चर्य हुआ क्योंकि इस विधेयक में न तो कोई नई नीति निर्धारित की गयी है, न बिक्रीकर को बढ़ाया या घटाया जा रहा है और न कोई कर लगाया जा रहा है। इस स्थिति में जनमत इस पर क्या विचार करेगा यह समझ में नहीं आता।

जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने बतलाया—यह विधेयक दो तीन कारणों को लेकर लाया गया है। सेल्स टैक्स ऐक्ट में कुछ असुविधा और वैधानिक कठिनाइयां दिन प्रति दिन के कार्य में आईं, उन्हें दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जैसे व्यापारी स्वयं भूत वर्ष के टर्नओवर पर टैक्स लगाने की राय जाहिर करते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध माना। इस तरह का कुछ संशोधन अब आया है कि व्यापारी वर्ग के स्वयं के निश्चय के अनुसार ही भूत वर्ष के टर्नओवर पर टैक्स लगाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धारा ४ और ३० के मातहत खास तौर से अपील की स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं थी। उसके बारे में प्रोसीजरल अमेंडमेंट लाया गया है जिसको जनमत के लिये भेजने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

आदरणीय सदस्य, जगदीशशरण अग्रवाल ने इस विधेयक के संशोधनों पर कुछ निराशा प्रकट की। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया है और अपीलेंट अथारिटी को स्टे आर्डर का अधिकार न दे कर रिवीजन वाली अथारिटी को स्टे आर्डर का अधिकार अब दिया जा रहा है। संशोधनों से निराशा मुझ को भी है लेकिन ठीक उन कारणों के विपरीत है जो जगदीशशरण अग्रवाल जी के कारण थे। आज बिक्री-कर के सम्बन्ध में हमारे प्रदेश में एक समस्या है और वह यह कि बकाया बिक्रीकर की वसूली नहीं हो पा रही है, इस प्रश्न को लेकर इस सदन में व जनता में बहुत चर्चा है। चाहता तो मैं यह था कि वित्त मंत्री महोदय इस संशोधन विधेयक के साथ आते जिसमें बिक्रीकर की वसूली में थोड़ी आसानी पड़ जाती क्योंकि बिक्री-कर जो है उसकी वसूली व्यापारियों के प्रति कोई असुविधा की चीज नहीं है, क्योंकि बिक्री-कर वह रकम होती है जो व्यापारी कंज्यूमर से ले लिये होते हैं और वह एक सार्वजनिक धन हो गया होता रहता है और उसको सरकार द्वारा प्राप्त करना नैतिक कर्त्तव्य होता है। यदि केवल एक अमेंडमेंट ले आये होते धारा ९ में जहां पर यह दिया है कि अपील जब की जा सकती है जबकि ऐडमिटेड टैक्स व्यापारी जमा कर दे, तो ऐडमिटेड टैक्स की जगह अगर असेस्ड टैक्स ले आये होते कि कर निर्धारण अधिकारी जो टैक्स असेस करे उसको जमा करने के बाद ही अपील की आज्ञा दी जायगी तो बकाया कर की बात हमारे प्रदेश से खत्म हो जाती और यह कोई बहुत ही कठोर संशोधन भी नहीं है। माल-गुजारी के मामले में ऐसी ही व्यवस्था है। जब कोई किसान डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर के यहां दरख्वास्त ले कर जाता है तो उससे कहा जाता है कि पहले तुम मालगुजारी की पूरी रकम जमा कर दो तब तुम्हारी दरख्वास्त पर सुनवाई होगी। इसी तरह से सेल्स टैक्स में भी यह होना चाहिये कि कर निर्धारण अधिकारी जो टैक्स असेस करे उसको जमा करने के बाद ही अपील की आज्ञा दी जायगी। लेकिन चूंकि वह इस विधेयक के बाहर की समस्या है अतः उस पर मैं कोई विशेष जोर नहीं देना चाहता हूं और जैसा कि मैंने आरम्भ में निवेदन किया, इस विधेयक पर कोई विशेष विवाद भी नहीं किया जा सकता। प्रवर समिति और जनमत में भेजने का भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत ही साधारण संशोधन रखे गये हैं जो व्यापारियों के लिये सुविधाजनक हैं। अतः इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने माननीय दीपनारायणसिंह जी ने जो संशोधन जनमत के लिये रखा है उसका मैं समर्थन करने को खड़ा हुआ हूं। जनमत में भेजने का उनका जो विचार था उसको स्पष्टतया उन्होंने जाहिर कर दिया कि आज हम लोग जितने विधेयक पास कर रहे हैं उनमें इतनी जल्दी हो रही है कि "हां" पक्ष के लोगों की कौन कहे "नहीं" पक्ष के लोगों को भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जो संशोधन आते हैं उनमें यों किया जाता है कि संशोधन उपस्थितकर्त्ता सिर्फ खड़े हो जायं, पढ़ने की बात भी नहीं और मंत्री जी नामंजूर कर दें और उसके बाद वह खत्म हो जाता है। अगर बहुत मेहरबानी हो गयी चेयर की तो दो मिनट का समय मिलता है....

श्री उपाध्यक्ष—यह तो सब आपके समझौते की वजह से हुआ ।

श्री कमलासिंह यादव—यह सदन के अन्दर एक परिस्थिति है, श्रीमन्, जिसकी वजह से गलतियां हो रही हैं। उसमें बहस भी नहीं हो पाती और थोड़ी ही देर के बाद प्रश्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

उपस्थित कर दिया जाता है। यह सब दिक्कतें हम लोगों के सामने हैं। तो समय में जो कमी की गयी है विरोधी पक्ष के लोगों की बातों को न सुनने के बारे में, उससे बहुत जल्दी में विधेयक पास कर दिये जाते हैं और उसके बाद कोर्टस् से स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं। इसी का यह दुष्परिणाम है कि यह विधेयक फिर से लाया जा रहा है। आप एक आध घंटे के बचाने की कोशिश करते हैं और उसमें एक दो दिन बरबाद कर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है। पहली बात तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपील सुप्रीम कोर्ट में मोदी कम्पनी के खिलाफ की थी उसको फिर से रेग्यूलराइज किया जाय। सवाल यह है कि जो कानून बना है उसके मुताबिक असेसमेंठ की दरख्वास्त दें तो उस समय जो रेट होगा वही लागू होगा। लेकिन आज दरख्वास्त दें और आप कहें कि ७ साल के पीछे के रेट पर कीजिये तो मैं नहीं समझता कि यह कहां का न्याय है? इस विचार-धारा से जिसके मुताबिक....

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं है, इसी लिये गलतफहमी में कह रहे हैं। यदि पूर्व वर्ष के बिक्रयधन को भी आधार माना जाता है तो जो इस वर्ष के लिये लग रहा है उसमें जो दर होती है वही काउन्ट करती है।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, इसमें पहले साल का सवाल था। लेकिन जब दरख्वास्त दी थी उस समय का लगना चाहिये था।

श्री जयराम वर्मा—पहिले नियम यह था कि किसी साल में कर निर्धारण के लिये व्यापारी को आप्शन था कि वह कर निर्धारण वर्ष के टर्न ओवर को आधार माने या पिछले वर्ष के बिक्रय-धन को माने। मोदी फूड प्रोडक्ट्स कं० लिमिटेड ने पिछले वर्ष के बिक्रय-धन को आधार बनाया था। टैक्स लग रहा था असेसमेंट ईयर का और जो रेट उस समय लागू था उसी के हिसाब से पिछले वर्ष जितनी बिक्री हुई थी उस पर कर लगता था। कामनसेंस भी कहता है कि जिस साल का टैक्स ले रहे हैं, तो उस साल में जो दर प्रचलित है उसी दर पर टैक्स वसूल हो और गवर्नमेंट उसी पर ले रही थी। लेकिन टैक्निकल प्वाइंट पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो गया। पांच जजों में से हालांकि दो जजेज ने राय दी कि जितनी व्यवस्था है वह काफी है। लेकिन तीन जजों की दूसरी राय हो गई कि निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये। तो हम कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं संशोधन करके।

श्री कमलासिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक बना था, जो धारायें बनी थीं उनमें कुछ कमी थी जिसकी वजह से मेजारिटी ने यह फैसला दिया और मैं समझता हूं कि सरकार भी यह महसूस कर रही है कि इसमें कमी थी और उसको दूर करने के लिये ही यह विधेयक पेश किया गया है। ऐसी दशा में जब सरकार मानती है कि एक कमी थी और न्याय भी हुआ तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई डिस्प्यूट की बात नहीं है कि जो न्याय हुआ है वह गलत है। वह तो बिलकुल सही है और सरकार भी मान रही है और इसी को मान कर यह विधेयक लाया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो विधेयक लाये जाते हैं वह शुरू में ही बहुत स्पष्ट होने चाहिये क्योंकि आपको इसकी वजह से इतनी दिक्कत उठानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और वहां हारने पर फिर से मामला सदन में लाया गया। इस तरह की इसमें खामियां हैं।

इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम अपने प्रदेश में दो चीजें देख रहे हैं। एक तो यह कि मल्टीपिल सेल्स टैक्स और दूसरा सिम्पिल सैल्स टैक्स लगते हैं। मल्टीपिल सेल टैक्स को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिये क्योंकि यह जो खरीदार हैं उनके ऊपर ही पड़ता है। उनको चाहिए कि वह केन्द्रीय सरकार को लिखें ताकि जिस वक्त माल निकलता है अगर उसी वक्त सिम्पल तरीके पर टैक्स ले लें, तो उसका बटवारा ज्यादा सुन्दर होगा। उससे

मल्टिपिल प्वाइंट टैक्स की नौबत नहीं आयेगी। इस तरह से जनता की बचत होती है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो भावना हमारे देश के अन्दर है उससे प्रेरित हो कर सेल्स टैक्स कमिश्नर जो हैं वह पहले तो यह कहते हैं कि सरकार को रुपये की जरूरत है और उसको पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स बढ़ाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन जो विधेयक है इसमें यह बातें तो हैं नहीं। जो बातें हैं उन पर आप कहिए।

श्री कमलासिंह यादव—उसी के बारे में कह रहा हूं। आप पेशेंटली सुन लें। दूसरी चीज यह है जिस पर सेल्स टैक्स कमिश्नर सरकार का ध्यान दिलाता है, वह यह है कि कंवीनिएंस उनको किस तरह से मिलनी चाहिए जिससे टैक्स आसानी से कलेक्ट कर सकें। इन्हीं दो बातों को लेकर सेल्स टैक्स कमिश्नर अपनी रेकमेंडेशन सरकार के पास भेजते हैं। लेकिन हमारे सामने दिक्कत यह है कि जनता की इनकम बहुत ही कम है और अगर हम सेल्स टैक्स के प्रति हाई रेट कर देते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि मल्टिपिल प्वाइंट न रहे बल्कि सिम्पिल ही रहे। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के जो जजेज वगैरह हैं वह पहले न्यायाधीश होते थे। उनसे हमें राहत मिलती थी। आज हम हर जगह चाहते हैं जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव का सेपेरेशन हो। यहां इस मंशा के अगर लीगल ब्रेंस आयेंगे तो इंटरप्रिटेशन हर चीज का सही देंगे। नतीजा यह होगा कि पब्लिक और सरकार दोनों के साथ न्याय होगा। लेकिन सरकार की नीति यह है कि किसी तरह से रुपया मिले। नतीजा यह होता है कि अपने डिपार्टमेंट वालों को ही जजेज नियुक्त करती जा रही है। उनके सामने एक उद्देश्य है कि सरकार का कोष किस तरह से पूरा किया जाय। दूसरा यह है कि अधिक से अधिक डिपार्टमेंट में रुपया दिलाया जाय ताकि उन लोगों की नौकरी ज्यादा दिन तक कायम रह सके और वह लोग आगे तरक्की कर सकें। नतीजा यह है कि सेल्स टैक्स बढ़ता ही जा रहा है। मैं एक एग्जाम्पिल इलाहाबाद की देना चाहता हूं। जब पहले अपीलेट अथारिटी जजेज थे उस वक्त अगर ५० लाख रुपया सेल्स टैक्स के रूप में आता था तो अपील से ४० या ३० परसेंट रह जाता था। ज्यादातर अपील से असेसमेंट छूट जाता था। लेकिन जब से डिपार्टमेंट के लोग हैं, जब उसके सामने न्याय का प्रश्न आता है तो केवल २ या ३ परसेंट अपीलें अलाउ होती हैं। उसका दुष्परिणाम यह है कि आज हम इस बात को बरदाश्त नहीं करना चाहते कि डिपार्टमेंटल आदमियों को प्रोमोशन दे कर आप जजेज बनाएं। बल्कि हम चाहते हैं कि रिटायर्ड न्याय धीशों को जजेज बनायें। पता नहीं सरकार न्यायाधीशों से क्यों डरती है। अगर आप ऐसे लोगों को रखेंगे तो वह एक्सपीरिएंस्ड भी होंगे और न्याय हर एक के लिए होगा। और पब्लिक का यह भ्रम कि डिपार्टमेंटल आदमी ठीक से न्याय नहीं करते, यह भ्रम भी दूर हो जायगा। अब इन शब्दों के साथ मैं जो संशोधन माननीय दीपनारायण जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में बिक्री-कर संशोधन विधेयक जो उपस्थित है उस पर मैं अपना विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हूं। इतना छोटा सा यह विधेयक है और इसका कितना उपयोगी प्रभाव व्यापारियों पर पड़ेगा, यह न देखते हुए इसे तीन महीने के लिए जनमत प्राप्त करने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव किया गया, मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी तर्क नहीं है। जहां तक व्यापारियों के हित की बात है अभी तक प्रत्येक वर्ष रजिस्ट्री कराने के लिए हर एक व्यापारी को बिक्री-कर विभाग में जाना पड़ता है, और अब इस संशोधन के हो जाने से हर व्यापारी को यह अधिकार प्राप्त हो जायगा कि यदि वह चाहे तो एक साथ तीन साल की रजिस्ट्री करा सकता है। तो यह व्यापारी के लिए कितने बड़े हित की बात होगी? दूसरे, अभी जैसा सोदी के मुकदमे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारीलाल]

का हवाला दिया गया, उसी संशोधन में सरकार ने उस वैधता को भी स्वीकार करने के लिए यह संशोधन उपस्थित किया है कि जो बिक्री-कर पिछले वर्षों से पूर्व निर्धारित कर के मुताबिक वसूल किया गया था वह अवैध न रहे। सुप्रीम कोर्ट से उसकी वैधता को चैलेंज कर दिया गया था। लेकिन वह तो एक ऐसा मनी है कि बिक्री-कर वसूल हो चुका, ग्राहकों ने बिक्री-कर दे दिया और दूकानदारों ने दे दिया, लेकिन उसमें कुछ कानूनी दिक्कत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो उसमें न तो किसी को एक पैसा लेना है और न देना है। आज यदि आप उसे स्वीकार न करें और सरकार को वह पैसा वापस करना पड़े तो सरकार किसको वापस करे ? वह पैसा तो किसी दूकानदार ने नहीं दिया है बल्कि वह पैसा वसूल किया गया है उस सामान के बिक्री के द्वारा जो सामान बिक चुका और ग्राहक जिसे खरीद चुका। तो ऐसी हालत में यह तो लाजिमी था और यह तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्यता दिया गया और उससे हम समझते हैं कि आगे जो मुकदमेबाजी हो रही होगी उसमें भी रुकावट पड़ जायगी और वह रुपया जो दूकानदार के पास जमा होगा वह भी सरकार के खजाने में आ जायगा। फिर यह तो सन् १९५६ के पहले की बात है। अब ६ साल हो गए। अब तो कोई केस भी उसका नहीं आयेगा। यह तो उन्हीं केसेज पर लागू होगा जिनके कि मुकदमे चल रहे हैं।

साथ ही हमारे कई मित्रों ने जो हलवाइयों के बारे में २५ हजार रुपये की छूट दी गई उस पर भी आपत्ति प्रकट की। आश्चर्य होता है कि जब छोटे-छोटे दूकानदारों को कुछ राहत दी जाय तो उस पर भी आपत्ति प्रकट की जाय। हलवाई पेशा एक ऐसा पेशा है कि न तो उनके पास कोई बहीखाता होता है और न कोई हिसाब होता है। छोटे-छोटे दूकानदार होते हैं। तो मैं तो यह चाहूंगा कि केवल हलवाई ही नहीं बल्कि जितने भी छोटे दूकानदार हैं जिनकी बिक्री कम से कम २५ हजार रुपये साल तक की हो उन सब लोगों को एग्जेम्ट किया जाय क्योंकि आज कल महंगाई का जमाना है। सारी चीजों की कीमत कई गुना बढ़ गई है। २४–२५ हजार रुपये का एग्जेम्शन अगर आप करते हैं तो केवल २ हजार रुपये महीने की बिक्री आती है जो करीब ७० रुपये रोज पड़ेगी। तो ६०, ७० रुपये की बिक्री तो आज कल पान की दुकान पर भी हो सकती है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि उन्होंने इतने जरूरी प्वाइंट पर ध्यान दिया। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह केवल उनको ही एग्जेम्ट न करें बल्कि २५ हजार रुपये वाले जितने छोटे-छोटे दुकानदार हैं उन सब को एग्जेम्ट करना चाहिये।

एक बात और मैं इस संशोधन विधेयक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि अभी तक बिक्री-कर की अपील पर कोर्ट फीस नहीं लगती थी। पिछले वर्ष जब संशोधन विधेयक आया तो उस पर कोर्ट फीस लगाई गई लेकिन आज इस धारा ८ के अन्तर्गत (१) में धारा ६ के अधीन अपील के ज्ञापन पत्र पर, यह कहा गया है कि "विवाद ग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ दंड की धनराशि का एक प्रतिशत, किन्तु कम से कम एक रुपया तथा अधिक से अधिक ५० रुपये।" मैं समझता हूं इसमें एक रुपया कम से कम ठीक है। लेकिन ५० रुपये बहुत ज्यादा हैं। जो छोटे दूकानदार हैं उनके लिये ५० रुपया बहुत ज्यादा है। इसके आगे पुनरीक्षण के लिये यह कहा गया है कि "विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ दंड की धनराशि का पांच प्रतिशत किन्तु कम से कम पांच रुपये तथा अधिक से अधिक एक सौ रुपये।" १०० रुपये जो लिया जायगा, वह बहुत ज्यादा है। आपने यह भी कर दिया है कि हर एक एप्लीकेशन पर दो रुपया चाहे वह किसी तरह से दरख्वास्त दे। यह बात पहले बिक्री-कर ऐक्ट में नहीं थी। मैं चाहता था कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इस फीस को कुछ कम करें और साथ ही मैं बिक्री-कर के मुताल्लिक आपके द्वारा सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि अब बिक्री-कर के बारे में तो ऐसी सुविधा दे दी गई है कि आपके प्रान्तीय स्तर पर दो-दो एडवाइजरी कमेटी हैं। लोकल स्तर पर भी हर शहर में एक एडवाइजरी कमेटी हो गई है। उसमें बिक्री-कर के

विषय में जितने प्रतिनिधिगण हैं वे सब लोग अपनी-अपनी बातों को बिक्री-कर की मीटिंग में पेश करते हैं।

माननीय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम लोगों के द्वारा यह प्रयास किया जाय कि मल्टीपिल प्वाइन्ट हटा कर हर एक चीज पर सिंगिल प्वाइंट कर दिया जाय। सिंगिल प्वाइन्ट की मांग करीब करीब हर एक व्यापारी वर्ग की तरफ से है। मैं समझता हूं कि यदि मल्टीपिल प्वाइन्ट हटाकर सिंगिल प्वाइंट सेल्स टैक्स कर दिया जाय तो वसूल करने में कठिनाई नहीं होगी। दुकानदारों को, ग्राहकों को और सब को सुविधा होगी। रेट के बारे में यह जरूर कहूंगा कि जहां कहीं रेट कम महसूस होता हो उसके बारे में सरकार छोटे व्यापारियों की और अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक उस पर बढ़ा सकती है। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध और इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का घोर विरोध करते हुये तथा माननीय दीपनारायण सिंह जी के संशोधन का समर्थन करते हुये अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जहां तक इस संशोधन विधेयक की ड्राफ्टिंग का सवाल है वहां तक उपमन्त्री महोदय ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किये हैं कि पुराने ऐक्ट में लैकुना था जिसके कारण उनको यह नया विधेयक लाना पड़ा। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि इस सेल्स टैक्स के विधेयक में कई अमेंडमेंट हो चुके हैं और अमेंडमेंट अब भी हो रहे हैं। सन् १९५५ तक इसमें १२ अमेंडमेंट हो चुके हैं और उसके बाद ६ संशोधन और हुये हैं। यह १९ संशोधन सन् १९४८ के ऐक्ट में अब तक हो चुके हैं। तो ये माननीय मंत्री लोग यहां पर क्या करते हैं कि इतने संशोधन पर संशोधन होते रहते हैं फिर भी लूप होल रह जाते हैं और उन लूप होल्स के बाद भी आज इस विधेयक पर कितने ही संशोधन रखे गये हैं?

मैं अपने जगदीशशरण जी अग्रवाल और दूसरे अन्य सदस्यों, श्री कृष्णानन्द राय आदि जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने बतलाया है कि इस विधेयक में भी इतनी गलतियां हैं कि जो व्यापारीवर्ग के लिये कितनी ही कठिनाइयों का कारण हो सकती हैं। इस विभाग में उच्च अधिकारी एक ही स्थान पर ११, ११ साल से बैठे हुए हैं। वे विचार नहीं करते कि यह गलतियां आखिर क्यों होती हैं और इन गलतियों के लिये ज्यादा जिम्मेदार वे ही हैं। कल राधेश्याम जी ने बतलाया था कि ये विधेयक मिनिस्टर्स पढ़ते नहीं और इनकी ड्राफ्टिंग उच्च अधिकारियों द्वारा होती है और मिनिस्टर्स उनके हाथ में खिलौने हैं। जगदीशशरण जी ने कहा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का किसी तरह अपमान नहीं होता। मैं कहूंगा कि इसमें अवश्य अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया कि अधिकारी किसी तरह सेल्स टैक्स ३ पाई से ६ पाई नहीं कर सकते। उसको कोई अधिकार नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि तीन पाई ही बढ़ सकता था। अब यह उन के आनर और प्रेस्टीज का प्रश्न हो जाता है। इस प्रेस्टीज को बचाने के लिये आज एक विधेयक लाया जा रहा है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे आपने भी कई बार विचार व्यक्त किये कि यह तो एक मामूली प्रोसीजरल ऐक्ट हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसमें क्या तमाशा होने वाला है। व्यापारियों पर क्या मुसीबत आने वाली है यह धारा ३१ से जाहिर होगा। यह प्रोसीजरल बिल नहीं है बल्कि यह एक मनी बिल है। धारा ३१ को जो रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दिया गया है उसका मतलब क्या मैं यह समझूं कि सन् १९४८ से जो ३ पाई के हिसाब से टैक्स लिया गया था वह अब ६ पाई के हिसाब से नहीं वसूल किया जायगा और क्या वह १९४८ से आज तक का नहीं वसूल किया जायगा? उन व्यापारियों की जिन्होंने इस बीच में अपना व्यापार खत्म कर दिया है, क्या स्थिति होगी? इस विधेयक की धारा ७ में लिखा हुआ है कि मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात् नयी धारा ३१ के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये और १ अप्रैल, १९४८ से इसी प्रकार बढ़ाया गया समझा जाये। सन्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

१९४८ के बाद सन् १९६२ में १४ साल बाद होश में आये हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था और क्या मंत्री जी समझे हैं और वहां क्या प्वाइंट था डिस्कशन में उसे आपको बतलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:

"By the imposition of a different tariff in the course of the year, the incidence of tax liability may competently be altered by the Legislature, but for effectuating that alteration, the Legislature must devise machinery for enforcing it against the taxpayer and if the Legislature has failed to do so, the court cannot resort to a fiction which is not prescribed by the legislature and seek to effectuate that alteration by devising machinery not found in the statute."

(A. I. R- Vol. 48 July 1961 Part 571 Supreme Court 1047 (V 48 C 175)

आपके स्टेट्यूट्स यह थे कि जो पिछले वर्ष मुनाफा है उस पर भी आने वाले वर्ष में कर लगा सकत हैं। अधिकारियों ने गलती की और उसे ३ पाई से ६ पाई कर दिया। तो यह गलती स्टैट्यूट्स की थी। लेकिन स्टैट्यूट्स जो गलत हो गया है, उस गलती के लिये आज से १४ वर्ष पहले का पुनर्निर्माण क्या पर्याप्त नहीं था? यह बहुत बड़े दुख की बात है। आप सोचें उन व्यापारियों से जब १४ वर्ष बाद हिसाब माँगा जायगा कि हिसाब दिखाओ, तो यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो कि आप करने जा रहे हैं। यह कोई मामूली प्रोसीजर नहीं है। यह सब वसूल होगा। इसके अलावा इसमें जो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट की बात है, जो इसमें बुराइयां हैं, उन पर भी तो आपको गौर करना चाहिए।

जैसा कि अभी एक वक्ता महोदय ने बताया है कि इसकी जगह जो लोग एप्वाइंट होंगे, वे उसी विभाग के होंगे। आप देखें कि हर विभाग की एक मेन्टेलिटी होती है। इस विभाग द्वारा नियुक्त होने पर जो मेन्टेलिटी सेल्सटैक्स आफिसर की होती है कि वह व्यापारियों पर से कर नहीं छोड़ेंगे, तो वह वैसी ही मनोवृत्ति बनी रहेगी।

अभी कुछ दिन पूर्व इस सदन में जैसा कि कहा गया है कि एक सी० आई० डी० के रिपोर्टर कुछ नोट कर रहे थे। तो यह वही बात है कि उनकी मेन्टेलिटी बिलकुल डिफरेंट होती है। आप देखें कि जो सेल्स टैक्स आफिसर होंगे उनका तो यही ध्येय रहता है कि व्यापारियों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगे। उनकी यही मनोवृत्ति रही है कि अनुमानित रूप से टैक्स लगा देते हैं, बिना सोचे समझे। इसी लिये मैं कहता हूं कि वही अपनी विचारधारा को जो वे हमेशा से लिये हुए हैं, उसी को वे कार्यान्वित करेंगे। इसके लिये जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि उसका निराकरण न करके, जो रिटायर्ड जजेज, या जो जजेज हैं, उनको एपीलेन्ट की अपील सुनने के लिये रखा जावे।

दूसरा प्रश्न यह है कि जैसा अभी हमारे माननीय गिरधारीलाल जी ने बताया है कि जो अभी तक दरख्वास्तें दी जाती थीं, अपील की जाती थी, उन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगा करता था, परन्तु अब उसके लिये भी टिकट लगेगा। अभी तक जनता को अधिकार था कि वह बिना टिकट अपील कर सकती थी लेकिन मंत्री महोदय ने यह भी नहीं रहने दिया। यह कहाँ तक न्यायसंगत बात है? जो अधिकार बहुत पहले से चला आ रहा है, उसको भी आपने नहीं रहने दिया। यह एक बड़ी ही अनुचित चीज है। आप अपील के अधिकार से भी वंचित करना चाहते हैं, यह बड़ी अन्यायपूर्ण बात होगी।

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि जो इसमें दोष हैं, उनके लिये यह भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस ऐक्ट के दोषों के निवारण के लिये कुछ किया जाय। जैसा कि पहले हुआ करता था कि हमेशा जल्दी में कोई ऐक्ट नहीं रखा जाता था, बल्कि उन पर अच्छी तरह से विचार-विनिमय होता था और जो गलती होती थी, उनका सुधार होता था। यह नहीं कि आज रात में ऐक्ट बनाया और कल सुबह पेश कर दिया। इसलिये यह बहुत आवश्यक

होगा कि इसको प्रसारित करने के लिये जनता में भेजा जावे, ताकि इसकी जो अशुद्धियां हैं, वे ठीक हो जायें और जनता पर जो बोझ पड़ने वाला है,वह न पड़ सके ।

*श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनमत संग्रह करने के लिये जो संशोधन दिया गया है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं नहीं जानता हूं कि जनमत संग्रह किन प्रश्नों पर किया जाय ? वे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन पर कि पब्लिक ओपीनियन जाननी चाहिए । यह तो २–३ मामूली संशोधन हैं । पहला संशोधन तो यह है कि एक वर्ष के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता था वह ३ वर्ष के लिए हो सकता है । क्या हम जनता से पूछने के लिए जायं, जिसके उत्तर का ३ महीने तक हम इंतजार करें, कि रजिस्ट्रेशन की अवधि एक से तीन वर्ष कर दी जाय ? दूसरी बात फीस के संबंध में और तीसरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में है । ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं हैं कि जिनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको जनमत जानना चाहिए । यह सदन जिसको सार्वभौमिक सत्ता प्राप्त है इसमें सब दलों के प्रतिनिधि हैं, विद्वान हैं इसलिए यह काम्पिटेंट है कि यही नहीं बल्कि इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी अपना निश्चय कर सके । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं कि यह संशोधन विधेयक जनमत संग्रह के लिए भेजा जाय और ३ महीने तक सदन उसकी प्रतीक्षा करे ।

जहां मैं इसका विरोध करता हूं वहां यह भी कहना चाहता हूं कि यह अधिक उपयुक्त होता यदि सरकार विस्तार के साथ एक बहुत डिटेल्ड संशोधन विधेयक इस सदन के सम्मुख लायी होती । पिछले वर्षों में हमको और संभवतः इस सरकार को बहुत से अनुभव हुए होंगे, बहुत सी कठिनाइयां आयी होंगी और जनता और व्यापारियों को जो कठिनाई होंगी उनसे भी सरकार परिचित होगी । यदि उस पृष्ठभूमि में सरकार एक डिटेल्ड और एक्जास्टिव संशोधन लायी होती तो सभी दल उसका स्वागत करते । मैं झांसी जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं । एक सबसे बड़ी खामी स्टेट सेल्स टैक्स में यह है कि मध्य प्रदेश में, जो हमारी सीमाओं से लगा हुआ है, सेल्स टैक्स की दरें बहुत कम हैं और वह ऐसा सरल और सुलभ बनाया गया है कि उसका प्रभाव हमारी तिजारत पर पड़ता है । हमारे यहां ऐसी सुविधाएं न होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के व्यापारी हमारी मंडियों में अपना माल नहीं लाते, बल्कि मध्य प्रदेश की मंडियों में ले जाते हैं और इस सेल्स टैक्स के कार्यान्वयन करने के कुप्रभाव के कारण झांसी के अन्दर, और दूसरे क्षेत्रों में भी जो दूसरे प्रदेशों से लगे हुए हैं, उनका व्यापार और व्यवसाय घटता जा रहा है । इस संबंध में कई बार प्रार्थनाएं की गयीं शासन से, सरकार के पास शिष्टमंडल और प्रतिनिधि मंडल आये लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला । अब फिर इस सरकार से अनुरोध और प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिछले १२–१५ वर्षों में जो कठिनाइयां आयी हैं व्यापारियों और जनता को, उनकी पृष्ठभूमि में उसे एक एग्जास्टिव विधेयक लाना चाहिए जिससे वह अनोमालस पोजीशन हल हो जाय ।

मेरे मित्र, श्री दीपनारायण सिंह ने विरोध किया और कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध इस सदन में कोई संशोधन विधेयक लाते हैं तो उसकी उच्चता, सार्वभौमिकता और महानता को चुनौती देते हैं । उनका बहुत सम्मान करते हुए, उनकी विद्वता का कायल होते हुए मैं उनसे इस प्रश्न पर मतभेद रखता हूं ।

श्रीमन्, अगर हम पिछले १००–२०० वर्षों के इतिहास को देखें तो एक स्पष्ट चित्र हमारे सामने आ जायेगा और वह यह कि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान की व्याख्या करता है, सुझाव देता है और कानून में आवश्यक संशोधन करने के लिये प्रेरित करता है । जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के दो अलग-अलग कार्य हैं, दोनों के अलग-अलग कर्त्तव्य हैं, और अलग-अलग परिधियां हैं । इस लेजिस्लेचर को सार्वभौम सत्ता प्राप्त है और संविधान के अन्दर उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और उसको कार्यान्वित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णचन्द्र]

करा सकती है। जुडिशियरी का यह अधिकार है कि वह यह देखे कि लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है वह संविधान के अनुकूल है या नहीं, अदालतें उसका ठीक तरह से कार्यान्वयन करती हैं या नहीं, विधेयक की भाषा ठीक है या नहीं। अगर भाषा आदि ठीक नहीं हैं तो वह उस ओर इंगित करती है और उस जगह संशोधन करने के लिये इशारा करती हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम इन संशोधनों को लाकर के जो एक एनामालस पोजीशन, भाषा की ढिलाई आदि है, को ठीक करना चाहते हैं। आप अगर अमेरिका के संविधान के इतिहास को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर पिछले २०० वर्षों में संविधान में जितने भी संशोधन हुये हैं वे सब जुडिशियरी के फैसलों के ही परिणामस्वरूप हैं। जहां पर भी जुडिसियरी यह समझती है कि विधेयक में हमने भाषा आदि का ठीक प्रयोग नहीं किया है, उस ओर वह इशारा करती है और उसमें संशोधन लाने के लिये प्रेरित करती है।

जहां तक फीस का ताल्लुक है, इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि उधर के बैठने वालों के दिमाग में तो हर समय, उठते बैठते, चलते फिरते, चाहे सदन के अन्दर हों या बाहर, टैक्स का भय बना रहता है। टैक्स का भय उनको चैन से नहीं बैठने देता। कोई भी मामूली से मामूली विधेयक हो, वे उसमें सूंघते हैं कि कहीं उसमें टैक्स की बदबू तो नहीं आ रही है। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों का सम्मान करते हुये यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल को सूंघा है और इस बात को एक कल्पना के आधार पर साबित करने की कोशिश की है कि सैल्स टैक्स को और बढ़ाया जा रहा है, जब कि टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा है, बल्कि फीस लगायी जा रही है और वह इसलिये कि बहुत सी ऐसी दरख्वास्तें पेश की जाती हैं, अपील की जाती हैं, जिनका कि कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिये हमने समझा कि अगर फीस लगा दी गयी तो संभवतः वह कार्य मिनिमाइज हो जायगा, कम दरख्वास्तें आवेंगी, कम अपीलें आवेंगी। मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करते हुये गवर्नमेंट से चाहता हूं कि इसका सरलीकरण किया जाय, इसे ज्यादा सरल बनाने की कोशिश करें, इसे इतना चक्करदार न बनावें कि कन्ज्यूमर और व्यापारी की परेशानियां बढ़ें।

माननीय गिरधारीलाल जी ने जैसा कहा, मैं भी सिंगल प्वाइंट टैक्स का समर्थन करता हूं और उसका हृदय से स्वागत करता हूं। जिले के स्तर पर न्यायाधीशों और अफसरों का इसमें लाना हमारा काम सरल नहीं करता, बल्कि हम और दलदल में चले जाते हैं। मुझे अभी मालूम हुआ है कि प्रांतीय स्तर पर एक एडवाइजरी कमेटी है जो छानबीन करती है और सलाह देती है। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार जिला स्तर पर भी एक कमेटी हो, जिसमें सेल्स टैक्स अफसर रहें, व्यापारी रहें और अगर आप मुनासिब समझें तो विधायक को भी रख दें। इस कमेटी का काम होगा कि सलाह दे, निर्देश दे।

इस विश्वास के साथ कि सरकार निकट भविष्य में ऐसा संशोधन विधेयक अवश्य लावेगी जिससे ये सब कठिनाइयां और परेशानियां दूर हो जावेंगी, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये भेजने के पक्ष में हूं और इसलिये इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

बहुत से सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़ी लम्बी-चौड़ी दलीलें दीं कि यह जनमत संग्रह के लिये नहीं जाना चाहिये क्योंकि यह केवल प्रोसीज्योरल विधेयक है, इसमें किसी प्रकार से भी धन का कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, हम कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये उन्होंने कहा, इसे जनमत-संग्रह के लिये भेजना खाम-खयाली होगी। लेकिन आप जानते हैं कि जब-जब इस बिक्री -कर अधिनियम में संशोधन आये हैं, जनता के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ा है। क़ोई भी संशोधन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया जिससे जनता को कोई सुविधा मिली है। उल्टे या तो सरकार ने जनता के उपर टैक्स बढ़ाये हैं या सरकारी अफसरों के अधिकार बढ़ाये हैं। सरकार ने इसीलिये विधियां निर्माण की हैं कि जनता से अधिक से अधिक पैसा वसूल हो सके।

दूसरी बात यह है कि हम इसे धन विधेयक क्यों न मानें। इस विधेयक को देखने से स्पष्ट पता चलेगा कि इससे सरकार को आमदनी होने वाली है। कोई आय कम होने वाली नहीं ह। इसलिये स्पष्ट रूप से हम इसे धन विधेयक मानते हैं और जनमत संग्रह के लिये भेजना चाहते हैं। जनता को इस विधेयक से कुछ अतिरिक्त पैसा देना होगा। वास्तव में टैक्स का नया प्रकार इसे कहा जा सकता है और इसलिये मैं माननीय जगदीश-शरण अग्रवाल जी के उस कथन को सही नहीं मानता जिसमें उन्होंने कहा कि इसके जरिये जनता पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मैंने यह नहीं कहा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—मैं धन्यवाद देता हूं माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी को कि उन्होंने ऐसी बात कही। लेकिन शुरू में जो भी माननीय सदस्य कांग्रेस के खड़े होते हैं उनका भाषण ऐसा होता है जैसा हमारे माननीय उग्रसेन जी का होता है और उसके बाद अन्त में व्हिप की आशंका रहती है तो कह देते हैं कि वह संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं। मैंने अभी देखा कि एक माननीय सदस्य सरकारी पक्ष के बोले और उन्होंने बाद में कह दिया कि जनमत संग्रह का वह विरोध करते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उनका मतलब यह था कि पहले तो उग्रसेन जी की तरह से उग्र बोलते हैं और बाद में खिसक जाते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—उग्रसेन जी की भाषा से मेरा तात्पर्य यह था कि जैसे वह विरोध करते हैं उसी तरह से कांग्रेस के सदस्य उसका विरोध करना चाहते हैं और अन्त में, जैसे कोई इलहाम आया हो या स्वप्न देखा हो, कह देते हैं कि हम सरकारी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

श्रीमन्, मैं इसलिये भी इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये भेजने के पक्ष में हूं कि जनता इतने संशोधन इसमें देख चुकी है कि उसे विश्वास नहीं रह गया है कि इस संशोधन से उसके ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। जनता के पुराने अन्देशे इस विधेयक में जाहिर हो रहे हैं। जब अतिरिक्त पैसा वसूल किया जायगा तो अवश्य टैक्स बढ़ेगा और सरकार के खजाने में रुपया जायगा। वित्त मंत्री जी को माननीय अग्रवाल जी ने बड़ा धन्यवाद भी दिया था कि वह कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वह बात भी इससे गलत सिद्ध हो जाती है। अगर सरकार अभी घोषणा कर देती है कि इससे कोई पैसा आय का वह नहीं लेगी तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे।

जगदीशशरण जी ने यह भी बताया कि एक हाई पावर कमेटी इसके लिये बैठी हुई है। उसमें एक्सपर्ट्स भी हैं, लेजिस्लेचर के लोग भी हैं। जब वह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती तो सर्वांग रूप से एक अच्छा सा संशोधन विधेयक लाया जाता। लेकिन सरकार तो यह देखती है कि जैसे भी आमदनी हो उसे जल्दी से कर लेना चाहिये। जहां सरकार २ साल से रुकी हुई थी वहां ६ महीने और रुक जाती, तो कोई हर्ज नहीं था। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद संशोधन विधेयक लाया जाता तो अधिक अच्छा होता क्योंकि उसमें जनता के हित की बातें भी होतीं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं ह कि तीन साल के रजिस्ट्रेशन की बात को छोड़

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

कर बाकी सब बातें जनता के हित में नहीं हैं। इससे भी आपको कोई आमदनी होती होगी इसलिये ही आपने यह किया होगा, फिर भी इससे व्यापारियों को कुछ लाभ होगा।

आपने जब बिक्रीकर का कानून सन् १९४८ में बनाया था उसमें कहा था कि हमारी आबकारी की आमदनी घट जायगी क्योंकि कुछ नये इलाकों में हम प्राहीबीशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमें योजना के लिये रुपया चाहिये। इन कारणों से प्रेरित होकर आपने यह बिल पास कराया था। इसके साथ ही साथ यह भी आश्वासन दिया था कि जब कभी हम यह समझेंगे कि हमारी आमदनी के स्रोत बढ़ गये हैं तब इस बिल को समाप्त कर दिया जायगा। इसीलिये आपने यह महकमा आज तक अस्थायी रखा। जनता को इस बात की आशा थी कि अब क्योंकि आमदनी के स्रोत बढ़ गये हैं। अतः कदाचित् सरकार यह घोषणा करने ही वाली है कि यह सेल्स टैक्स समाप्त कर दिया गया।

आपने आजतक जो प्रोसीजर ऐडाप्ट कर रखा है वह बहुत ही नाकिस है, घटिया है। आप बिक्रीकर लेते हैं लेकिन आप व्यापारियों से आशा करते हैं कि वह बैलेंसशीट खुद बना कर दें। सेल्सटैक्स आफीसर उससे भी अधिक प्रोसीजर मांगते हैं जितना कि श्रेय इनकमटैक्स वाले भी नहीं मांगते और जो मुकदमे होते हैं उनके फैसलों में लिखा जाता है To the best of my Judgement इसमें भी सरकार को ही फायदा रहता है। जब आप बिक्रीकर लगाते हैं तो क्यों नहीं सीधी तरह से यह देखते हैं कि बिक्री से किसी को कितनी आमदनी होती है। आप दुनिया भर की तमाम बातें क्यों देखते हैं। आप बैलेंसशीट भी मांगते हैं लेकिन एक मामूली आदमी किस प्रकार से मुनीम रख सकता है। इससे तो आप गलत हिसाब रखने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जब कि कोई बिक्रीकर आफीसर गया और उसने दूकान में जाकर गल्ले के पैसे गिनवाये और वे ठीक निकले लेकिन फिर भी बाद में उसको ठीक नहीं माना गया। आपके सेल्स टैक्स के जो नियम हैं उनसे लोग बहुत त्रस्त हैं। इनकम टैक्स विभाग की तरह के एफीशियेंट नियम नहीं हैं, इसके अलावा वे सुविधा भी सेल्स टैक्स में व्यापारियों को नहीं मिलती जो कि इनकम टैक्स में देते हैं। अगर कोई किसी तारीख पर नहीं पहुंच पाता है तो तुरन्त ही एक्सपार्टी जजमेंट हो जाता है, शो-काज का भी मौका नहीं दिया जाता। एक बार मेरे पर्सनल केस में भी इसी प्रकार पहली तारीख को ही एक्सपार्टी जजमेंट हो गया। और उनके लिये शो काज करने की भी सुविधा नहीं होती है। इसलिये इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिये। इसलिये भी इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये भेजना चाहिये जिसमें जनता अपने कमेंट्स दे सके। जनमत संग्रह का केवल यही मतलब नहीं होता कि जो संशोधन आप करने जा रहे हैं उसी पर उसका कमेंट्स हो, बल्कि उसका मतलब यह है कि जनता इस तरह के सुझाव दे सके कि उसके ऊपर अतिरिक्त कर भार न पड़े और वह यह भी कह सके कि उसके सुझावों के अनुसार विधेयक में व्यापक रूप से संशोधन लाया जाय।

सबसे बड़ी बात जो इसमें आप करने जा रहे हैं वह यह कि रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट आप इसको देने जा रहे हैं। १२ साल के अन्दर दीवानी और सिविल कोर्ट के मुकदमे भी समाप्त हो जाते हैं लेकिन आप १४ साल पहले से इसको लागू करने की सोच रहे हैं जब से सरकार ने कोई कानून शायद बनाया ही नहीं। इस बीच में तो आपै कोई चीज ऐसी लाये नहीं और अब इस बिल को रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट देने जा रहे हैं तो इस बात के सोचने समझने की आवश्यकता है।

हम तो यह आशा कर रहे थे कि अब भी कोई विधेयक आने वाला होगा जिससे जनता को कुछ सुविधा मिलेगी, राहत मिलेगी। प्रत्येक संशोधन जब इस सेल्स टैक्स का आता है तो जनता भी यही समझती है कि सरकार अब अपने पराने कथन को सही मानते हुये यह घोषणा करेगी कि इतनी वस्तुओं पर हमने बिक्री-कर में कमी कर दी या इन पर से कर हटा लिया

और दो चार वर्षों के अन्दर बिक्री-कर बिलकुल समाप्त कर दिया जायगा। लेकिन हर दफा निराशा होती है। तो मेरी मांग यह है कि यह सेल्स टैक्स बिलकुल वापस लिया जाना चाहिये और इस वक्त यह कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती है।

अभी कोई माननीय सदस्यों ने कहा कि मल्टिपुल प्वाइंट सिस्टम को हटा देना चाहिये। यह बात बिलकुल ठीक है। जनता को राहत देने के लिये मल्टिपुल प्वाइंट सिस्टम बहुत ही हानिकारक है। इस समय भी कंज्यूमर्स को बहुत अधिक पैसा देना पड़ता है। जितने सुगंधित तेल हैं, खुशबूदार चीजें हैं उन पर भी कई जगह टैक्स पड़ता है। इसका हिसाब किताब रखने में भी बड़ी परेशानी होती है। गल्ले पर भी इस तरह से लिया जाता है। तो सरकार के यह सोचने समझने की बात है कि इस मल्टिपुल प्वाइंट सिस्टम को समाप्त कर दिया जाय।

तीसरी बात यह है कि इस ऐक्ट के अन्दर जो इंटरप्रिटेशन हैं वह अलग-अलग सेल्स टैक्स आफिसरों का अलग-अलग होता है। मेरा यह निजी अनुभव है कि अभी दो तीन साल पूर्व तक मैंने हवन सामग्री पर टैक्स दिया। उसके बाद हवन सामग्री दवा में आ गयी। किसी ने कहीं पर हवन सामग्री को दवा में माना और कहीं किसी ने उसे खुशबूदार चीज मानी। इसी तरह से शहद का भी आइटम है जो आज भी एक विवादग्रस्त वस्तु बनी हुई है। कोई कहता है कि यह दवा है और कई जगह इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो इस तरीके से मेरा यह सुझाव है कि इसमें संशोधनों का समावेश होना चाहिये और जब आप इस विधेयक को जनमत के लिये प्रसारित करेंगे तो जनता भी अपने सुझाव देगी। आपका जो प्रोसीजरल सिस्टम है वह बहुत गलत है, एक सा आर्डर नहीं दिया जाता। आपके कई सेल्स टैक्स आफिसर अयोग्य होते हैं और अगर कोई एक पार्टी किसी कारण से तारीख पर नहीं आती तो एक्सपार्टी जजमेंट दे देते हैं या to the best of my judgment लिख कर फैसले दे देते हैं और दूसरी पार्टी की बात सुनने के लिये तैयार ही नहीं होते हैं।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक महाशय जो पहले बोले हैं उन्होंने कहा कि यह सदन काम्पीटेंट हर बात तय करने के लिये है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि वास्तव में यह सदन काम्पीटेंट है क्योंकि यह विधान के अनुसार बना हुआ है और इसके ऊपर और कोई सत्ता नहीं है। यदि कोई इसे इनकाम्पीटेंट कहेगा तो वह इस सदन का अबमान करेगा। लेकिन इस सदन में जो विधेयक लाया जाता है वह सरकार की तरफ से आता है और यह इतना इनकाम्पीटेंट होता है कि उनको इनकाम्पीटेंट कहना पड़ता है और इस की जिम्मेदारी सरकारी पक्ष की है और सरकारी पक्ष के लोगों की है और उनके कर्मचारियों की है जो ऐसा विधेयक सामने लाते हैं। भला यह कितने आश्चर्य की बात है कि सन् १९४८ में एक ऐक्ट पास किया गया और उसमें अभी तक बीसों संशोधन हो चुके हैं और आज तक वह इसको काम्पीटेंट नहीं बना सके। इस तरह का लांछन सरकारी पक्ष की ओर उचित ही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हर बात में विरोधी पक्ष को टैक्स की बदबू आती है। आप ही बतायें कि १४ साल तक जो मुर्दा गड़ा रहा हो तो क्या उस के खुलने पर उस में से बदबू नहीं आयेगी। इस के अलावा हमें तो बदबू आती ही है लेकिन पिछले एक मास से जो हम अखबार पढ़ रहे हैं उससे हमें ऐसा लगता है कि सरकारी पक्ष के लोगों को भी हम से अधिक बदबू आ रही है और वह इस से जाहिर है कि वोटिंग के समय १४०–१४२ से अधिक हाजिरी नहीं रहती और अखबार भी कहते हैं कि सरकारी पक्ष में बड़ी बदबू फैल गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमें बदबू आती है वही सरकारी पक्षवालों को भी आने लगी है। इस के प्रमाण में मैं ही नहीं बल्कि पिछले अखबार भी हैं जिनका कोई कांट्रेडिक्शन भी नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि बदबू आप को आती है क्योंकि जब आप कोई भाषण करते हैं और आरम्भ में प्रस्तावना करते हैं तो इस बदबू का अन्दाजा आप को शुरू में काफी होता है लेकिन भाषण समाप्त होते होते आप को खुशबू आने लगती है।

श्री उपाध्यक्ष—आप विषय पर आईये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—कुछ बातों का उत्तर देना आवश्यक था इसलिये मैंने कहा कि बदबू यहां तक न फैल जाय कि मध्यअवधि चुनाव जल्द कराने पड़ें और उनमें वह बदबू अपना व्यापक रूप दिखाने लगे। इतना कह कर मैं कहूंगा कि आप इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये प्रसारित करें और इस संशोधन का मैं समर्थन करता हूं और अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिक्री-कर संशोधन विधेयक विचारार्थ सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और जिसके संबंध में माननीय दीपनारायण जी ने उसे जनमत संग्रह के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जो भाषणकर्ता इस संशोधन के समर्थन में बोले हैं उनमें से अधिकांश के भाषणों को मैंने सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस छोटे से बिल में जो २–४ संशोधन प्रपोज किये गये हैं उनके विषय में कोई ऐसे तर्क नहीं दिये गये जिन को सुनकर यह निश्चय किया जा सके कि इसको जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा। इस में जो बातें हैं उनके विषय में कुछ न कहकर पूरे ऐक्ट में यह त्रुटियां हैं, यह बुराइयां हैं, बिक्री-कर अधिकारी यह गड़बड़ करते हैं, बैलेंसशीट में यह दिक्कतें होती हैं आदि आदि बिल की बातों पर सीमित न रहकर दुनिया भर की बातें कही गईं जो असम्बद्ध थीं।

मैं नम्र निवेदन करूंगा कि बराबर उधर से यह दोहाई दी जाती है कि जनता को कोई राहत यह सरकार देना नहीं चाहती। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब जनता को राहत देने की बात आती है तो उस का विरोध किया जाता है। अगर इस बिल को देखा जाय तो जो चीज इसके उद्देश्य में लिखी है कि रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने के लिये इस में संशोधन किये गये हैं। इस से कौन करेगा कि इससे व्यापारीवर्ग को सुविधा नहीं मिलेगी। श्री रामचरण शाह लखीमपुर के व्यापारी हैं और लखनऊ में भी उनके होटल चल रहे हैं। वह इस बात को जानते हैं कि सेल्स टैक्स देने वालों को हर साल रजिस्ट्री करवानी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन की अवधि बीतने के बाद क्या २ परेशानी होती है और जुरमाने भुगतने पड़ते हैं। अगर एक साल के बजाय तीन साल सरकार कर रही है तो क्या अन्याय है। क्या यह जनता को राहत नहीं है। ऐसी बातें जहां राहत देने की हों उनका भी विरोध करना कहां तक उचित है ?

आगे मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ धारायें हैं। उनके कुछ उपबन्ध हैं जिनके अधीन व्यापारी अपील नहीं कर सकता था। उसको अब अपील करने की सुविधा दी जा रही है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स के अन्दर कुछ एग्जम्पशन की भी शर्तें हैं और व्यापारी जब सेल्स टक्स अधिकारी के यहां एग्जम्पशन की दरख्वास्त देता है और सेल्स टैक्स अधिकारी के ध्यान में नहीं आया या वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने वह दरख्वास्त खारिज कर दी और असेसमेंट कर दिया। उसके बाद व्यापारी अपील कर सकता है पहले नहीं। अब यह किया जा रहा है कि अगर वह एग्जेम्पशन के लिये दरख्वास्त करता है और वह खारिज कर दी जाती है तो उसको आगे सुनने का बराबर मौका दिया जाना चाहिये, वह अगर पहले नहीं था और अब दिया जा रहा है तो क्या आपत्ति हो सकती है ? यह राहत नहीं तो क्या ज्यादती है ? लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सरकार राहत नहीं देना चाहती।

हां, एक बात जरूर कहना चाहता हूं मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा कि इसको धन विधेयक क्यों न मान लें इससे खजाने में धन आयेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकारी खजाने में धन क आने से हम लोग जो यहां बठे हैं दुखी होंगे तो फिर मानव जीवन के अन्दर भी भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वन्द है। और हम यहां भौतिकवाद के युग के आधार पर ही चल रहे हैं और उसकी दौड़ के अन्दर भारतवर्ष को सब से आगे पहुंचाना

चाहते हैं, हम आर्थिक युग की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमारे पास धन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा हमारी सरकार कैसे चलेगी। इस बिल के द्वारा कौन सा नया धन आने का साधन रखा गया है। दलीलें दी जाती हैं कि इसको धन विधेयक मान लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं इस बात को दोहराया है कि "नहीं, फीस तो पड़ती ही है यह कर से संबंध नहीं रखता है"। लेकिन फिर भी बार-बार हठवादिता के आधार पर कहा जाता है नहीं, यह तो कर है, हम तो इसको कर मानेंगे। ठीक है आप इसको चाहें जो मानें। इसमें कोई कर का ऐसा मामला नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि अगर कुछ भूलें सामने आयीं, सौभाग्य है कि हमारी जनतांत्रिक सरकार है और हम जनता के लिये नियम और अधि-नियमों का निर्माण करते हैं, तो सरकार उनमें समय-समय पर संशोधन रखती है और यहां सदन में सब को विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाता है ताकि उनकी त्रुटियां दूर कर सकें। तो आपको तो ऐसी बातों का स्वागत करना चाहिये।

एक बात और कही गई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में, मैं समझता हूं यदि कोई चीज ऐसी आ गई है जिसके द्वारा सरकारी कर की वसूली में या सरकारी आय में कोई दिक्कत पैदा होती है और अगर उसको दूर किया जाता है तो कौन सा अनुचित कदम है जिससे जनता को राहत नहीं मिलेगी, या जनता को और व्यापारियों को बोझ उठाना पड़ जायगा? मैं माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी की बात को स्वागत करता हूं कि उन्होंने ऐसी बात को बताया जिसकी जानकारी हम सब को हो गई। उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी इस के ऊपर बैठी हुई है। मुझे थोड़ा सा अनुभव है बिक्री-कर के बारे में और मैं भुक्त भोगी भी हूं। मैं तो बहुत सी बातें खुद कहना चाहता था क्या क्या कठिनाइयां हैं लेकिन एक हाई पावर कमेटी बैठी हुई है। वह खुद विचार कर रही है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यह सरकार उन व्यक्तियों की सरकार है जिसमें सब प्रकार के व्यक्ति हैं। किसान, डाक्टर, व्यापारी, मजदूर एवं वकील सभी वर्ग के सभी लोग हैं। विशेषकर यह जनसंघ की नीति के लोगों की सरकार नहीं है जिसमें व्यापारीवर्ग का ही अधिकांश प्रतिनिधित्व हो, बाकी और अन्य का प्रतिनिधित्व नाम मात्र का हो।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक के अन्दर कोई ऐसी धारा नहीं है जिसके लिये जनमत जानने की कोशिश की जाय और व्यर्थ में जनता को जो तत्काल राहत मिलने वाली हो उसमें बाधा डाली जाय।

मैंने दो-तीन दिन पूर्व समाचार पत्रों में माननीय हाईकोर्ट की बेंच का फैसला पढ़ा था कि करों की वंचना बुरी तरह से हो रही है और बार-बार मैं इस बात को कहने का इच्छुक हूं कि वास्तव में जितने कर हमने लगा रखे हैं अथवा व्यवस्था कर रखी है उनकी अगर सही तरीके से वसूली हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमें अन्य करों की आवश्यकता ही न पड़े। कहा गया कि साल में बैलेंस शीट दी जाती है। उन्होंने सही नहीं बतलाया। बैलेंस शीट हर तीसरे महीने देनी पड़ती है।

यह भी कहा गया कि इनकम टैक्स के बराबर सेल्स टैक्स अधिकारियों को पावर दे दी गयी है। व्यापारीवर्ग को उन्हें हिसाब की जानकारी कराने के लिये मुनीम रखने पड़ते हैं। मेरा निवेदन है कि यह असंगत चीज है। मैं क्षमा चाहता हूं यह कहने के लिये कि भारतीय दूकानदारी का नाम ही बेईमानी है। भारतीय दूकानदारों के अन्दर होता क्या है? इस ढंग से व्यापार किया जाता है कि जिसके अन्दर सरकारी कर छिपा लिये जायं, राष्ट्रीय सम्पत्ति जो है उसे उनको देना न पड़े। व्यापारीवर्ग उसे ही अपने व्यापार का लाभ समझता है। तो जहां यह भावना चल रही है वहां खाता न देखा जाय, बैलेंस शीट न मांगी जाय तो कौन सा आधार होगा जिससे जाना जाय कि बिक्री की रक़म सही है। वह आधार तो आप ने बतलाया नहीं। यह कह दिया कि इतनी-इतनी कठिनाइयां हैं जिसकी वजह से इसे परिचालित किया जाय। यह असंगत है। प्रवर समिति वाला प्रस्ताव आया होता तो ठीक भी होता। उसमें यह

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

अधिकार होता कि इसकी परिधि बढ़े। लेकिन उसे नहीं रखा गया और रख दिया कि जनमत जानने के लिये इसे परिचालित किया जाय। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि जनमत जानने के लिये इसे भेज भी दिया जाय तो जनमत क्या होगा? जो मूल विधेयक है उसमें ये-ये संशोधन कर किये जायं? ऐसा कोई हमारी प्रक्रिया के अन्दर के अन्दर वैधानिक अधिकार है कि जनमत इस पक्ष में हो कि अन्य धाराओं के अन्दर संशोधन किया जाय तब भी हम कर सकेंगे? ऐसा होना असंभव है। जनमत यह कह देगा कि ऐसा हो या न हो। फिर भी मैं कहता हूं कि जनमत जानने के लिये अगर इसे भेजा गया तो जनमत पक्ष में ही होगा। व्यापारीवर्ग कभी नहीं चाहेगा कि उसे रजिस्ट्रेशन के लिये अधिक अवधि न मिले और एग्जेम्पशन के लिये दरख्वास्तें खारिज हो जाती हैं तो उनके लिये वह अपील न कर सके। ये साधारण बातें मोटी अक्ल में भी आ सकती हैं। लिहाजा जो यह प्रस्ताव रखा गया है यह बिलकुल निरर्थक है, असंगत है। इसलिये जोरदार शब्दों में मेरा मत है कि इस संशोधन विधेयक पर विचार किया जाय और स्वीकार किया जाय।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय राधेश्याम जी, अब यह नहीं होगा। बैसे आप बोल लीजिये।

राजा अवधेशप्रताप (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, एक माननीय सदस्य सो रहे हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा---आज बिक्री-कर संशोधन विधेयक सदन के सामने पेश है। श्रीमन्, आज सदन में इस पर विचार करना है कि यह बिक्री-कर संशोधन विधेयक क्यों सुप्रीम कोर्ट से ओवररूल हो गया और बार-बार सरकार क्यों ऐसे कानून बनाती है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ओवररूल कर देती है। श्रीमन्, यह सदन के सामने आज बड़ा मौलिक प्रश्न है।

क्यों बार-बार इस विधेयक को सरकार को लाने की जरूरत पड़ी? यह सरकार की अयोग्यता का परिचायक है क्योंकि जिस तरह से कानून लाये जाते हैं उनमें बहुत सी खामियां रह जाती हैं। इसमें १९४८ से १९६२ तक जो बिक्री-कर लाया जायगा उसमें मध्यमवर्ग के व्यापारी मारे जायंगे और छोटे दुकानदार मर जायंगे। अगर यह आया होता कि पौने चार करोड़ रुपये की चोरी जो एक साल में बड़े-बड़े व्यापारियों ने की है उसको वसूल किया जायगा, तो सोशलिस्ट पार्टी इसका समर्थन करती।

श्रीमन्, हम चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा गया है कि जो लोग टैक्स देने के काबिल हैं उनसे ही टैक्स लिया जाना चाहिये। दुनियां के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। जो टैक्स देने के काबिल नहीं होते हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है, टैक्स उनसे ही लिया जाता है जो देने के काबिल होते हैं। मेरे भाई बसंतलाल जी ने कहा कि विरोधी दल के लोग तो विरोध करने के लिये विरोध करते हैं। चाहे सरकारी पक्ष की ओर से कितनी ही जनकल्याणकारी बात कही जाय। श्रीमन्, जहां तक यह सरकार जन-कल्याण के नाम पर बड़े लोगों के साथ-साथ छोटे लोगों को भी घसीटना चाहती है उसका सोशलिस्ट पार्टी हमेशा विरोध करेगी। अगर सेल्स टैक्स की चोरी रोकने का संशोधन आया होता तो इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि हम उसका समर्थन करते। लेकिन इसमें बहुत सी खामियां हैं। एक बात बतला कर, उसको ले कर जो राहत देने की बात है वह भी बड़े व्यापारियों के लिये ही है। छोटे व्यापारियों के लिये ना के बराबर है। छोटे व्यापारियों को कोई सुविधा होने को नहीं है। यही बात मैं कहना चाहता था। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा क्योंकि आप ने मेरे परिधि बढ़ाने वाले प्रस्ताव को रोक दिया। अगर उसको आप रहने देते तो मैं सदन के सामने सारी बातें रखता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री उग्रसेन--उपाध्यक्ष महोदय, एक सदन में कई सदन नहीं हो सकते हैं। सरकारी पक्ष के लोग कई सदन बनाये हुये हैं। श्रीमन्, आप सक्षम हैं आप रोकिये।

श्री जे० पी० मिश्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के सम्मुख इस प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में दो चार शब्दों में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पहली बात यह है, कि यह विधेयक अस्लियत में कुछ धाराओं में हेर-फेर करने के मकसद से आया है। इसका कोई नुकसानदेह असर उत्तर प्रदेश के व्यापारियों पर पड़ने वाला नहीं है। पहला संशोधन तो यह है कि एक साल का, तीन साल कर दिया जाय। इससे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का हित होगा, अहित नहीं होगा। एक स्टेट वर्सेज मोदी प्राडक्ट्स लिमिटेड केस था, उसके आधार पर अगर कुछ तरमीम करना है तो मैं समझता हूं कि यह विधान सभा इसी लिये पांच वर्ष बैठने को है और कोई काम इस विधान सभा के पास नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी--मिश्रा जी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वर्सेज मोदी प्रोडक्ट्स वह केस था.....

श्री जे० पी० मिश्र--स्टेट वर्सेज मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को इंटरप्रेट किया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा उस इंटरप्रेटेशन पर विचार कर रही है।

तीसरी बात यह है कि ७० हजार दरख्वास्तें इस प्रदेश में पेंडिंग हैं और उसके फैसले के लिये कुछ फैसला करने वाले और बढ़ाये जाने को हैं। यही विधेयक में है। इसके मुताल्लिक काफी बहस हो चुकी है।

मुझे एक निवेदन माननीय वित्त मंत्री महोदय से करना है और वह यह है कि बिक्री-कर आप अधिक से अधिक तब प्राप्त कर सकेंगे जब अधिक से अधिक दूकानदारी बढ़ सके। दूकानदारी को बढ़ाने के लिए बिक्री-कर को लिबरल (मुलायम) करना पड़ेगा। दूकानदार को बिक्री-कर के नाम से डर पैदा होता है। गांव का आदमी नयी दूकान खोलने में डरता है। सरकार ने जिले जिले का कुछ कोटा मुकर्रर कर दिया है। सेल्स टैक्स आफिसर को उसको पूरा करना पड़ता है और उसका असर यह होता है कि कुछ दूकानदार ऐसे हैं जिनकी हैसियत नहीं होती देने की, उन पर भी असेस हो जाता है। अगर आप जैसा कि माननीय गिरधारी लाला जी ने कहा है २५ हजार तक एग्जेम्शन दे सकें तो मैं समझता हूं कि कारोबार बढ़ सकता है जब दूकानें कायम होंगी, तो धीरे-धीरे रोजगार उनका बढ़ेगा और वह सेल्स टैक्स की परिधि के अन्दर अपने आप दो तीन साल में पहुंच सकते हैं। जितना ही प्रदेश में विजिनेस बढ़ेगा उतनी ही आमदनी आप को होगी। एक छोटी सी हमारे यहां माधोगंज की मंडी है। चाहे पांच लाख का व्यापारी हो या दस हजार का, जिस दिन सेल्स टैक्स का कोई अधिकारी विजिट करता है तो उस दिन बाजार में हड़ताल सी लगती है। सेल्स टैक्स के अधिकारियों और प्रदेशीय सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए, कि किस तरह से इस प्रदेश का व्यापार बढ़े, किस तरह से छोटा दूकानदार यह महसूस कर सके कि उसके व्यापार पर जितनी उसकी बिक्री है उसी हिसाब से कर उसको देना पड़ेगा। कर देने से कोई इनकार नहीं कर सकता। कर अगर नहीं दिया जायगा तो यह सरकार और इस प्रदेश की योजनायें नहीं चल सकती हैं और दूकानदार इस बात से इनकार नहीं करते कि वह टैक्स नहीं देंगे या सेल्स टैक्स नहीं देंगे।

सिर्फ एक बात वह दूकानदार कहता है कि एक जगह होल सेल डीलर है उसके यहां से खरीदते समय आप हमसे दो पैसा ले लें और दो पैसा उससे ले लें वहीं टैक्स अदा कर लें। इस टैक्स को एकैहरा कर दिया जाय लेकिन एक जगह लिया जाय। इस सेल्स टैक्स की चोरी से बचने के लिये मैं सरकार के सामने यह सुझाव देता हूं कि जितना माल मंडियों से बाहर जाता है उसके ऊपर काबू करने की आवश्यकता है। उस माल का ट्रांसपोर्ट काबू किया जाय, मैं कहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सेल्स टैक्स की आमदनी अपने आप ड्योढ़ी

[श्री जे० पी० मिश्र]

और दो गुनी हो जायगी। कानपुर की मंडी से सामान खरीदकर चलता है, आप के पास कोई साधन नहीं है कि आप देख सकें कि छोटा दूकानदार उस माल को कैसे ट्रांसपोर्ट अपने गांव में करता है। अगर आपका इन ट्रक्स के ट्रांसपोर्ट पर कब्जा हो और आप ट्रक्स ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज़ कर लें तो सेल्स टैक्स की चोरी छिप नहीं सकती, आपकी आमदनी बढ़ जायगी और दूकानदार को राहत मिलेगी। अगर आप मल्टी (दोहरा) प्वाइंट टैक्स की जगह सिंगिल एक जगह प्वाइंट टैक्स लगायें, छोटे दूकानदार की अपने विश्वास कांफिडेंस में लें, २५ हजार तक की छूट (एग्जम्प्शन) दे दें, तो मेरा विश्वास है कि इस प्रदेश की सेल्स टैक्स की आमदनी काफ़ी बढ़ सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मुझें आप के द्वारा प्रान्तीय सरकार से यह निवेदन करना है कि मल्टी दोहरा प्वाइंट सेल्स टैक्स को आप को खत्म कर देना चाहिए। यह आवश्यक है बिजनेस को, ट्रेड को, व्यापार को अपने प्रदेश में बढ़ाने के लिये और अधिक से अधिक पैसा इस मद में लेने के लिए ....।

श्री राधेश्याम शर्मा—व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर। माननीय मिश्र जी ने जो भाषण किया है वह इस संशोधन विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। वह तो सेल्स टैक्स की बात बता रहे हैं। तो श्रीमन्, यह बात नहीं होनी चाहिये। संशोधन विधेयक पर भाषण होना चाहिए। बिना उसको पढ़े पूरे सेल्स टैक्स पर वह आंय बांय बोल रहे हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—अच्छा, आप बैठ जाइए। आप बड़ा शुद्ध बोलते हैं। दर्जनों स्पीचेज आपकी अपने इन्हीं कानों से सुन चुका हूं। बिलकुल आउट आफ आर्डर बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मिश्र जी, यह बात ग़लत है। आप विषय पर ही बोलें।

श्री जे० पी० मिश्र—तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कमेटी में भेजने का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से आया है यह बगैर सोचे समझे सिर्फ विरोध के खातिर प्रस्तुत किया गया है। प्रवर समिति इन तीन बातों में से कौन सी बात से इनकार करेगी?

श्री उपाध्यक्ष—प्रवर समिति को भेजने का संशोधन नहीं है, जनमत के लिये प्रसारित करने का है।

श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमन्, जब माननीय सदस्य ने विधेयक को बिलकुल पढ़ा नहीं जैसा कि उनके शब्दों से मालूम पड़ता है तो ऐसे माननीय सदस्य को क्यों बोलने दिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष—यहां से तो यही कहा जा सकता है कि विषय के ऊपर बोलें।

श्री जे० पी० मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को इतना कह कर ही खत्म करता हूं और माननीय वित्त मन्त्री जी की तरफ से जो विधेयक पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

***श्री संतसिंह यूसुफ** (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से हमारे साथियों ने कांग्रेस के साथियों ने भी और विरोधी दल वालों ने भी इस विधेयक के बारे में कुछ बातें कही हैं। दो एक बातें मैं भी आप के जरिये से माननीय मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यहां इस बात की चर्चा है कि हर साल इस विधेयक में कोई न कोई अदलाबदली होती है। मैं समझता हूं कि यह बार-बार विधेयक में अदला-बदली करना कोई बहुत अच्छी और बुद्धिमानी की बात नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि एक बार यह कमेटी सब विचार कर ले।

माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी ने कहा कि एक हाई पावर कमीशन नियुक्त किया जाय। वह कमीशन सोच ले और विचार कर ले और सोच विचार के बाद फिर एक बार इस विधेयक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में अदली बदली की जाती तो ज्यादा अच्छी बात होगी। उसकी बात सब को मंजूर होने की सम्भावना थी। अभी इस विधेयक पर जो हमारे साथी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जनरल आपत्ति जिस बात में है वह मल्टीपुल और सिंगिल प्वाइंट टैक्स है। अभी माननीय मिश्र जी से मैंने यह बात पहली बार सुनी है और मैं उनको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं। व्यापारियों को सब से ज्यादा आपत्ति आज इसी बात पर है कि मल्टीपुल प्वाइन्ट टैक्स और सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स का झगड़ा पहले तय किया जाय। इस बात को सभी व्यापारी कहते हैं कि एक पैसे की जगह आप दो पैसे लगा लें लेकिन पहले वाले प्वाइन्ट पर लगायें। अगर फैक्टरी का प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन प्वाइन्ट पर लगायें। दूसरा टैक्स जहां से शुरुआत होती है वहां पर आप टैक्स लगायें। चाहे वहां पर आप ज्यादा लगायें, इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। जब आप इसमें बार-बार तरमीम लाते हैं तो मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसमें क्या आपत्ति है? जिले का प्रबन्ध भी हो जाता है, आपके व्यापारी भी खुश हो जाते हैं और जनता को भी तकलीफ नहीं होती है। जब आप संशोधन करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर करें और इस ढंग से किये जायं कि, दोबारा संशोधन न करना पड़े। यह बात जनता के हित में नहीं है कि आप का सेल्स टैक्स आफिसर अगर एक बार सेल्स टैक्स मुकर्रर कर दे तो उसकी अपील नहीं हो सकती है।

हमारे भाई जगदीश शरण जी अग्रवाल ने कुछ बातें कहीं जिनका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने सही बात कही और यह प्वाइंट जो उठाया है वह सही प्वाइन्ट उठाया है कि सेल्स टैक्स अफसर के खिलाफ इन लोगों की शिकायत होती है। वे अफसर मनमानी तरीके से टैक्स लगाना चाहें तो लगाते हैं और न लगाना चाहें तो नहीं लगाते हैं। अब तक लोगों को एक सान्त्वना तो थी कि कोर्ट में जा कर अपील करेंगे। अब इस विधेयक के द्वारा आपने उसको भी खत्म कर दिया है। तो किस तरह से आपने जनता की सुविधा का ध्यान रखा है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। सेल्स टैक्स अफसर का ऐसा तरीका है कि उससे जनता को सुविधा नहीं होती है। एक दो बात को छोड़ कर जगदीश शरण जी अग्रवाल ने सब बातें बहुत अच्छी कही हैं। वह कांग्रेस के आदमी हैं, वह कोई विरोधी नहीं हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वह मुझे ज्यादा समझदारी की बात मालूम पड़ी।

यह बिल जो इस वक्त यहां पर पेश किया गया है उसमें कुछ हमारे भाइयों ने कहा कि कोई खास बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर जो कोर्ट फीस बढ़ाने की बात कही गई है वह सही नहीं है। यह कोर्ट फीस गरीब आदमियों पर पड़ेगी। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप पूंजीपतियों को एरियर में छूट दे सकते हैं तो इस पर भी गौर किया जाय। इसी सदन में कई बार कहा गया है कि लाखों रुपया सेल्स टैक्स का पड़ा हुआ है। जब उनको छूट मिल सकती है तो इन छोटे-छोटे दूकानदारों, गरीब दूकानदारों को जरूर छूट दी जाय। जस्टिस को महंगा मत कीजिये। वह ऐसा कीजिये कि गरीब आदमी भी, छोटा दूकानदार भी, पानवाला, बीड़ीवाला या जो छोटे-छोटे दूकानदार हैं उन सब को न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके। इन्साफ के लिये इसमें यह कर दिया जाय कि ५०० रु० से कम आमदनी वाले पर कोर्ट फीस नहीं ली जायगी। इस तरह की बातों का इसमें संशोधन करना चाहिये था लेकिन इसको और टाइटेन अप कर दिया गया है।

सेल्स टैक्स अफसर जो करेगा उसके खिलाफ कोई अपील नहीं है। यह जनता की मांग नयी नहीं है। आप को जनता की अनुमति लेनी चाहिये। हम सब जनता के नुमाइन्दे हैं। आपको भी जनता का नुमायन्दा मानते हैं। आपको भी जनता ने चुनकर भेजा है। अगर आपको यहां पर जनता ने चुनकर भेजा है तो जनता की आवाज को भी यहां पर रखना चाहिये। जनता की आवाज यह नहीं है। जनता की आवाज आप चल कर देखिये, पूछिये। वह मल्टी प्वाइंट टैक्स नहीं चाहती, वह सिंगिल प्वाइंट टैक्स चाहती है। दूसरे, सेल्स टैक्स अफसर जो मनमानी करते हैं उससे उसे राहत मिलनी चाहिये और जो छोटे-छोटे दूकानदार किसी तरह अपना पेट भरते हैं उनको कम से कम इस सेल्स टैक्स से छूट मिलनी चाहिये। अगर आप इस टैक्स को सिंगिल प्वाइंट

[श्री संतसिंह यूसुफ]

कर देंगे तो उससे आप की रकम कम नहीं होगी, बल्कि कुछ ज्यादा रुपया ही आयेगा। मैं ज्यादा समय इस मामले में नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो दूकानदारों से बातचीत हुई है उसकी बुनियाद पर मैंने चन्द बातें रखी हैं और आशा करता हूं कि हमारे मन्त्री जी काफी समझदार हैं, अनुभवी हैं, इस मामले पर विचार करके इस बिल को जल्दी पास करने की कोशिश नहीं करेंगे। बिल एक घंटे में भी पास हो सकता है और उसमें आप को कोई परेशानी न होगी, लेकिन अगर इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो उससे आपको टैक्स वसूल करने में सुविधा होगी, जनता को टैक्स देने में सुविधा होगी और कंज्यूमर और दूकानदार, दोनों की परेशानी कम हो जायगी। इस बिल पर अगर अच्छी तरह से विचार हो कर इसी सत्र में अगर वह आखिर में पास किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मेरा खयाल है।

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ सकती कि इस सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत महज मुखालिफत के लिये की जा रही है या उसके अन्दर कोई हकीकत भी है। गालिबन इस हाउस के तमाम मुअज्जिज मेम्बरान गवर्नमेन्ट के इस हक को तस्लीम करने को तैयार होंगे कि इस गवर्नमेन्ट के कामों में गवर्नमेन्ट यह हक रखती है कि कोई बिल लाये या उसमें संशोधन करे, इस तरह उस के हकों को चैलेंज करना, इसके खिलाफ एजीटेशन करना, अवाम के तामीरी कामों में मदाखिलत करना होगा और उसका जहन तखरीब की तरफ मोड़ना है।

१९४८ में यह सेल्स टैक्स बिल मंजूर हुआ था और उसके बाद इसने तिजारत की बहुत सी उलझनों की सफाई की। हिसाब-किताब के रजिस्टर बाकायदा हो गये, एकाउन्ट्स साफ सुथरे तौर पर रखे जाने लगे। तिजारती तबके के साथ सरकार के नये ताल्लुकात पैदा हुए और यह दोनों तबके एक दूसरे के करीब आये और दोनों अपने अपने काम पहले से ज्यादा मुस्तैदी के साथ अंजाम देने लगे। हमारे व्यापारी तबके में एक अपनी गहरी जिम्मेदारी का अहसास पैदा हुआ। इस तरह जब पब्लिक सेक्टर को ज्यादा रकम की जरूरत हुई वह उसको हासिल हुई और इस तरह यह कानून जो अवाम की मर्जी से, अवाम के लिये और अवाम के नुमाइन्दे के जरिये बनाया गया था उसने अपना काम पूरा किया। लेकिन हर कानून की एक उम्र होती है। कुछ वक्त तक वह काबिले अमल रहता है, और उसके बाद उसमें संशोधन या अमेंडमेंट जरूरी होते हैं। यही पोजीशन आज इस कानून को हासिल हुई। चुनांचे और खसूसन ऐसी हालत में जब कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की रू से उसके कुछ हिस्से काबिले अमल न रहे हों, इस वक्त जरूरत इस बात की हुई कि इसमें अमेंडमेंट किया जाय जिससे उसके दुर्गुण कम हो जायं। इस तरह से यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है। जिसमें यह लिहाज रखा गया है कि व्यापारी की तकलीफ कम कर दी जाय। साथ ही व्यापारी बार-बार इस बात का मतालबा कर रहे थे कि वे एक साल रजिस्ट्रेशन करा कर उसे कई साल तक कायम रख सकते हैं और इस तरह से वह बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। मैं समझती हूं कि इस कानून के पास होने से वह बहुत सी परेशानियों से बच जायेंगे। लेकिन यहां कुछ लोगों को, जो जम्हूरियत में यकीन रखते हैं और पब्लिक सेक्टर पर एतराज करते हैं, देख कर ताज्जुब होता है। न मालूम वह कौन सा सोशलिज्म है जिसमें कि वह यकीन रखते हैं। सोशलिज्म में अफराद की आमदनी पर बन्दिशें लगायी जाती हैं, आमदनी के जरिये महदूद किये जाते हैं, पब्लिक सेक्टर की हदें बढ़ायी जा सकती हैं, कानूनों को साफ़ सुथरा, व काबिले अमन बनाया जा सकता है। यह काम जम्हूरियत और सोशलिज्म के मुताल्लिक है। इसके बाद अगर सोशलिज्म की मुखालिफत करे तो उनमें कोई असर नहीं हो सकता। यह जरूर है कि जहां हंगामा पसंद अफसाद अपनी जोशीली तबियत का मजाहरा करें और हो सकता है कि उनको जहनीतौर पर तसकीन भी हो जाय। यह भी मुमकिन है कि कुछ उसी किस्म के लोग उनकी तारीफ भी करें और उनको इज्जत बख्शें और अपनी कान्सटिटुएन्सी में जा कर वह इसकी अमर पर इजहारे फ़ख्र

करें। लेकिन यहां पर ऐसा कहना और करना यह अवामी जम्हूरियत के खिलाफ़ चीज़ है। ऐसा कर के आप पार्लियामेन्ट्री अवाम को खतम करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

यह हाउस ऐसे नमूनों के जरिये जैसे हाल ही में देखने में आये हैं, अपनी अजमत खो सकता है लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? आप ग़ौर करें कि हमारे मुल्क में यू० पी० सब से बड़ा सूबा है। हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के बाद यू० पी० का मिसाल के तौर पर हिन्दुस्तान के दूसरे सूबे कबूल करते आये हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। इसमें कोई इन्कार नहीं हो सकता है। इस तरह से हाउस में हंगामा मचाकर आप एक नई चीज़ और एक नई बाब खोल रहे हैं। इन हंगामों के पीछे अपनी सीट महफूज़ करने का जज़बा ज्यादा है और वह ज़ज़बा कम है कि हाउस में पहुंच कर हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिये। लेकिन आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप इससे अपने को महफूज़ नहीं रख सकते। यह सब आप की बातें इस हाउस की शान के खिलाफ़ हैं। कभी आपने यह भी सोचा है कि आने वाली औलाद आपकी इन हरकतों को कहां तक गवारा कर सकेगी? तवारीख में आप क्या यह पसंद करेंगे और बाहर के लोगों को यह मौका देंगे कि वह यह कहें कि डैमोक्रेसी का भविष्य हिन्दुस्तान के अन्दर महफूज़ नहीं है? क्या उसका मतलब यह नहीं हुआ कि सारे एशिया में डेमोक्रेसी इस काबिल नहीं है कि वह पार्लियामेन्ट्री निजाम को चला सके? मेरी उन लोगों से यह दरखवास्त है जो कि सोशलिज्म में यक़ीन रखते हैं और अपने जम्हूरियत का वाहिद अमीन समझते हैं, उनको चाहिए कि वह इस कानून के वास्ते तरमीम पेश करें। इसमें न सिर्फ़ निजाम को साफ़ सुथरा लायके अमन बनाया गया है बल्कि जनता की भलाई का भी पूरा पूरा खयाल रक्खा जाता है। मैं इस बिल की ताईद करती हूं और यह उम्मीद करती हूं कि इसके जरिये अवाम को फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं यह भी आप सब लोगों से दरखवास्त करूंगी कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को साफ़ सुथरा बनाने में और लायके अमन बनाने में मदद करें।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर माननीय दीप नारायण सिंह जी के संशोधन के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं एक शेर पढ़ देना चाहता हूं, अगर आप की इजाज़त हो तो--

पहले असीरी का ग़म था,
आज़ाद हुए तो यह ग़म है,
हर बात पर टैक्सेज लगते हैं,
अंजामें गुलिस्तां क्या होगा।

इसी संबंध में मैं अपनी हाल की बनाई हुई कविता को भी पढ़ देना चाहता हूं।

कमलापति के कर धरे, कोमल कमला गात,
विक्रय कर में शुद्धि कर, दे बनियों को लात।

उपाध्यक्ष महोदय, बनियों से मेरा मतलब उन लूटने वालों से है, उन दूकानदारों से है, इसका खयाल रखना चाहिये, न कि बनियों की जाति से। श्रीमन्, इसमें ३ साल का टैक्स देने में बनियों को फायदा होगा क्योंकि मंहगाई और कीमतें हर साल बढ़ती ही जा रही हैं। बनिये लोग ३ साल के बकाया मौजूदा रेटों में बढ़ा कर जनता से वसूल कर सरकार को देंगे, इसमें गाहकों का नुकसान होगा। यदि इसका हिसाब लगाया जाय तो काफी रकम वे बचा लेंगे। इस तरह से बनियों का, आप देखें कि, फायदा होगा और खरीदार, किसान, मजदूर और मिडिल क्लास वालों की चमड़ी उधड़ जायगी। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि बनिया जितना गाहकों से वसूल करें वह सब बिक्रीकर सरकार के पास पहुंच जाय। इसलिए मेरा सुझाव है कि श्री दीपनारायण जी का संशोधन मान कर उस पर जनता की राय लेने के लिये ३ महीने के लिए घुमाया जाय और राय मिलने पर फिर इसे पेश किया जाय। इतना काफी है।

अच्छा, एक शेर और सुन लीजिये--

"हर शाख पर टैक्सेज बैठे हैं, इनसान का जाने क्या होगा,
तलवार करों की जो चलती है, तो प्राण का जाने क्या होगा।"

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब विवाद बन्द किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री उग्रसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव अभी से कैसे ला दिया और आपने कैसे उसे स्वीकार कर लिया ?

श्री उपाध्यक्ष---इस पर १६ स्पीचेज़ हो चुकी थीं और बहुत कम माननीय सदस्य खड़े हो रहे थे, एक ही खड़े हुए थे, फिर क्लोज़र भी आ गया ।

श्री उग्रसेन---इससे क्या होता है ? एक भी खड़े हों तो कैसे आपने विवाद समाप्त करने के लिए क्लोजर अलाउ किया ?

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पर विवाद समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---११६,

विपक्ष में---७५ ।)

श्री दीपनारायणसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष की तरफ से जो भाषण हुये हैं अगर उसका अंतिम अंश निकाल लिया जाय और उनकी राय को ही सरकार मान ले तो मैं अपने ३ मास वाले संशोधन को वापस ले सकता हूं । उनकी राय में और मेरी राय में कोई फर्क नहीं है । माननीय जगदीश शरण जी ने भी इस बिल का विरोध किया है, और भी जितने सरकारी पक्ष की ओर से बोलने वाले हैं उन्होंने इस बिल का विरोध किया है । सभी ने इसकी कमियों का जिक्र किया है । श्रीमन्, आप भी एम० ए० एल० एल० बी० तो हैं । इस एजेन्डे में अगर संशोधनों की लिस्ट को देखा जाय तो उसमें सब से ज्यादा संशोधन जगदीश शरण अग्रवाल जी के हैं । अगर माननीय वित्त मंत्री जी जगदीश शरण जी के ही सब संशोधनों को स्वीकार कर लें अपनी तरफ वालों के ही संशोधनों को मान लें तो मैं अपना भाषण ३ मिनट के अन्दर बन्द कर सकता हूं । यह अपनी तरफ की भी बात को नहीं मानते हैं । जादू वह जो सर पर चढ़ कर बोले । आपका ही विधेयक है और आप की तरफ से ही संशोधन आये हैं, इतनी तो उदारता दिखाइये और उन्हें ही स्वीकार कीजिये । मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने ही संशोधनों को मान लें जो आप की तरफ के लोगों ने रक्खे हैं तो मैं अपना भाषण ३ मिनट में बन्द कर सकता हूं । आप अपनी तरफ की बातों को भी पढ़ने के लिये तैयार नहीं हैं । यही वजह है कि जितने भी विधेयक आप पास करते हैं अपने बहुमत के बल पर पास करते हैं और उसके ही कारण हाईकोर्ट और सुप्रीमकोट में आक्षेप किया जाता है और समय-समय पर आपको अपने विधेयक रूपी कपड़े में तमाम चीथड़े लगाने पड़ते हैं । यह जो सन् १९४८ विधेयक पास हुआ उसके बाद आपको ३०-३५ बार उसमें टीपें लगानी पड़ीं । वह इसीलिये कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया । अगर आप अपनी ही तरफ के एक विद्वान सेल्स टैक्स के वकील की राय मान लें तो उससे बड़ा हित जनता का हो सकता है । जैसा मैंने पहले कहा था माननीय मुख्य मन्त्री जी हर बार यह कहते हैं कि जनता ने हमें चुन कर भेजा है, हम टैक्स लगायेंगे, जो मन में आयेगा वह करेंगे, हमारे पास जनबल है । वोटों के द्वारा जीती हुई ताकत हमारे पास है इसलिये हम मनमानी कर सकते हैं । अतः उनको वोटरों के पास भेजने के लिये और उनकी असलियत को दिखवाने के लिये इसे में जनमत के लिये भिजवाना चाहता था । यही मेरे संशोधन का मतलब था ।

अब मैं आप के विधेयक के सिलसिले में कही हुई बातों का तर्कों से उत्तर देता हूं । इस संशोधन विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो २१

अक्तूबर सन् १९६० को निर्णय हुआ उसमें सरकार द्वारा लगाये गये टैक्स को जो पहली साल के टर्न ओवर पर तय किया जाता था और अगर कम पड़ जाय तो बाद को उसको कर-निर्धारण के वर्ष की कीमतों के अनुसार बढ़ाया जा सकता था, उसको अवैध करार दे दिया। इस टैक्स को फिर से वसूल करने के लिये आप यह संशोधन कर रहे हैं। मैं उन शब्दों को पढ़ देना चाहता हूं जो आप ने आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखे हैं—

"According to this judgement tax assessed and collected, under certain circumstances, in respect of the turnover of such dealers who has opted to be assessed on the basis of their turn over of the previous year," was not a valid levy. In order to validate such levies and collections, it is proposed to amend the Act suitably."

इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन टैक्सों को अवैध करार दे दिया है उनको वैध करने जा रहे हैं, मुर्दे में जान डाल रहे हैं। देश की सब से बड़ी अदालत ने आप की जो गलती बतायी है उसको स्वीकार करने के बजाय आप उस पर पर्दा डालने जा रहे हैं। जिस वसूलयाबी को उन्होंने गैरकानूनी करार दे दिया था और जो वसूल नहीं हुई उसको फिर से वसूल करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने जा रहे हैं जैसा कि जगदीश शरण अग्रवाल जी ने कहा। उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा सोचिये तो सही कि एक व्यापारी असेसिंग अथारिटी से गलत टैक्स लगाये जाने के बाद कमिश्नर के पास तक गया और जब कमिश्नर द्वारा उसकी बात नहीं सुनी गयी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया। इसमें उसका कई हजार रुपया खर्च हो गया होगा। इतना खर्च होने के बाद भी आप के दिमाग में इस तरह से गलत तरीके से टैक्स लगाने की बात आयी। आपका अहंकार अब भी सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है। न आप प्रवर समिति में इसको भेजना चाहते हैं और न किसी अक्ल-मंद की राय इसके बारे में लेना चाहते हैं। यानी आप अक्ल के पीछे लट्ठ लिये फिरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके विभाग की शक्ल को सही रूप में रख दिया है हम उस शक्ल को उस जनता के सामने ले जाना चाहते हैं जिसने आप को यहां चुन कर भेजा है। उसके सामने आपकी अक्ल का नमूना पेश करना चाहते थे ताकि आप भविष्य में यह न कह सकें कि हम बड़े अक्ल-मंद हैं और हमेशा सही काम ही करते हैं। इसलिये इसको जनमत के लिये भिजवाने के लिये कह रहा था। माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी ने अपने संशोधन में साफ तरीके से रखा है कि ये संशोधन होने चाहिये, ये ये बातें होनी चाहिये। वह आपके कई बार के चुने हुए कांग्रेसी सदस्य हैं, काफी अच्छे आदमी हैं, उनकी बात भी आपकी अक्ल में नहीं आ रही है, यह कितने खेद की बात है। जब बेचारे हजारों लाखों रुपये खर्च करके सुप्रीमकोर्ट से आये, उन पर आप फिर टैक्स लगावें तो इन बेचारों के मुकदमा लड़ने का क्या हुआ? आपके ही बनाये हुए इजलास हैं और इसीलिये वे बने हुए हैं कि आपका कोई अधिकारी गलत काम करता है, बेईमानी करता है, बदमाशी करता है, रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, गलत फैसला देता है तो उसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय ले सके। आप सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाये हुए आदमियों पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। आपके इस विधेयक का यह खंड मैं पढ़ देता हूं जिसमें हाईकोर्ट और तमाम अदालतों के फैसले जो आजतक हो चुके हैं उसके बावजूद भी टैक्स लगाना और गलत तरीके से टैक्स लगाने की प्रणाली कायम रखने की बात करना नितान्त अनुचित है। खंड ७ में पढ़े देता हूं :

"31.(1) Where any dealer has, in accordance with the provisions of section 7, as it stood prior to its amendment by section 7 of U. P. Act XIX of 1956, opted to be assessed to tax on the basis of his turnover of the previous year, he shall be assessed to tax at such rates as are prevalent during the year for which the assessment is being made, and if the rates of tax, on any goods or class of goods are altered during such assessment year, the dealer, in respect of the turnover of such goods, shall be liable to pay,

[श्री दीपनारायणसिंह]

tax at the altered rates, as if the altered rates were in force during the previous year also proportionately for the same number of days as they are inforce during the assessment year.

(2) Notwithstanding any judgement, decree or order of any court, all assessments or orders made, actions or proceedings taken, directions issued, jurisdictions exercised or tax levied or collected by any officer or authority purporting to act under the provisions of sub-section (1) of section 7, as it stood prior to its amendment by section 7 of U.P. Act XIX of 1956, shall be deemed to be good and valid in law as if such assessments, orders, actions, proceedings, directions, jurisdictions and tax have been duly made, taken, issued, exercised, levied or collected, as the case may be, under or in accordance with the said provisions of this Act as amended by the UttarPradesh Bikri Kar (Sunshodhan) Adhiniyam, 1962 and as if the amendment so made had been in force on all material dates.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं आज तक इस तरीके से कोई विधेयक संशोधन के रूप में लाया गया है ? क्या इस तरीके से विधेयक लाने के बाद जनता का विश्वास आपके द्वारा स्थापित न्याय प्रणाली में खत्म नहीं हो जायगा ? क्या लोगों के अन्दर और इस प्रदेश के दूकानदारों के अन्दर, आम जनता के अन्दर यह भावना न बैठ जायगी कि आखिरकार इन अदालतों से कोई छूट कराकर लाये, न्याय पाकर आवे तो दूसरा संशोधन लाकर उस न्याय से भी हमें वंचित किया जायगा ? इसकी काट की दलील, इसका जवाब आपके पास क्या है ? अगर आप रूल आफ ला में, अपनी न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कायम रखना चाहते हैं, और आप जनवाद के प्रति आस्था रखते हैं—समाजवाद तो आगे की चीज है—तो आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा किये हुए फैसले को रद्द करा कर, या गैरकानूनी ठहराई गई बिना वसूली धनराशि को पुनः एकत्रित करने की कोई व्यवस्था न करें। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आपकी तरफ के ही माननीय जगदीश शरण अग्रवाल भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिये मैं भी इसका विरोध करता हूं।

दूसरी बात मुझे इस संशोधन विधेयक के ऊपर यह कहनी है कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल २०७ के अन्तर्गत हाईकोर्ट के जज की हैसियत और योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही रिवाईजिंग अथारिटी के रूप में नियुक्त करने की बात आपके कानून में थी लेकिन उसकी जगह आप किसी ऐसे कठपुतली जैसे अधिकारी को उच्च अधिकारी बना रहे हैं जो आपके कहने पर न्याय देता जाय। जहां आप कहें, जिसके ऊपर कहें वहीं टैक्स लगावे, जहां आप कहें अपील और रिवीजन में असेसमेंट करता जाय।

आपके पहले अधिनियम में यह रखा हुआ है कि जो हाईकोर्ट के जज होने की योग्यता रखता हो वही आदमी सेल्स टैक्स के ट्रिब्यूनल के ऊंचे पदों में हो। यह कोर्ट नहीं है। इसके जो उच्चाधिकारी हैं ट्रिब्यूनल के हैं, उनका टोन ऊंचा हुआ था जिसे आप अब नीचे गिरा रहे हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

दूसरी बात यह है कि आप भी बड़े विद्वान वकील के रूप में हैं और आप जानते हैं कि अपील किस इजलास के सामने होती है और वहां से स्टे-आर्डर होते हैं। जहां टैक्स लगे और अपील हो वहीं स्टे-आर्डर भी जज अपील के यहां से होने चाहिये, लेकिन आप के यहां कमिश्नर के यहां से रिवाईजिंग अथारिटी के यहां से स्टे होगा। इस से बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है और बहुत अधिक रिश्वत दूकानदारों को देना होती है और तब कहीं स्टे-आर्डर उन को मिल पाते हैं। आप ने ऐसी खराब व्यवस्था रखी है कि जिस से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आप इस पर भी गौर

करें कि श्री जगदीश शरण जी और दूसरे माननीय सदस्यों के संशोधन बड़े अच्छे हैं। मैंने भी गौर से उधर के लोगों की रायें सुनीं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मैं श्री दीप नारायण जी के तर्कपूर्ण भाषण के बाद मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें क्योंकि यह विधेयक बिलकुल बेकार है, इस पर सदन का समय बरबाद न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं, आप बीच में भाषण न करें।

श्री दीपनारायणसिंह—जिस के यहां अपील हो उस अधिकारी को ही स्टे-आर्डर देने की व्यवस्था की जाय। इस सम्बन्ध में मुझे मालूम हुआ है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर एप्वाइन्ट करने जा रहे हैं, आप अपील जज को हटाकर असिस्टेंट कमिश्नर रखने जा रहे हैं। यह चीज बहुत गलत होगी क्योंकि जज के दिमाग में यह भरा रहता है कि वह जूडीशियरी से आते हैं और निर्भीक हो कर फैसला देते हैं लेकिन अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनायेंगे तो वह क्या करेंगे, जिस को आप बनायेंगे वह भी उसी रट में पड़ जायेंगे जैसे कि बन्दर नाचता है मदारी के हाथ में, वैसे ही वह भी सरकार के हाथ में नाचेंगे। यह तो जुडीशियरी का मजाक होगा। इसी-लिये मैंने अभी से कहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। कभी-कभी उधर से ही बात साफ हो जाती है। मैं व्यापारियों का विरोधी नहीं हूं। आप ने इसमें कहा है कि हम ने ऐसे संशोधन रखे हैं जिन से व्यापारियों को सहूलियत होगी। आप यह भी तो सोचें कि व्यापारी भी तो बिक्री-कर ग्राहकों से ही वसूल करते हैं लेकिन जितना व्यापारी ग्राहकों से वसूल करेंगे उतना आप के पास पहुंच जायगा, इस की क्या गारंटी है? आप के पूरे इन संशोधनों का पढ़ने के बाद कोई गारंटी नहीं मिलती। आप ने जो इस में रखा है कि वह किसी साल को भी चूज (पसन्द) कर सकते हैं, उस से तो यही होगा कि वह वसूल करेंगे अधिक और दिखायेंगे उस साल का जिस में उन को कम देना होगा। यह कौन सी नीति है? इसलिये मैं चाहता हूं कि इस में फिर से परिवर्तन किया जाय। कहा जाता है कि इस से कर भार बढ़ने वाला नहीं है। आप तीर सीधा नहीं मार रहे हैं लेकिन श्री बनारसीदास जी तो तलवार, तीर सब, सीधा ही चलाते हैं लेकिन अब तो माननीय वित्त मन्त्री जी ने गजब कर दिया कि अपील में भी कोर्ट-फीस लगाई उसी हिसाब से और कोई चीज आपने बाकी नहीं छोड़ी। नीचे से ले कर ऊपर तक जिनको छूट थी अब उन पर कोर्ट फीस लगायी है। यह टैक्स नहीं तो क्या है? रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ायी है, यह क्या है? सेल्स टैक्स १३ करोड़ रुपया आपने वसूल किया गत वर्ष तक, कितना बकाया है यह साफ नहीं बताया। जाहिर यही है कि आप बकाया साफ नहीं कर सके। तो बकाया वाली रकम आप इसलिये मानते हैं क्योंकि जो नीचे के फैसले हैं वे स्टे हो गये, इसलिये असेसमेंट की रकम स्टे हो गई, इसलिये बकाया है। अगर आपके खयाल में यह है तो मैं कहना चाहता हूं, आप बतायें, वह बकाया कितना है और किन पर बकाया है? बड़े आदमियों पर होगा। जब अपील पर यह व्यवस्था करेंगे कि सेक्योरिटी दे तब स्टे आर्डर मिले, तो यह भी गलत होगा। ५००, ६०० रु० तक के लोगों को तो इसे छूट दे दें। बड़े आदमी जो हैं उनके ऊपर चाहे जितना प्रतिबन्ध लगा दें तब उन्हें स्टे आर्डर दिया जाय। लेकिन नीचे के कुछ को आप छूट करें। आपने कोई लिमिट नहीं रखी है कि इतने तक वालों को बिना सेक्योरिटी स्टे आर्डर मिल सकेगा।

एक बात आपने अच्छी की है एडीशनल रिवाइजिंग अथारिटीज रखी है। मगर एक बात में आप झमेले में फंस गये हैं। जैसा सब लोगों ने कहा कि सिंगिल प्वाइन्ट पर आप टैक्सेशन करें, मल्टिपिल पर न करें, वह बात भी आप नहीं मानते। उधर के माननीय सदस्य असल में मेरे संशोधन को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास अलंकार यही है। जैसे श्याम रंग में डूबी राधा उज्वलतर होती जाती है। बहुत लोगों ने मेरा समर्थन किया लेकिन शब्दावली से विरोध किया।

(इस समय ४ बज कर ३१ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री दीपनारायणसिंह]

वित्त मन्त्री जी साहित्यिक हैं, यहां भी साहित्यिकता ला रहे हैं। उधर के लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, कहा कि इस विधेयक में अमुक-अमुक बातें नहीं लायी गई और जो लायी गईं वे गलत हैं। माननीय जगदीश शरण जी का संशोधन यही बताता है। मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं है। मन्त्री जी उन्हीं के संशोधनों को मान लें, मैं उसका स्वागत करूंगा। आपके हाथों तो लक्ष्मी कहीं से भी आ सकती है, वह तो आप को भगवान् ने दी है, टैक्सेज लगाने की जरूरत ही नहीं है, स्टे आर्डर को प्रतिबन्ध द्वारा रोकने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करके अवैधता को वैध बनाने का कार्य नहीं होना चाहिये। १९४८ का पास हुआ कानून और बनी हुई अवैधानिक शब्दावली, या आपकी जो धारायें हैं उनके द्वारा गलत रूप से आपके भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा वसूल की हुई रकम के बारे में निवेदन है कि जिससे छुटकारा पाने के लिये लोगों ने हजारों रुपया खर्च किया, गाढ़ी कमाई का रुपया खर्च करके सुप्रीम कोर्ट तक गये और मोदी फूड प्रोडक्ट्स के रूप में जो व्यवस्था उन्हें मिली और छूट मिली हजारों को उस छूट से उन्हें वंचित क्यों आप करने जा रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई छूट मिली है तो वह रकम छूट में आप को दिला देना चाहिये। उससे जितना खर्च हुआ है वकीलों को देने में, रिश्वत देने में क्योंकि सेल्स टैक्स अधिकारी खूब रिश्वत लेते है और ऊपर तक वह रिश्वत बराबर चलती है, अपील होती है जज के यहां किन्तु वह स्टे आर्डर नहीं देता है, कमिश्नर देता है। उसके यहां जाने पर जो अंधेर अन्य दफ्तरों में चलता है वहां भी चलता है। उन सबका अन्दाजा कर लीजिये और उन्हें वह छूट दे दीजिये। खंड ७ में उपखंड २ जो जोड़ा है उसे हटा दीजिये। जहां से गलती हो गयी वहां से उसे जाने दीजिये। अपनी भूल का बोझा, खामियाजा, गरीब व्यापारियों पर क्यों आप डालना चाहते हैं? बड़े लुटेरों से मुझे हमदर्दी नहीं है। बड़े लोगों से हमदर्दी नहीं है। उनसे जरूर वसूल कीजिये। आप अपील में टैक्स के हिसाब से ५ रुपया, २ रुपया लगाइये लेकिन छूट दे देते ५०० से १,००० के टैक्स पर तो अच्छा होता। मैं सिद्धांत की बात कह रहा हूं। कर सीधा नहीं मांगा जा रहा है। टेढ़ा-मेढ़ा करके मांगा जा रहा है। यह उचित नहीं है। गरीब दूकानदार, छोटी हैसियत के दूकानदार, अगर अपील करते हैं तो उनके लिये कुछ छूट होना चाहिये। लेकिन यह नहीं किया आपने। बड़ों पर कोर्ट फीस भी ज्यादा लगाइये। जब यह विधेयक जनमत के लिये तीन महीने के लिये जायगा तो जिन व्यापारियों ने माननीय गुप्त जी को, माननीय बनारसीदास जी को रुपये भी दिये हैं, वे कहेंगे माननीय बनारसीदास जी यह आप क्या कर रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट से जीते फिर भी आप टैक्स दिला रहे हैं? आपके मतदाता, आपके जो मास्टर हैं, वे सब फैसला देंगे कि आप गलत करने जा रहे हैं। लिहाजा जो संशोधन जगदीश शरण अग्रवाल जी ने इस विधेयक के अन्दर रखे हैं वह सब स्वीकार कर लिये जायं और हम उनका स्वागत करेंगे। अगर आप में उनकी बुद्धि का स्वागत करने का साहस है तो मेरे चैलेंज को स्वीकार कीजिये। इन शब्दों के साथ में इस अपने संशोधन का समर्थन करता हूं।

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक के ऊपर अपने विचार सदन के सामने प्रकट किये हैं, आभारी हूं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि माननीय सदस्यों ने बहुत वक्त लिया, लेकिन उन्होंने बोलने से पहले इसको पढ़ने की जहमत गवारा नहीं की और मुझे माननीय दीपनारायण जी के ऊपर तो बहुत दुख है क्योंकि मैं समझता हूं कि वे बहुत अच्छे वकील हैं। उन्होंने इतनी भी तकलीफ नहीं की कि इस बिल को पढ़ लेते और तब कुछ बात कहते। माननीय सदस्य की सारी बातें गलत बातों पर आधारित हैं।

इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजने की कोई गुंजायश नहीं है। यह एक सीमित उद्देश्य से विधेयक लाया गया है। इसमें किसी नई नीति का प्रतिपादन नहीं किया गया है और कोई ऐसी तब्दीली भी नहीं की गई है जिसके बारे में जनमत जानने की आवश्यकता हो। कुछ कठिनाइयों का निराकरण के लिये यह बिल लाया गया है। इसमें जनमत जानने की कहां

आवश्यकता है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। सब से बड़ा दुख मुझे इस बात का हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके बारे में उन्होंने इतनी बड़ी चर्चा की। लेकिन उन्होंने जजमेंट को नहीं पढ़ा। मैं वकील नहीं हूं और उन्होंने बिना पढ़े बहुत सी बातें कहीं।

श्री अध्यक्ष—पढ़ कर तो सभी बात कर सकते हैं। बगैर पढ़े करें तभी बात है।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, मैं साफ करना चाहता हूं कि पहली अप्रैल, १९४८ से लेकर ३१ मार्च, १९५६ तक बिक्री-कर लगाने की एक व्यवस्था यह थी कि व्यापारी को अधिकार था कि किसी साल में कर निर्धारण के लिये वह या तो कर निर्धारण वर्ष के टर्न ओवर को आधार माने या पिछले वर्ष के टर्न ओवर को माने। यह व्यवस्था १९५६ तक रही और व्यापारी को यह आप्शन होते हुए टैक्स लगता था उस साल के प्रचलित दर के आधार पर कर निर्धारण वर्ष में कर लग रहा है तो जो दर प्रचलित है उसके ही आधार पर कर वसूल किया गया और जितना किया गया और जिस रेट पर किया गया, गवर्नमेंट उसी हिसाब से टैक्स लेती थी। सिर्फ यह करती थी कि कितने टर्न ओवर पर टैक्स लिया जाय। इस पर व्यापारी को आप्शन था कि या तो वह कर-निर्धारण वर्ष के टर्न ओवर को आधार माने या पिछले वर्ष के टर्न ओवर को माने। उसी हिसाब से यह कर वसूल होता था और किसी को एतराज नहीं होता था। मोदी फूड प्रोडक्ट्स कम्पनी लिमिटेड अपील में चले गये और सुप्रीम कोर्ट ने एक मैजोरिटी जजमेंट दे दिया और यह बात मानी गई कि ऐक्ट में निश्चित व्यवस्था नहीं है कि पूर्व वर्ष के विक्रय कर को आधार मानने वाले को भी कर निर्धारण वर्ष की प्रचलित दर के अनुसार कर देना पड़ेगा। यह निश्चित व्यवस्था नहीं है। अगर होती तो कोई हर्ज नहीं था और चूंकि निश्चित व्यवस्था नहीं है जिसका कि अधिकार माननीय सदन को है, इसलिये उन्होंने उनकी बात मान ली और अपील को एलाऊ कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने राय दी कि यद्यपि निश्चित व्यवस्था नहीं है तथापि जो सरकार कर रही थी वह ठीक कर रही थी। बिना किसी निश्चित व्यवस्था के जो टैक्स लिया गया है ठीक किया गया है, इसलिये गलती नहीं है। लेकिन मैजोरिटी का जजमेंट था इसलिये उसको मानकर उसका आदर करके, हमने संशोधन कर दिया और निश्चित व्यवस्था कर दी कि उन सालों में जो टैक्स लिया गया है उस हालत में भी कर निर्धारण वर्ष में जो दर प्रचलित थी उसी के हिसाब से टैक्स लगाया जाय और यह कर दिया कि पहली अप्रैल, १९४८ से यह संशोधन माना जाय। इसके बारे में माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी ने भी कह दिया कि बड़ा अन्याय हुआ, बड़ी गड़बड़ बात हो गयी।

श्रीमान् जी, जिस दर से ग्राहकों से टैक्स वसूल किया गया अगर उसी दर से गवर्नमेंट ने ले लिया तो कहां ज्यादती हुई। इन्साफ क्या इसमें होता है कि उन्होंने वसूल किया हायर रेट से और हम टैक्स लें लोअर रेट पर? व्यापारियों को तो अपने पास से पैसा देना नहीं होता है। सारा भार ग्राहकों पर पड़ता है। जो भार ग्राहक पर डाल कर व्यापारियों ने ले लिया, अगर सरकार ने उसी रुपये को ले लिया तो कौन अन्याय हुआ? हमने बिलकुल ठीक किया। अगर ऐसा न करते तो रुपया वापस करना होता। तो किस को वापस करते? और वह व्यापारियों को करना होता। अगर रुपया ग्राहकों को ढूंढ़ कर वापस हो जाता तो न्याय की बात कही जा सकती थी। इसलिये हमन जो न्याय था वही किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—एक सवाल है। जो व्यापारी जाली बहीखाता लिख कर चोरी कर लेते हैं, उसके बारे में आपने क्या व्यवस्था की है?

श्री अध्यक्ष—वह दूसरी बात है। मन्त्री जी दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री जयराम वर्मा—इसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों को यह भी भ्रम है कि १९४८ से आज १९६२ तक वसूल किया जायगा,। १९४८ से १९६२ तक वसूल नहीं हो रहा है।

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, जरा सा माननीय मन्त्री जी बता दें कि कितने रुपये का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के जरिये डिसाइड हुआ है।

श्री जयराम वर्मा—जितना वसूल किया उसमें दो दरें थीं। ८ जून तक तीन पाई फी रुपया नाम-एडिबिल आयल्स पर था। ९ जून से छः पाई हो गयी। ६९ दिन का टैक्स लगाया गया तीन पाई के हिसाब से और बाकी दिन का साल में छः पाई के हिसाब से वसूल किया सरकार ने। केस में अमाउन्ट का जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—माननीय कमलासिंह, वह तो प्रिंसिपिल आफ ला का सवाल है, अमाउन्ट तो इम्पार्टेंट नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—सदन का इतना ज्यादा रुपया इसमें बरबाद किया गया है इस विधेयक को लाने में, तो जानकारी होनी चाहिये कि कितने रुपये का मामला है।

एक सदस्य—यह संसदीय नहीं है कि इतना रुपया बरबाद किया गया है इस विधेयक को लाने में। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह शब्द वापस किये जायं।

श्री अध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी से।

श्री जयराम वर्मा—माननीय दीपनारायण जी को यह भी भ्रम हो गया कि हमने व्यापारियों को एक यह भी सुविधा दी कि जहां उनका वार्षिक रजिस्ट्रेशन होता था वहां पर अगर वह चाहें तो तीन साल तक के लिये रजिस्ट्रेशन करवा लें, माननीय दीपनारायण सिंह को यह भ्रम हो गया कि तीन साल का टैक्स भी एक साथ लगाया जायगा। टैक्स जैसा सालाना लगता है, वैसे लगेगा। टैक्स तो बराबर सालाना लगता रहेगा। तीन बार उसको तीन साल के लिये एप्रोच नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार में रजिस्ट्रेशन तीन वर्ष के लिये हो जायगा। और श्रीमान् जी, एक और जो खास गलतफहमी है वह यह है कि २० जुलाई, सन् ६१ के पहले की अप्लीकेशन्स पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता था। लेकिन नियमों में २० जुलाई सन् ६१ से व्यवस्था कर दी गई है कि उन पर एक निर्धारित शुल्क लगेगा और वह लिया जाता रहा है। २० जुलाई, सन् ६१ से बराबर वह लिया जा रहा है। जो संशोधन किया गया है उससे तो २० जुलाई से कोई फिर से शुल्क वसूल करने की बात नहीं है। वह तो शुल्क बराबर लिया जाता रहा है। उसमें चूंकि जज रिवीजन ने एक फैसला कर दिया कि ऐसे मामलों में जिनके बारे में कर निर्धारण की कार्यवाही २० जुलाई, सन् ६१ के पहले शुरू कर दी गई, किसी प्रार्थना-पत्र पर वह शुल्क नहीं लिया जायगा। इससे एक अनामली हो गई कि २० जुलाई सन् ६१ के बाद कुछ पर तो शुल्क लिया जाय। कुछ पर न लिया जाय। इसी को दूर करने के लिये यह संशोधन लाया गया है। कोई नया टैक्स लगाया जा रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आधार पर कि माननीय गंगाधार साहब ने कह दिया कि यह मनी बिल है और इसमें टैक्स लगाने की बात है। कोई रुपया इससे टैक्स के रूप में नहीं लिया जाने वाला है। श्रीमन् जी, इसमें कुछ और बातें उठाई गयीं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—इसका स्पष्टीकरण अगर आप कर सकें कि ६१ से अब तक जो नहीं ली गई कोर्ट फीस उस फैसले के मुताबिक उसका क्या होगा?

श्री जयराम वर्मा—यह तो फैसला अभी हुआ है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और माननीय मन्त्री जी की अनुमति से मैं यह स्पष्टीकरण चाहता था कि ६१ के पहले जो प्रोसीडिंग इनीशिएट हो गई और उस फैसले के आधार पर उस पर कोर्ट फीस न लिया जाय यह तय हो गया, तो अब क्या आप नहीं लेंगे? इससे पहले जो नहीं ली गई और जो रिवीजन्स दाखिल हो गये उनका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—जो कोर्ट फीस ऐक्ट में प्राविजन होगा, वही तो लगेगा।

श्री जयराम वर्मा—जिस तरह से प्राविजन उसका है वही लिया जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी—इसमें दिया है कि २० जुलाई सन् ६१ से लिया जायगा। यहां यह कहा जा रहा है कि वह तो लिया जा रहा है.....

श्री अध्यक्ष—उसके पहले का जगदीशशरण जी कह रहे हैं। कोर्ट फीस अगर है तो कोर्ट फीस ऐक्ट अप्लाई होगा। बहरहाल, उसका कोई सवाल नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में हमारे राज्य के पंच-रत्न बड़ी गम्भीर बातें कर रहे हैं, पता नहीं, कोई नया टैक्स आने वाला है क्या?

श्री अध्यक्ष—माननीय राममूर्ति जी, आप ठीक से बैठ जायं।

श्री जयराम बर्मा—श्रीमान् जी, माननीय सदस्यों ने टैक्स से सम्बन्धित और बहुत सी बातों की चर्चा की। कुछ माननीय सदस्यों ने निराशा प्रकट की कि इसमें बहुत से संशोधन आने चाहिए थे वह इस वक्त नहीं लाये गये। तो श्रीमान् जी, मैं माननीय सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि एक विक्रय कर कमेटी नियुक्त हो चुकी है। उसके सामने बहुत से मसले विचार के लिए हैं। वह कमेटी अपना काम कर रही है। उसके सामने बहुत सी बातें जो यहां पर उठाई गई हैं, वह सब विचाराधीन हैं। एक तो टैक्स मल्टीपुल हो या सिंगिल प्वाइंट हो यह भी उसके सामने विचाराधीन है। माननीय शर्मा जी ने एक बात कही कि मध्य प्रदेश में कर की दर कुछ नीची है और हमारे प्रदेश में ऊंची है। यह भी उस कमेटी के सामने मसला विचाराधीन है, विभिन्न प्रदेशों में सेल्स टैक्स की दरें क्या हैं और हमारे सूबे की दरें क्या हैं उनका हम मुकाबिला करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कहां-कहां और क्या-क्या कठिनाइयां हैं, व्यापारियों की क्या कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को बगैर अपनी इनकम को कम किये हुये कैसे हम दूर कर सकते हैं।

इवेजन की बातें कही गईं। वह बात भी विचाराधीन है कि कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। किस तरह से आमदनी बढ़े यह बात भी उस कमेटी के सामने विचाराधीन है। इस को समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दिया गया है और सब लोगों से इस बात की प्रार्थना की गई है कि जिनको इसमें दिलचस्पी हो वह अपना सुझाव उस कमेटी के सामने विचार के लिये भेज दे। इसलिये माननीय दीपनारायणसिंह जी को यदि इसमें दिलचस्पी है तो वह अपना सुझाव उस कमेटी के सामने भेज दें। वह कमेटी उस पर अच्छी तरह से अपना विचार करेगी और विचार करने के बाद उस पर अपनी रिपोर्ट देगी।

अब प्रश्न यह है कि इतने छोटे विधेयक को क्यों नहीं रोका गया। उस वक्त तक के लिये जब तक कि कमेटी अपना काम समाप्त न कर ले। कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वह चाहती है कि काम जल्दी हो लेकिन कितने महीने लगेंगे यह निश्चयपूर्वक कहना मुश्किल है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद गवर्नमेंट में कितना समय लगेगा यह भी निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। इसलिये इस विधेयक को रोकने में कठिनाई होती। व्यापारियों को जो सुविधा दी गई है वह भी उससे वंचित हो जाते थे और उस वक्त तक वह फायदा नहीं उठा सकते थे। इस ऐक्ट के अन्दर जो यह सुविधा दी गयी है उससे वह वंचित रहते। ओरिजिनल ऐक्ट के सेक्शन ४ में एग्जम्पशन के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के फैसला करने के बाद जो उनको अपील की सुविधा इसमें दी गई है इससे भी वह वंचित रहते। वह इस विधेयक के अन्दर व्यवस्था की गई है। एक्स पार्टी जजमेंट के सम्बन्ध में सेक्शन ३० के अनुसार रि स्टोर करने के प्रार्थना-पत्र पर जो फैसला होगा उसके खिलाफ अपील के बारे में इसमें व्यवस्था की गई है। इस विधेयक में यह सुविधा दी गई है तो इससे

[श्री जयराम वर्मा]

भी वह वंचित हो जाते। जब तक उस कमेटी का फैसला होता और वह अपनी रिपोर्ट देती और जब तक सरकार उस रिपोर्ट को मन्जूर करती तब तक के लिये इन सब सुविधाओं से उनको वंचित रहना पड़ता। इसलिये यह जल्दी की गई है या यह कि स्थगित है। सेल्स टैक्स लेने की जो बात है उसके लिये जब रिवीजन का फैसला होना जरूरी है तो वह फैसला जल्दी होना चाहिये। इससे यह बात हुई कि अतिरिक्त जज रिवीजन बढ़ाये जायें जिससे फैसला जल्दी हो जायगा। इन वजहों से यह संशोधन बिल शीघ्र लाने की जरूरत पड़ी।

श्रीमान् जी, इसमें कुछ जिक्र किया गया कि हमारे यहाँ कर-निर्धारण अधिकारी के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के लिये विभाग के आदमी रखे गये हैं। यह बात सही है। १६ जज हैं जिनमें १४ विभाग के आदमी हैं। जहाँ तक सिद्धान्त का सवाल है वह ठीक है।

श्री दीपनारायण सिंह—पहले कितने थे?

श्री जयराम वर्मा—यह संख्या बढ़ी है। वह विभाग के आदमी बढ़ाये गये हैं।

श्री दीपनारायण सिंह—शुरू में पहले कितने आदमी थे?

श्री अध्यक्ष—(श्री जयराम वर्मा से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री जयराम वर्मा—इसमें जहाँ तक सिद्धान्त का सवाल है मैं उससे सहमत हूं। लेकिन कभी-कभी प्रैक्टिकल बातों को भी देखना पड़ता है। तो कुछ प्रैक्टिकल बातों की वजह से यह मुनासिब समझा गया कि विभाग के आदमियों को काम के लिये रखा जाय और रखा गया है लेकिन यह बात भी ऐसी नहीं है कि जिस पर कमेटी के सामने विचार न हो सके लेकिन इस वक्त यह काम ठीक समझा गया और इसलिये ऐसा किया गया। यह नहीं है कि हमारी स्टेट में ही यह बात हो। यह और स्टेट्स में भी है कि पहली अपील विभाग के आदमी ही सुनते हैं। इनकम टैक्स की फर्स्ट अपील सुनने के लिये विभाग के ही आदमी होते हैं। वह जुडिशल आदमी नहीं होते। यही नहीं जहाँ तक रेवेन्यू विभाग का संबंध है वहाँ पर नीचे से ऊपर तक अपील सुनने के लिये विभाग के आदमी होते हैं जजेज नहीं होते हैं। इसलिये इस विधेयक में कोई ऐसी बात कर दी गयी है या इस स्टेट में कोई ऐसी बात कर दी गयी है जो और कहीं नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसलिये इसके बारे में बहुत एतराज करना ठीक नहीं है।

इसके अलावा इंटरचेंज करने की बात कही गयी। हमारे पास सिर्फ पाँच असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और १६ जजेज हैं। पाँच आदमियों को ट्रांसफर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर इन्टर चेंज न करें तो हम उनको हटा तो सकते नहीं। अगर कोई आदमी काम के लिये फिट नहीं हैं अपनी जगह पर और अपील सुनने के लिये वह फिट है तो उसे वहाँ क्यों न भेज दिया जाय? दोनों एक ही विभाग के अधिकारी हैं और अगर इस तरह से इण्टरचेंज होता है तो काम में बड़ी सुविधा हो जाती है।

यह बात भी कही गयी कि नाम से आदमी अच्छा हो जाता है। जज अपील्स के नाम से आदमी अच्छे बन जाया करते हैं। मेरे खयाल से आदमी नाम से नहीं, काम से अच्छा बनता है। लेकिन अगर नाम से ही आदमी अच्छे बन सकें तो हमें उसमें क्या एतराज हो सकता है।

श्री दीपनारायणसिंह—तो किसी को भी किसी कुर्सी पर बैठाया जा सकता है।

श्री जयराम वर्मा—एक बात शायद यह भी कही गयी कि स्टेट का जो अधिकार था वह वापस लिया जा रहा है। उसकी अब तक कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। अब एक निश्चित व्यवस्था कर दी गयी है। जज रिवीजन के यहाँ स्टे की अप्लीकेशन्स होंगी लेकिन

यह अर्जी तभी दी जा सकेगी कि जब समुचित अधिकारी के यहां रिवीजन या अपील का मामला विचाराधीन हो। अगर अपील या रिवीजन होता है तो स्टे अप्लीकेशन हो सकती है लेकिन स्टे अप्लीकेशन मंजूर तभी होगी जब कि वह पार्टी सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोषानुसार जमानत दे दे। अगर जमानत नहीं ली जाय तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब तक अपील या रिवीजन का मामला चलता रहे उस बीच में ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि वह आदमी टैक्स को इवेड कर दे और हम उससे टैक्स वसूल ही न कर सकें। इसके लिये एक सेक्योरिटी रहे कि अगर टैक्स इम्पोज हो तो उसके वसूल करने में गड़बड़ी न हो सके। इसलिये ऐसा किया गया है।

एक बात यह भी कही गयी कि यह शुल्क अधिक है। ऐसा नही है कि यह टैक्स हम ज्यादा ले रहे हों। दूसरे स्टेट्स में भी हमारे यहाँ से कम शुल्क नहीं है। दूसरे स्टेट्स में करीब-करीब इतना ही टैक्स लगा हुआ है जैसा कि हमारे यहाँ है। फीस के बारे में जो कहा गया, वैसा ही ठीक बम्बई में भी है।

'Second appeal either to the Commissioner or Tribunal-5 percent of the amount in dispute subject to a minimum of Rs. 5 and maximum of Rs. 100'

आसाम में भी इसी तरह का है कि फाइव परसेंट आफ दि एमाउन्ट जिसका मिनिमम २ रुपये और मैक्जिमम १०० रुपया हो। कोई फर्क नहीं है ऐसी बात नहीं है कि कोई ज्यादा फीस लगाई गई हो और दूसरी जगह कम फीस लगाई गई हो।

एक और बात कही गई कि जहाँ पर क्लेम अगर सही हो जाय तब फीस वापस दी जाया करे। ऐसी बात कहीं नहीं है। आप दूसरे विभागों में देखें कि दरख्वास्तें पड़ती हैं, कोर्ट फीस लगती है, कहीं कोर्ट फीस वापस नहीं होती है। फीस वापस करनी हो तो बड़ी मुश्किल हो जायगी। यह एक नई प्रथा होगी। आप यदि देखें तो आपको मालूम होगा कि ऐसी प्रथा कहीं नहीं है।

एक सदस्य—यदि गरीब आदमी हो तो माफ कर दीजिये।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, एक बात यह कही गई कि जो गरीब आदमी हैं, उनको स्टे अप्लीकेशन या अन्य दरख्वास्तो पर उनसे फीस न ली जाया करे। ऐसा करना सरकार के लिये गड़ा मुश्किल हो जायगा। गरीब आदमियों की क्या डिफनीशन होगी, कैसे गरीब आदमी को सरकार पहचानेगी? इसलिये इसमें आप देखें कि गरीब आदमी को इसमें छूट दे रखी गई है। १२ हजार से कम जिसका टर्नओवर है, उसको बाहर रखा गया है और उसके ऊपर जिसका टर्नओवर है उसपर टैक्स लगता है। एक लिमिट बना दी गई है। यदि आपकी गरीब आदमी वाली बात मान भी ली जाय तो एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जायगा। यह जाँच करना कि कौन किस हद तक गरीब है कौन किस हद तक नहीं है, जज अपील और जज रिवीजन के लिये एक समस्या होगी। हमारे सिद्धान्त हैं कि फीस उस पर ली जाय जिसमें कोई रिलीफ माँगी जाती है, वहां पर फीस ली जाती है और अगर रिलीफ नहीं माँगी जाती है तो उस पर फीस नहीं है।

एक बात श्री विजय सिंह जी ने कही कि यह जनमत के लिये घुमाया जाय। लेकिन एक और बात कही कि सेल्स टैक्स की दरें दुगनी कर दी जायें। परन्तु आपको मालूम होना चाहिये कि बगैर देखे समझे, आँख-बन्द करके सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाता है। यदि ऐसा किया जाय तो हमारे प्रदेश का बिजनेस ही खत्म ही जाय और यहाँ के व्यापारी भाग-भाग कर दूसरे प्रदेशों में चले जायेंगे। इसलिये टैक्स दुगना करना बड़ा हार्ड और मुश्किल है। कुछ टैक्स की दरें तो केन्द्रीय सरकार के द्वारा निश्चित होती हैं। सभी प्रदेशों की सरकारों की उन दरों को मानना पड़ता है।

[श्री जयराम वर्मा]

एक बात और कही गई कि रजिस्ट्रेशन एबालिश कर दिया जाय। परन्तु रजिस्ट्रेशन वही व्यापारी करता है जिसका टर्नओवर साल भर का १२ हजार रुपया या अधिक हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वह समझेगा कि उसको टैक्स देना है। इसलिये वह ग्राहकों से लेता भी है। व्यापारी लोग यह जानकर कि उनको सरकार में टैक्स जमा करना है, जनता से टैक्स लेते हैं और सरकार को देते हैं। आप देखें कि इनकम टैक्स में और इसमें बड़ा अन्तर है। इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं है। इनकम टैक्स में और इसमें जमीन आसमान का अन्तर है। इनकम टैक्स अपनी अर्निंग पर दिया जाता है और बिक्री कर अपनी अर्निंग पर नहीं दिया जाता है बल्कि ग्राहकों से वसूल करके दिया जाता है। इसलिये ऐसी बात उचित नहीं है कि बिक्री कर के लिये भी रजिस्ट्रेशन न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अब जब खंड पर विचार होगा तो उस पर कह दीजियेगा।

श्री जयराम वर्मा—अब खास-खास बातों की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया। इसके बाद मैं समझता हूं कि माननीय सदन जनमत संग्रह के लिये घुमाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करेगा और मेरे प्रस्ताव को कि इस पर विचार किया जाय, स्वीकार करेगा। (व्यवधान) यह प्रश्न कमेटी के विचाराधीन है कि कहां पर सिंगिल प्वाइंट और कहां पर मल्टिपिल हो सकता है और कहां तक हम दूर कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को राय जानने के लिये तीन मास तक परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Bill, 1962] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५२ की सूचना पर विचार के समय अनुपस्थित होने के संबंध में शिक्षा मंत्री द्वारा खेद प्रकाशन

श्री अध्यक्ष—माननीय शिक्षा मन्त्री, मैं जानना चाहूंगा कि आज नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना आपके पास भेजी गयी थी। जिस वक्त वह यहां पेश हुई तो आप, आपके सभासचिव और उप मन्त्री सभी ऐबसेंट थे। इस अनुपस्थिति का कारण आप बतला सकते हैं ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न आज यहां पर नियम ५२ के अन्तर्गत उठाया गया उस समय मैं यहां पर उपस्थित नहीं था, एक मीटिंग में व्यस्त था। सम्भव है कि आफिस में सूचना पहुंची हो, लेकिन मुझे साढ़े बारह बजे बतलाया गया जबकि मीटिंग खत्म हुई कि मुझे यहां उपस्थित होना चाहिये था। मुझे बड़ा खेद है कि मैं उस वक्त उपस्थित नहीं हो सका। मेरे दिल में कोई खयाल सदन को अवहेलना करने का नहीं उठ सकता था। मैं बड़ी इसके लिये क्षमा चाहूंगा सदन की कि यह न समझ करके कि मैंने कोई अवहेलना की है, कोई गलती हो गयी आफिस की, उसके कारण मैं न आ सका।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। नरसिंह नारायण जी, आपने कहा था ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—वह उग्रसेन जी का था। अब ठीक है।

लोक लेखा समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—एक सूचना और आपको देनी है। मेरे पास सूचना आयी है सचिव, विधान परिषद् की। लोक लेखा समिति के लिये ५ सदस्यों की मांग इस सदन से की गयी थी। उनके नाम परिषद् ने इस प्रकार भेजे हैं—

श्री कैलाश प्रकाश, श्री दरबारी लाल शर्मा, श्री नवाबसिंह यादव, श्री कन्हैयालाल गुप्त और श्री इसहाक सम्भली।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

खंड २

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ८ के उपधारा (१) में शब्द "कर-निर्धारण की सूचना" के स्थान पर शब्द "कर-निर्धारण और मांग के नोटिस" रख दिये जायं।

सं प्र० अधिनियम सं० १५ १९४८ ई० की धारा ८ का संशोधन

*श्री हरिनाथ तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन निम्न प्रकार है—

खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द 'कर-निर्धारण' और शब्द 'और' के मध्य शब्द 'की सूचना' और इसी पंक्ति के शब्द 'और' 'मांग' के मध्य शब्द 'यदि कर-निर्धारण की सूचना न मिली हो तो' बढ़ा दिये जायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कर-निर्धारण के बाद इतना और एड कर दिया जाय कि 'यदि कर निर्धारण की सूचना न मिली हो तो।' इससे कोई भ्रम नहीं रह पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कह चुका हूं इस सदन में जो विधेयक आते हैं उन पर पूर्ण रूप से विचार नहीं होता है और बहुत जल्दी में उच्च अधिकारियों द्वारा वह जैसा दे दिया जाता है वैसा उसे बिना सोचे विचारे मन्त्री जी द्वारा यहां सदन में पेश कर दिया जाता है। यह सही है कि बल्कि बेहोशी, सत्ता के उन्माद और पशुबल के आधार पर यह सरकार विधेयक को पास करवा लेती है.....

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह पशुबल शब्द असंसदीय है....

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—बूट मैजारिटी के लिये और क्या कहा जायेगा?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उसको पशुबल कैसे कहा जा सकता है, आप उसको हिन्दी में अन्ध-बहुमत कह सकते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—वह तो श्रीमन्, अपनी-अपनी परिभाषा है। मन्त्री जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं।

श्री अध्यक्ष—आप क्या कहना चाहते थे, कहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री हरिनाथ तिवारी---तो मैं यह कहने जा रहा था कि जब किसी ऐक्ट की बाहर आलोचना होती है, न्यायालयों में भारी क्रीटीसिज्म होता है, तो सदन का बड़ा अपमान होता है। एक जगह सेक्शन ९ में आप अपील करने का प्रावीजन रखते हैं, फिर यह करते हैं तो यह दोनों चीजें कैसे होंगी। अपील करने का टाइम होता है। तो एक तो वह टाइम देते हैं जब असेसमेंट आर्डर की डेट आपको मालूम हो, या जब डिमांड की नोटिस पहुंचे। यहां पर मैं उस चीज को छोड़े देता हूं। अगर यह संशोधन नहीं आता है तो जनता भ्रम में पड़ जायेगी। आप मांग की सूचना तो लिखते हैं लेकिन वहां पर आर्डर नहीं देते हैं। यह गलत है। इसी वजह से मैंने यह संशोधन रखा है कि उसमें इतना बढ़ा दिया जाय कि यदि आर्डर की सूचना न मिली हो तो मांग की सूचना पर।

अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि इसमें कोई दोष नहीं है, वे इस संशोधन को मान लें। मुझे आशा है कि उन्हें इस संशोधन को मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि यह गलती रह गयी है जो इसको स्वीकार करने से दुरुस्त हो जायेगी ?

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, यह संशोधन कुछ भ्रम के ऊपर आधारित मालूम होता है। माननीय सदस्य का शायद ऐसा ख्याल है कि असेसमेंट की सूचना कोई अलग होती है और नोटिस आफ डिमांड अलग होता है। रूल्स के मुताबिक फार्म ११ पर असेसमेंट की सूचना और डिमांड का नोटिस दोनों एक ही पर हैं। उसी पर नोटिस भी दिया जाता है। हमारे रूल्स में तो जरूर था लेकिन ऐक्ट में सिर्फ असेसमेंट की सूचना ही थी। डिमांड का नोटिस ऐक्ट में भी होना चाहिये था वरना यह लैक्यूना हो सकता है कि रूल्स में कैसे आ गया जब ऐक्ट में नहीं है। इसलिये नोटिस आफ डिमांड भी इसमें रख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---कर-निर्धारण और मांग, दोनों का नोटिस अलग-अलग तामील हो? जो आप कह रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं मालूम होता है।

श्री हरिनाथ तिवारी---सेक्शन ९ को पढ़ लीजिये तो साफ हो जायगा। आर्डर आफ असेसमेंट और नोटिस पृथक हैं।

श्री अध्यक्ष---एक बात देखिये। क्या इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि कर-निर्धारण की सूचना और मांग का नोटिस जब दोनों तामील हो जावेंगे ?

श्री हरिनाथ तिवारी---आर्डर एक वक्त होता है और मांग दूसरे वक्त होती है। जब आर्डर हो गया तो दोनों सूचना एक साथ तो जावेंगी नहीं। यह नहीं हो सकता कि आर्डर की सूचना न हो और मांग आ गई। जैसा उप-मन्त्री जी ने कहा है, वह ठीक नहीं बैठ रहा है। फार्म से क्या ऐक्ट बदला जा सकता है? या तो उसे डिलीट कीजिये। और अगर वहां आर्डर का नोटिस करते हैं तो यहां भी इसे कीजिये। इस संशोधन से तो भ्रम दूर होता है।

श्री जयराम वर्मा---माननीय सदस्य कुछ कनफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इसमें है कि "Service of the copy of the order or notice of assessment, as the case may be" जहां असेस-मेंट है वहां असेसमेन्ट के नोटिस की मियाद ली जायगी। मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द "कर-निर्धारण" और शब्द "और" के मध्य शब्द "की सचना" और इसी पंक्ति के शब्द "और" और "मांग" के मध्य शब्द "यदि कर-निर्धारण की सूचना न मिली हो तो" बढ़ा दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रघुनार्थसिंह (जिला वाराणसी)—श्रीमान्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड २ की पंक्ति ३ में 'माँग के नोटिस' शब्दावली में 'क' के स्थान पर 'की' रख दिया जाय ।

श्रीमान्, इस पर बहस मुबाहिसे की जरूरत नहीं है । नोटिस शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, इसलिये इस संशोधन के होने से उसकी भाषा ठीक हो जायगी ।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, अभी तक कानून में जहाँ-जहाँ नोटिस शब्द आया है सदैव पुंल्लिग में ही प्रयुक्त हुआ है, इसलिये पुंल्लिग में ही यह रहेगा ।

श्री रघुनार्थसिंह—श्रीमान् जी, इस पर आप अपना फैसला दें अगर आज गलती मालूम हो गयी तो क्यों नहीं उसको ठीक कर लिया जाय और जो गलत परम्परा चली आ रही है उसको क्यों न सुधार लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—यह ऐसी गलती है जो बाद में भी ठीक हो सकती है । इसको हम और आप बठकर ठीक कर सकते हैं ।

श्री उग्रसेन—श्रीमान्, कानून में तो कामा और फुलस्टाप तक देखा जाता है ।

श्री रघुनार्थसिंह—माननीय वित्त मंत्री जी तो स्वयं हिन्दी के अच्छे लेखक हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक में तो हिन्दी अच्छी होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—कानून में स्त्रीलिंग में पुंल्लिग नहीं आता है, लेकिन पुंल्लिग में स्त्रीलिंग आ जाता है ।

प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति ३ में 'माँग के नोटिस' शब्दावली में 'के' के स्थान पर 'की' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रघुनार्थसिंह—श्रीमान्, मेरा दूसरा संशोधन इस प्रकार है—

'खंड २ के उपरान्त इतना जोड़ दिया जाय:—

"'१५ दिन' के स्थान पर '१ महीना' रख दिया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय हरीनाथ जी तिवारी ने जो संशोधन पेश किया था उसके सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि एक फार्म है जिसमें कर निर्धारण और माँग का नोटिस लिखा हुआ है । मूल अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण की सूचना व्यापारी को मिलती है और उसके बाद वह अपनी उस सूचना के आधार पर यह कह सकता है कि सूचना मिली । लेकिन अब कर-निर्धारण की सूचना और भुगतान की माँग दोनों साथ साथ पहुंचेगी ।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमान्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो संशोधन डाक्टर साहब लाये हैं, वैसा इस विधेयक में कोई संशोधन नहीं है क्या यह संशोधन आ सकता है ?

श्री अध्यक्ष—यह नहीं आ सकता । आउट आफ आर्डर है । रघुनाथ सिंह जी, कमलासिंह जी का यह कहना है कि इस विधेयक में जो संशोधन आये हैं उनके अतिरिक्त और कोई संशोधन नहीं आ सकता । इसके द्वारा मूल अधिनियम में आप संशोधन नहीं कर सकते ।

श्री रघुनार्थसिंह—एक बात मैं श्रीमान् से पूछना चाहता हूं । इसके पहले वाले विधेयक में केन्टोन्मेंट के संबंध में जब संशोधन आया था तो मैंने उस संबंध में आपसे बात की थी तो उस समय आपने कहा था कि नया उप खंड उसमें बढ़ाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—वह अमेंडिंग बिल नहीं था, नया बिल था।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

सं० प्रा० अधिनियम सं० १५, १९४८ ई० की धारा ८-क का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ८-क में—

(१) उपधारा (१) में शब्द और पूर्ण विराम "प्रार्थना-पत्र देगा ।" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

"व्यापारी द्वारा रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के लिये या, उसकी स्वेच्छा से, और अधिक अवधि के लिये, जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक की न होगी, दिया जा सकता है ।"

(२) उपधारा (१-क) में खण्ड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(क) कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे तथा ऐसी शर्तों पर जो निर्धारित की जायें, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है और व्यापारी को रजिस्टर करा सकता है । इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुये रजिस्ट्री उस अवधि में प्रवृत्त रहेगी जिसके लिये वह स्वीकृत हुई हो ।

(ख) इस धारा के अधीन रजिस्टर हुआ व्यापारी जब तक कि उसका रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र रद्द न कर दिया गया हो, अपने रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र का नवीकरण ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर करायेगा जो निर्धारित किया जाये ।

(ग) व्यापारी को प्रत्येक ऐसे कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके लिये रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीकृत किया गया हो, १० रुपये शुल्क देना होगा;" और

(३) उपधारा (३) में—

(क) शब्द "नकदी पर्चा (कैश मेमो)" तथा शब्द "देगा" के बीच में शब्द तथा कामा "या उधार पर्चा, जैसी भी दशा हो," रख दिये जायें; तथा

(ख) शब्द "क्रेता से कोई रकम कर के रूप में वसूल करता है" के स्थान पर शब्द "कर के रूप में कोई धनराशि क्रेता से लेता था आदेय करता है", शब्द "वसूल की गई" के स्थान पर शब्द "ली या आदेय की गयी", शब्द "नकदी पर्चा" के स्थान पर शब्द "पर्चे" तथा शब्द "जिन्हें उसने निर्धारित ढंग से वसूल किया हो, सही और ठीक लेखा भी रखेगा" के स्थान पर शब्द "जिन्हें उसने लिया या आदेय किया हो, निर्धारित ढंग से सही और ठीक लेखा भी रखेगा" रख दिये जायें ।

श्री रघुनाथसिंह—श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में प्रथम पंक्ति के अन्त में आये हुए शब्द "में" के स्थान पर शब्द "की" रख दिया जाय ।

इस विधेयक में ही दूसरी धारा की तीसरी पंक्ति में 'की' लिखा हुआ है । जैसा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ८ की उपधारा (१) में । चूंकि वहां पर शब्दावली धारा ८ की उपधारा (१) उसी लाइन में है, इसलिये वहां पर ठीक है और ठीक उसी ढंग की बात है ।

श्री कमलासिंह यादव—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह भी मूल अधिनियम में ही संशोधन लाया गया है जिसमें कि कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है । मालूम नहीं माननीय सदस्य कहां से पढ़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—यह खंड ३ में है, यह ठीक है ।

श्री रघुनाथसिंह—मैं यह कह रहा हूं कि जो संशोधन विधेयक है इसकी दूसरी धारा में 'की' लिखा हुआ है और वहां संशोधन के अनुसार ही शुद्ध प्रयोग किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय रघुनाथ सिंह जी, बात यह है कि यह मूल अधिनियम की धारा ८ (क) में है और आप चाहते हैं कि 'में' के बजाय 'की' होनी चाहिये ।

श्री रघुनाथसिंह—श्रीमान्, इस संशोधन विधेयक की दूसरी धारा में 'की' का प्रयोग किया गया है और उसी मेल में यहां भी यह संशोधन होना चाहिये । एक जगह जब धारा २ में इसका शुद्ध प्रयोग किया गया है तो धारा ३, ४ और ५ में भी गलत प्रयोग करने के बजाय शुद्ध प्रयोग ही होना चाहिये ।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, 'में' का जो प्रयोग किया गया है वह बिलकुल ठीक है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह—क्या संबंध कारक और अधिकरण में कोई फर्क नहीं रह जायगा ? दूसरी धारा में सरकार द्वारा इसको शुद्ध प्रयोग किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं बतला दूं कि मूल अधिनियम की धारा ८ (क) में जो लिखा है वह तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि अमुक दफा में ये ये संशोधन किये जायं । तो इसके तब्दील करने में कोई तुक नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमान्, सदन का टाइम समाप्त हो गया, अब आप उसे बढ़ा भी नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम पास हो गया ।

श्री अध्यक्ष—मैं टाइम नहीं बढ़ा रहा हूं । माननीय रघुनाथ सिंह जी, इसको देख लीजियेगा जो मूल अधिनियम की धारा ८ (क) में लिखा हुआ है। अब हम उठते हैं, कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ १/२ अगले दिन के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१८ सितम्बर, १९६२ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८६ पर]

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के कर्मचारियों की संख्या

क्रम-संख्या	श्रेणी	स्थायी	अस्थायी	योग
१—गजेटेड	..	५७	२१	७८
२—नान-गजेटेड	..	६१८९	१४,१४४	२०,३३३
कुल योग ..	..	६२४६	१४१६५	२०४११

परिशिष्ट 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८८ पर]

प्रश्न २६ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

तहसील मड़ियाहूं जिला जौनपुर में बने हुये नलकूपों के स्थान	प्रत्येक नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र १९६१–६२ में
१—शीतलगंज ..	१४९
२—अहरौली ..	१६८
३—कालीदास ..	१८६
४—जोगापुर ..	१५०
५—जमालपुर ..	१८५
६—रायपुर ..	१०५
७—अंकरा ..	१५४
८—सेमापुर ..	१४०
९—रामपुर ..	१५१
१०—रघुनाथपुर ..	१८५
११—मरमालपुर ..	२२०
१२—पट्टीकिरत राय ..	१६१
१३—सरायडीह ..	१४६
१४—हरिहरपुर ..	१६६
१५—अंडीहार ..	१६२
१६—सुरेहरी ..	१८०
१७—भदसिन ..	२२५
१८—जगदीशपुर ..	१५३
१९—देहुआ ..	१७३
२०—सिघवन ..	९९
२१—आशापुर ..	२३२
२२—सहादतपुर ..	१५७
२३—सहनपुर ..	१७९
२४—खरगपुर ..	१०७
२५—कोलाहलपुर ..	२२१
२६—गोरपट्टी ..	७९
२७—दिनापुर ..	२६४
२८—भदराव ..	१४६
२९—सहाबपुर ..	१५६
३०—चतुरभुजपुर ..	२२४
३१—जमुनीपुर ..	१२१
३२—पिपराव ..	१६४
३३—गोपालपुर ..	१८८
३४—परशुआ ..	२२२
३५—काशीपुर ..	११२
३६—कोइरी ..	२५२
३७—बसेहरा ..	८३
३८—सुआंव ..	१२८
३९—बारी गांव ..	१४०
४०—भैसा ..	१०१
४१—औरा ..	४९
४२—गहलाई ..	१३९
४३—निगोह ..	१२२
४४—बनकट ..	१५१
४५—कसियांव ..	१४०
४६—रामनगर ..	१८२
४७—घरमपुर ..	२७५
४८—बल्लीपुर ..	११६
४९—कोटगांव ..	१०२
५०—ठाठर ..	यह नलकूप
५१—हथेरा ..	इसी खरीफ
५२—नुकरा ..	में चालू
५३—नैवडिया ..	हुये हैं
५४—घनेथू ..	यह नलकूप
५५—सैदपुर सैंदूपुर ..	बन तो गये
५६—बरायन खुर्द ..	है पर इनका
५७—सराय विक्रम ..	विद्युतीकरण
५८—घनीपुर ..	अभी नहीं
५९—सोनई ..	हुआ ।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८९ पर।]

तालिका

बस्ती जिले में कुल ७ सरकारी कृषि फार्म हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है—

क्रम-संख्या	फार्म का नाम	फार्म का क्षेत्रफल
१	सिसई	३० ·८१ एकड़
२	बनबरिया	२७ ·२६६ ,,
३	खरेला	५६ ·४१ एकड़
४	सेहरी बुजुर्ग	२८ ·२५ ,,
५	अमरडीहा	३५ ·१ ,,
६	बानगंगा	५१ ·२५ ,,
७	रिसालतपुर	५१ ·२५ ,,

सिसई फार्म (हरैया तहसील) से संबंधित आय-व्यय का विवरण :

वर्ष	कुल व्यय	कुल आय
	रु०	रु०
१९६०–६१	९४९९	६७९८
१९६१–६२ (३१ मई, ६२)	९८०६	८६६४

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९१ पर]

नाम पद		कुल संख्या	अनुसूचित	पिछड़े वर्ग
(क) पतरौल	..	१२७	७	४८
(ख) अमीन	..	४४	२	११
(ग) रनर	..	१०६	९	६२
(घ) मेट	..	५६	७	३५
(ङ) क्लर्क	..	४५	..	६
(च) बरकन्दाज	..	१८	१	१२
		३९६	२६	१७४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९४ पर]

कार्यालय सहायक प्रधान प्रबन्धक,

यू० पी० राजकीय रोडज, आजमगढ़

पत्र सं० डी १०/४४५२/ए, दिनांक २९-४-६२

प्रधान प्रबन्धक,
यू० पी० राजकीय रोडवेज,
गोरखपुर ।

विषय: श्री रघुवीर राम द्वारा विधान सभा में पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या ४६,४७

आपके अर्ध-पत्र सं० जी० आर०/जी० ४/ए० क्वे०/२४२५/ए/६२, दिनांक २७-४-६२ के सन्दर्भ में प्रश्न सं० ४६ के संबंध में यह सूचित करना है कि जो घटना की तारीख (६-४-६२) प्रश्न में दी गयी है वह गलत है । उक्त घटना का विवरण निम्नलिखित है :—

दिनांक ३०-३-६२ को बस नं० २८१४, जिसके कन्डक्टर श्री शम्भूनाथ और ड्राइवर श्री सैयद मुख्तार अली थे, गाजीपुर से कासिमाबाद जा रही थी। जब बस उक्त स्टेशन से छूटने वाली थी उसी बीच एक नौ वर्ष की कन्या ने और यात्रियों के साथ, बस के निकट पहुंचकर कन्डक्टर से टिकट के लिये अनुरोध किया। कन्डक्टर ने यह कहते हुए अपनी असमर्थता प्रगट की कि यदि उस (कन्या) का टिकट बनेगा तो उसके और साथ वाले यात्रियों का बनाना पड़ेगा । इस बात की सूचना प्रधान स्टेशन प्रबंधक, गाजीपुर के पास पहुंची । उन्होंने कन्डक्टर से उक्त कन्या को अपने बस में ले जाने के लिये कहा, कन्डक्टर ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और बस को लेकर कासिमाबाद चले गए । दूसरे दिन यात्री ३१-३-६२ को जब कासिमाबाद से गाजीपुर स्टेशन पर आये तो इंचार्ज महोदय ने कन्डक्टर श्री शम्भूनाथ तथा श्री मुख्तार अली ड्राइवर को अपने पास बुलाया और आवेश में कुछ डाँट फटकार के दौरान में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कन्डक्टर से यह पूछा कि तुम उस लड़की को क्यों नहीं ले गये जबकि मैंने तुम्हें उसे ले जाने को कहा था । उस पर कन्डक्टर ने भी अपशब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि मैं ए० जी० एम० महोदय से मिलने जा रहा हूं । दिनाँक ३१-३-६२ को उक्त ड्राइवर तथा कन्डक्टर मेरे समक्ष इस कार्यालय में उपस्थित हुए और इस बात की रिपोर्ट की कि प्रधान स्टेशन प्रबंधक, गाजीपुर ने हम लोगों को मारा है और गालियाँ दी हैं। उसकी जाँच के लिये दिनाँक ४-४-६२ को मैं गाजीपुर गया और मामले की जाँच की जिसमें कन्डक्टर की कही हुई सारी बातें सच नहीं साबित हुई, अपितु यह तथ्य मिला कि इंचार्ज ने कन्डक्टर के प्रति कुछ अपशब्द प्रयोग अवश्य किया है जिसके लिये इंचार्ज महोदय के प्रति विभागीय कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त उक्त कन्डक्टर ने इन्जार्ज के विरुद्ध झूठे आरोप लगाने की लिखित क्षमा याचना की है जिस पर उक्त कन्डक्टर तथा ड्राइवर का गाजीपुर डिपो से आजमगढ़ डिपो में स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

प्रश्न संख्या ४७ के विषय में यह कहना है कि संबंधित चालक तथा परिचालक से जो उन्हें प्रधान स्टेशन प्रबंधक द्वारा मारे जाने के विषय में जो दरख्वास्त प्राप्त हुई है वह तथ्यहीन है क्योंकि उनकी साक्षी जूनियर फोरमैन जो बाद विवाद के समय उपस्थित थे,से

मारपीट होने की बात अपने बयान में नहीं बताई है। जहां तक जिले के कर्मचारियों के असन्तुष्टता का प्रश्न है उस संबंध में यह कहना है कि किसी भी अन्य कर्मचारी द्वारा ऐसी भी बात नहीं सुनी गई है जो दरख्वास्त संबंधित कर्मचारी से प्राप्त हुई है। इस पर जांच की गई है। मारे जाने का आरोप निर्मूल ह।

प्रेम नारायण प्रसाद,

सहायक प्रधान प्रबन्धक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९४ पर]

क्रम सं०	मार्ग का नाम	परमिट नम्बर	रिजेक्ट या कैंसिल करने की तिथि	कब तक का टैक्स जमा था
१—चरखारी—मौदहा वाया मुसकारा ..		१६१	२७–१–६१	३१–६–६२
,, ,,		२६१	Renewal स्थगित	३०–६–६२
२—चरखारी—मोदहा वाया खरैला गहरौल इमलिया ..		३९७	..	३०–६–६२
,, ,,		३९८	..	३०–६–६२
३—चरखारी—हमीरपुर बाया मुसकारा ..		३३९	२७–१–६१	३१–३–६२
,, ,,		३५७	Renewal स्थगित	३१–३–६२
,, ,,		३६३	२३–४–६२	३०–६–६२
४—चरखारी—हमीरपुर बाया खरैला गहरोली इमलिया ..		३९९	२७–१–६२	३०–६–६२
		४००	२७–१–६२	३०–६–६२
५—महोबा—लोंडी ..		२३१	Renewal स्थगित	३१–३–६१
६—राठ—मौदहा वाया मुसकारा ..		१२३	२३–४–६२	३१–३–६२
		१२७	,,	३०–६–६२
		१२८	,,	३०–६–६२
		२८३	,,	३०–६–६२

नत्थी 'छ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९५ पर]

[सेन्ट्रल डेयरी फार्म अलीगढ़ के १९४८-४९ से १९६०–६१ तक के आय के आंकड़े

वर्ष		आय
		रु०
१९४८–४९	..	५,९३,१७८
१९४९–५०	..	१६,०८,१६२
१९५०–५१	..	२२,४९,५९८
१९५१–५२	..	१९,१८,८१३
१९५२–५३	..	१४,९३,८२५
१९५३–५४	..	१३,२३,०५४
१९५४–५५	..	१२,८४,४५९
१९५५–५६	..	११,२८,०८२
१९५६–५७	..	१३,९६,९८४
१९५७–५८	..	१७,६९,३१९
१९५८–५९	..	१६,६९,६०३
१९५९–६०	..	१८,७८,१९२
१९६०–६१	..	२३,८२,००७

तालिका 'ब'

सेन्ट्रल डेयरी फार्म के १९४८-४९ से १९६०-६१ तक के व्यय के मदवार, आंकड़े

	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
१ अधिकारियों का वेतन	१,५००	१८,७४४	१८,५३५	१७,०२७	१९,६३८	१५,९०१
२ कर्मचारियों का वेतन	२,०००	१,२०,२०९	१,२७,७७०	१,२९,६५०	१,३०,४५४	१,२९,६८०
३ भत्ते मान देय						
(अ) यात्रिक भत्ता	१,०००	६९,५०८	७४,१०४	७२,४३४	८०,८११	७०,९४५
(ब) मंहगाई						
४ आकस्मिक व्यय	१०,०३,३४४	१९,४६,०८३	१९,७२,२३६	१९,१२,४०९	११,३२,८५१	९,६४,३२९
योग	१०,०७,८४४	२१,५४,५४४	२१,९२,६४५	२१,३१,५२०	१३,६३,७५४	११,८०,८५५

१९५४–५५	१९५५–५६	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
२०,२२५	२३,९८३	२८,६१२	२९,८८०	२६,६१४	२६,२४६	२९,७९९
१,१५,७८४	१,१३,६०१	१,१५,४८९	१,२०,०१५	१,३०,२९९	१,२६,४६१	१,३९,६२५
६२,३२५	५६,१४७	५८,३४३	६५,१७९	७५,९३३	८१,०७७	९५,७०२
९,४२,६००	९,५२,२६८	१३,१५,०८६	१६,२५४	१४,६८,०३८	१८,४१,०७८	१८,६३,६३४
११,४०,८३४	११,४५,९९९	१५,१७,५३०	१८,४५,३२८	१७,००,७८४	२१,०४,८६२	२१,२८,७६०

नत्थी 'ज'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९५ पर]

श्रीमान जी,

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय,
नहर विभाग डिवीजन,
मैनपुरी।

सेवा में,

सविनय निवेदन है कि पतरौल पुराब संतोषी लाल ने एक चिट्ठी भेजकर मुझे बुलाया। रामजीलाल व संतोषीलाल ने मुझे मधुपुरा में अपने मकान में बन्द करके खूब मारा। वहां से ये लोग उसी दिन मलावन चले आये। मधुपुरा के लोगों ने इनको उसी दिन निकाल दिया। मुझे एक आदमी ने बस अड्डे पर दो रुपया लेकर पहुंचाया। इन लोगों का अड्डे के पास निवास स्थान है और सब लोग समय -समय पर वहां उठते-बैठते हैं। फिर उन्होंने मुझे लखौरा में चौधरी आछेलाल की कोठी पर मारा, तीसरी बार इन्साफ सिंह पतरौल को उन्होंने हमारी दूकान शहर मैनपुरी में झगड़ा करने को भेजा। उसकी रिपोर्ट मैंने कोतवाली मैनपुरी में कर दी है। यह लोग कई मोटर ठेला वालों को मार पीट कर चुके हैं। इन दोनों आदमियों के पास लैसन्स-दार बन्दूकें हैं। इन्होंने एक ओवरसियर को भी मारा पीटा था। यह लोग शराब भी पीते हैं। इनकी शिकायत मैंने इंजीनियर साहब से की और उन्होंने इन लोगों को अनुपस्थित पाया। यह लोग इस समय मुझ से झगड़ा करने के लिये आये थे और अब भी झगड़ा करने के लिये आते जाते रहते हैं। मैंने इनकी शिकायत डिप्टी साहब से व जिलेदार साहब से भी कर दी है। इन्साफसिंह का तबादला दूसरे डिवीजन में कर दिया गया है। जब मुझे इन्होंने मारा था तो मेरे शरीर पर भीतरी चोट काफी थी इसलिये मैं थाना सकीट नहीं पहुंच सका और वर्षा भी काफी हो रही थी। एक झूठी रिपोर्ट सन्तोषी लाल ने मेरे खिलाफ एस० पी० के यहां दे दी है। मैं शाम को दूकान बन्द करके अपने ग्राम खरपरी जाता हूं। इन लोगों का एक गिरोह है। यह लोग मनमाने काम करते हैं। इन लोगों की सिफारिश प्रधान व एम० एल० ए० करते हैं। मेरी शिकायत पर डिप्टी साहब व जिलेदार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिये अब मैं इन लोगों से जांच परताल नहीं कराना चाहता हूं। यह दोनों पतरौल कहते हैं कि तुम को जान से मार दूंगा क्योंकि तुम अफसरों से शिकायत करते हो। मेरी रिश्तेदारी इनके हल्के में मौजा निगोह में है और एटा, जलेशर, कासगंज वगैरा में भी है। इन लोगों ने मेरा जाना आना बन्द कर दिया है। सन्तोषी लाल अपने हल्के में न रहकर रामजीलाल के पास रहता है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपर्युक्त बातों को उचित जांच मौके पर मधुपुरा पहुंच कर अवश्य की जाय। श्रीमान जी के जाने व आने में जो भी खर्चा होगा उसको मैं बर्दाश्त करने के लिये तैयार हूं।

प्रार्थी,
रामदयाल
ग्राम खरपरी, जिला मैनपुरी,
२५-८-६१।

नत्थी 'झ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९६ पर]

प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर में दी गई १८ मशीनों का विवरण

क्रम-संख्या	आयल इन्जन का नम्बर	नीलाम का मूल्य
	कूपर आयल इन्जन	
१	७४४६	२,०२०
२	७४३२	२,१५०
३	७४३३	२,७७५
४	७४५२	२,३२५
५	७४४८	२,६००
६	७४४४	२,३५०
७	७४३९	२,५२५
८	७४४७	२,२५०
९	७४३४	२,६७५
१०	७१८५	२,६००
११	७१५७	२,३००
१२	७२२६	२,३००
१३	७१२७	२,३२५
	केम्पबेल आयल इन्जन	
१४	१२७५	२,७५०
१५	२२७०	२,७७५
१६	१२८८	२,६००
१७	११४९	३,५००
१८	१११२	२,८००

परिशिष्ट 'ङ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९६ पर]

तालिका

उन जिलों जिनसे बन्दर तथा कछुये अन्य प्रदेशों के भेजे जाते हैं, का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम जिससे बन्दर भेजे जाते हैं	किन प्रदेशों अथवा विदेशों को
१	देहरादून ..	दिल्ली ..
२	मरठ ..	दिल्ली ..
३	मैनपुरी ..	दिल्ली ..
४	बिजनौर ..	दिल्ली ..
५	बदायूं ..	दिल्ली ..
६	मुरादाबाद ..	दिल्ली ..
७	शाहजहांपुर ..	दिल्ली एवं पश्चिमी बंगाल।
८	इटावा ..	अफ्रीका ..
९	कानपुर ..	दिल्ली एवं पश्चिमी बंगाल।
१०	फतेहपुर ..	दिल्ली ..
११	बाराबंकी ..	पश्चिमी बंगाल एवं महाराष्ट्र।
१२	सीतापुर ..	महाराष्ट्र ..
१३	खीरी ..	दिल्ली ..
१४	बहराइच ..	पश्चिमी बंगाल

क्रम-संख्या	जिले का नाम जिससे कछुवे भेजे जाते हैं	किन प्रदेशों को
१	मेरठ ..	दिल्ली
२	मथुरा ..	प० बंगाल
३	आगरा ..	प० बंगाल
४	मैनपुरी ..	प० बंगाल
५	बिजनौर	प० बंगाल
६	मुरादाबाद	प० बंगाल
७	शाहजहांपुर	प० बंगाल
८	इटावा ..	प० बंगाल
९	फतेहपुर ..	प० बंगाल
१०	जालौन ..	प० बंगाल एवं असम
११	बाराबंकी ..	प० बंगाल
१२	गाजीपुर ..	प० बंगाल
१३	बलिया ..	प० बंगाल
१४	गोरखपुर	प० बंगाल एवं असम
१५	बस्ती ..	प० बंगाल एवं असम
१६	सीतापुर ..	प० बंगाल
१७	हरदोई ..	प० बंगाल
१८	फैजाबाद	प० बंगाल
१९	बहराइच ..	प० बंगाल एवं असम
२०	सुल्तानपुर	प० बंगाल

नत्थी 'ट'

[देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६६ पर]

क्रम-संख्या	पद का नाम	कुल संख्या	परिगणित जाति	पिछड़ा वर्ग
१	अधिशासी अभियन्ता	१	—	—
२	सहायक अभियन्ता	४	—	—
२-अ	डिप्टी रेवेन्यू आफिसर	१	—	—
३	हेड क्लर्क	१	—	१
४	एकाउन्टेन्ट	१	—	१
५	क्लर्क	२०	—	३
६	स्टेनोग्राफर	१	—	१
७	हेड मुन्शी	१	—	—
८	मुन्शी	१३	—	४
९	ड्राफ्ट्समैन	३	—	—
१०	ट्रेसर	४	—	२
११	जिलेदार	५	—	—
१२	ओवरसियर	१६	—	—
१३	सुपरवाइजर	१३	—	२
१४	अमीन	१३	—	२
१५	ट्यूब वेल आपरेटर	३७३	६३	१०८
१६	पतरौल	२	—	२
१७	रनर	४०	२	१८
१८	मेट	२३	—	१७
१९	बरकन्दाज	७	—	४
२०	स्वीपर	१	१	—
२१	वाटरमैन	१	—	१
२२	चौकीदार	६	—	५
२३	चपरासी	१२	—	६
२४	दफेदार	४	—	३
२५	मिस्त्री	२८	२	६
२६	माली	१	—	१
२७	ड्राइवर	५	—	४
२८	क्लीनर	२	—	१

क्रम-संख्या	पद का नाम	कुल संख्या	परिगणित जाति	पिछड़ा वर्ग
	रिग स्टाफ			
२९	ट्रैक्टर ड्राइवर	१	—	—
३०	रिग मेकैनिक	२	१	—
३१	हेड ड्रिलर	१	—	—
३२	ड्रिलर	३	—	—
३३	पम्प आपरेटर	४	१	२
३४	कम्प्रेशर ड्राइवर	३	—	१
३५	पम्प मिस्त्री	१	—	—
३६	डेवलपमेन्ट इन्चार्ज ..	१	—	—
३७	फेरी ब्वाय	१	—	—
	योग ..	६१९	७०	१९६

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०१ पर)

No. B2218/XIIB-944-60.

From:

Sri S. M. Ifrahim
Deputy Secretary to Govt.
Uttar Pradesh.

To,

The Secretary,
Indian Council of Agricultural Research,
Krishi Bhavan,
Dr. Rajendra Prasad Road,
New Delhi--2.

Dated Lucknow, 30-6-61.

Subject—**Appointment of an Agricultural Commission to make a comprehensive examination of the entire field of agriculture in its broad sense. Suggestions for the term of reference.**

SIR,

AGRICULTU
(B) DEPAR
MENT.

With reference to Sri A. S. Bhatnagar's D. O. letter no. F. 26(9)-CDN, March 9, 1961, I am directed to say that the suggestion for the appointment of an Agricultural Commission to make a comprehensive examination of the entire field of Agriculture has been carefully examined.The State Government are of the view that Agriculture is a familiar subject. They do not, therefore, visualise anything now and particularly revealing from the labours of the proposed Commission. This Government are,therefore, not in favour of the appointment of an Agricultural Commission and so the question of making suggestions in regard to its terms of reference does not arise.

Yours faithfully,
(Sd.) S. M. IFRAHIM,
Deputy Secretary.

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०४ पर)

रूरल बस सर्विस

क्रम-संख्या	रूरल बस सर्विस	
१	इलाहाबाद	वरना
२	,,	चकघाट
३	,,	सराय आकिल
४	,,	हंडिया
५	,,	मऊ आइमा
६	,,	मड़वा
७	,,	मांडा खास
८	,,	कोरांव
९	,,	मुबारकपुर
१०	,,	सिरसा
११	,,	ककरा
१२	,,	भोपतपुर
१३	,,	आजमगढ़

सिटी बस सर्विस

क्रम-संख्या	सिटी बस सर्विस	
१४	,,	जौनपुर
१५	,,	बादशाहपुर
१६	,,	रीवां
१७	,,	पिपरी
१८	,,	लखनऊ
१९	,,	फैजाबाद
२०	,,	बस्ती
२१	,,	प्रतापगढ़-सुल्तानपुर
२२	,,	दोहरीघाट
२३	,	दुद्धी
२४	,,	बहराइच
२५	,,,	वाराणसी
२६	कचेहरी से	चौक
२७	,,	मनौरी
२८	,,	सहसो
२९	,,	करछना
३०	,,	सोरांव
३१	,,	नैनी
३२	,,	जसरा
३३	चौक से	दारागंज
३४	,,	हाईकोर्ट
३५	,,	मनौरी

तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि के वित्तीय वर्ष १९६३-६४ तक निम्नलिखित मार्गों के लिये जाने की योजना है।

इलाहाबाद-कालाकांकर-ऊंचाहार तथा सम्बन्धित मार्ग इलाहाबाद-बांदा बाया करधी तथा सम्बन्धित मार्ग।

उपरोक्त मार्गों के अतिरिक्त निम्नलिखित मार्गों पर सिटी बस सर्विस चलाने का भी निश्चय किया जा चुका है।

(१) चौक-करेला बाग,

(२) चौक -लेबर कालोनी (नैनी)।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४०–४२ के उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६ पर)

सूची (क)

द्वितीय योजना-काल की योजनाएं

योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	ड्रेन की लम्बाई (मीलों में)	लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ों में)	टिप्पणी
१—द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल का ४५६.७४ लाख रुपये का				
३० बाढ़ग्रस्त ग्रामों को ऊंचा करने का प्राक्कलन।				इस योजना के अन्तर्गत केवल ३ ग्रामों को कुछ ऊंचा किया गया और ३ सामुदायिक शेड का निर्माण किया गया कार्य इस में २०,३४६ रुपया व्यय हुआ। शेष कार्य धना-भाव के कारण पूरा न हो सका और तृतीय पंचव-र्षीय योजना काल में पूर्ण-होने की आशा है। इस कार्य में लगभग २.०० लाख रुपया व्यय होगा।
२—द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल का ५.४९ लाख रुपये का प्रोजेक्ट				
पुरथावान ड्रेन	००.१४	..	..	इन योजनाओं पर भूमि प्राप्त हो जाने पर कार्य आरम्भ किया जायगा।
ककानडवा ड्रेन	००.१०५	..	..	
रामपुर गहरवां ड्रेन	०.१५	..	..	
३—द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल का एन० ई० एस० का प्रोजेक्ट				
लतीफपुर ड्रेन	००.१५७	४.०५	१२०	,,
सारवा ड्रेन	१.७२	१५.८	१४००	,,
गौरा ड्रेन	००.२८	७.०	५००	,,
भगवन्तनगर ड्रेन	००.२०	४.०	३५०	किसानों का विरोध होने के कारण कार्य आरम्भ
भौली	००.०६	२.०	३००	कार्य जारी है।
कुसुम्भी भीतापल ड्रेन	००.१८	४.२५	३००	,,
इनडाल ड्रेन	००.१८	४.१	३४५	,,

योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	ड्रेन की लम्बाई (मीलों में)	लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ों में)	टिप्पणी
मुंडा ड्रेन का बढ़ान	००.०६	१.१	२००	कार्य पूर्ण होगया।
डरौली ड्रेन का पुनः निर्माण	००.०८	२.५	१००	,,
लौनी ड्रेन	००.५८	१५.०	७६०	,,
बरला ड्रेन का पुनः निर्माण	००.१२	४.०	१६५	,,
धन कौली ड्रेन का पुनः निर्माण	००.०५	४.१	१८०	,,
सराये माली कदम ड्रेन	००.०३	०.८	९०	,,
रोहा काल ड्रेन का पुनः निर्माण	००.०६	३.०	१५०	,,
रुद्रबारा ड्रेन	००.०५	१.५	२००	,,
नवाबगंज ड्रेन	००.६	२.४	१५०	,,
चिर्या ड्रेन	००.१९	१२.५	५००	,,
शाबरा ड्रेन	००.०६	१.४	४००	,,

तृतीय योजना काल की योजनाओं की सूची

सूची (ख)

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत गिना जाने वाला ९८.९३ लाख का प्रोजेक्ट—				
कलवारी जल बिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	१४,६३४	९.८	१००	कार्य प्रगति में है।
बरों की जल निकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	१२,६९१	६.०	२००	,,
जलनिकास नाली जो रससिया रजबहा के मील ६.५ से बसहा नाले बननी है	४५,०००	६.०	१५०	सर्वेक्षण प्रगति में है
जलनिकास नाली जो नारी तक और बनकट माईनर के मध्य से सई नदी तक बननी है ..	३६,०००	६.०	३००	,,
जलनिकास नाली जो भौली और मुस्तफाबाद रजबहा के मध्य से बसहा नाले तक बननी है ..	४८,०००	८.०	२००	,,

योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	ड्रेन की लम्बाई (मीलों में)	लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ों में)	टिप्पणी
ऊंचागांव जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	२०,०००	३.६	१५०	सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। निर्माण प्रारम्भ किया जाने वाला है।
तौरा जलनिकास योजना का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	६,०००	२.६	१००	,,
आशायस जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	९,०००	३.५	१५०	,,
रसलपुर जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	८,०००	३.५	२००	,,
गौसाकुतुब जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	११,०००	२.०	१००	,,
पूरन खैरा जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	१,०००	०.७	४०	,,
तकिया जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	४,०००	१.६	१०५	,,
निगोही जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	३,५००	१.४	७०	,,
रामदीन खेरा जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	३,०६८	०.७	५०	,,
मटकरी जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	६,९५१	२.५	१००	,,
जिन्दा रीरा जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	३,०००	०.९	७५	,,
पुरवा ब्रान्च के दाहिनी पटरी और जलनिकालस नाली का का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	५००	०.७	४०	,,

योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	ड्रेन की लम्बाई (मीलों में)	लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ों में)	टिप्पणी
पुरवा ब्राञ्च के बाई पटरी जल निकास नाली (द्वितीय) का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	५००	०.५	२०	सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है निर्माण प्रारम्भ किया जाने वाला है।
ममरेजपुर जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	१,७००	१.०	४०	,,
गौरिया कलां जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	८६९	०.३	२०	,,
गुडौली जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	५,०००	०.३	२०	,,
जहांगीराबाद जलनिकास नालों का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	७,०००	३,४	१५०	,,
पुरवा जलनिकास नाली का गहरा और चौड़ा किया जाना ..	११,०००	६.२	२००	,,
योग ..	२,५८,४१३	७१.३	२,५८०	..

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१४ पर)

रामगंगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पश्चिमी इलाहाबाद शाख के हेड से मील ७०.४ तक का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। मील २३—५—० से मील ७०–४ तक शाख कानपुर जिले से होकर गुजरती है। कुछ रकबा मुख्य शाख द्वारा सिंचित होगा। इस शाख के दो मुख्य सहायक रजबहे सूपा और छुइया का कानपुर जिले में निर्माण होगा। मुख्य पश्चिमी इलाहाबाद शाख के अन्य सहायक रजबहा सहार के ७ मील की लम्बाई में कानपुर जिले के अन्तर्गत आते हैं। सूपा, छोइया और सहार रजबहों से निकलने वाले कई अन्य माइनरों का बनाना भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कानपुर जिले में पश्चिमी इलाहाबाद ब्रान्च मील ७० फर्लांग ६ से मील ८४ फर्लांग ४ तक रामगंगा योजना के अन्तर्गत निर्माण हो रहा है जो कि वर्तमान फतेहपुर ब्रांच के मील १० से मील ३७ के बिल्कुल समानान्तर है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में प्रस्तावित नहरों के निर्माण की लम्बाई १३१.२ मील है और १२,६१६ एकड़ भूमि इनसे सिंचित होने का प्रस्ताव है।

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१५ पर)

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	जहां आजकल काम करते हैं
१	श्री जसोदानन्द यादव (बुकिंग क्लर्क) ..	बस्ती
२	,, राम प्रसाद पांडेय (ए० टी० आई०)	आजमगढ़ डिपो
३	,, रामचन्द्र प्रसाद (जूनियर क्लर्क) ..	आजमगढ़
४	,, राम सहाय लाल (बुकिंग क्लर्क) ..	गोरखपुर डिपो
५	,, महेश नरायन श्रीवास्तव (जूनियर क्लर्क)	गोरखपुर
६	,, श्याम सुन्दर लाल (बुकिंग क्लर्क)	गोरखपुर डिपो
७	,, सुरेन्द्र बहादुर (जूनियर क्लर्क)	गोरखपुर डिपो

नत्थी 'थ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७२२ पर)

हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

हिन्दू मैरेज ऐक्ट, १९५५ को, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, संशोधित करने के लिए

विधेयक

ऐक्ट संख्या २५, १९५५

हिन्दू मैरेज ऐक्ट, १९५५ को, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, निर्दयता के कतिपय मामलों में विवाह-विच्छेद की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए संशोधित करना इष्टकर है;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रवृत्ति

१—(१) यह अधिनियम हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

२—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य के अधिवासी (domiciled) हिन्दुओं पर प्रवृत्त होगा और तब भी प्रवृत्त होगा जब विवाह-पक्षों में से कोई भी पक्ष विवाह के समय उत्तर प्रदेश राज्य का अधिवासी हिन्दू रहा हो।

ऐक्ट संख्या २५, १९५५ की धारा १३ का संशोधन

२—हिन्दू मैरेज ऐक्ट, १९५५ की धारा १३ की उपधारा (१) में—

(क) खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय :—

"(i-*a*) has persistently or repeatedly treated the petitioner with such cruelty as to cause a reasonable apprehension in the mind of the petitioner that it will be harmful or injurious for the petitioner to live with the other party ; or", और

(ख) खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय—

"(viii) has not resumed cohabitation after the passing of a decree for judicial separation against that party and—

(a) a period of two years has elapsed since the passing of such decree, or

(*b*) the case is one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the other party ; or" ;

उद्देश्य और कारण

इस विधेयक का अभिप्राय इस बात की व्यवस्था करना है कि,

(१) विवाह-विच्छेद (divorce) की डिक्री द्वारा विवाह भंग (dissolution) करने के लिए "निर्दयता" को एक कारण माना जाय; और

(२) किसी भी पक्ष को असामान्य कठिनाई होने की दशाओं में, न्यायिक पृथक्करण (Judicial separation) के पश्चात् विवाह-विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत करने के निमित्त नियत दो वर्ष की रोक (bar) को, हिन्दू मरेज ऐक्ट, १९५५ का संशोधन करके, शिथिल किया जाय।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १८४ एल० ए०—८४५।